खण्ड-208, अंक-8
मंगलवार, 20 माघ, शक संवत् 1881
(9 फरवरी, 1960 ई0)

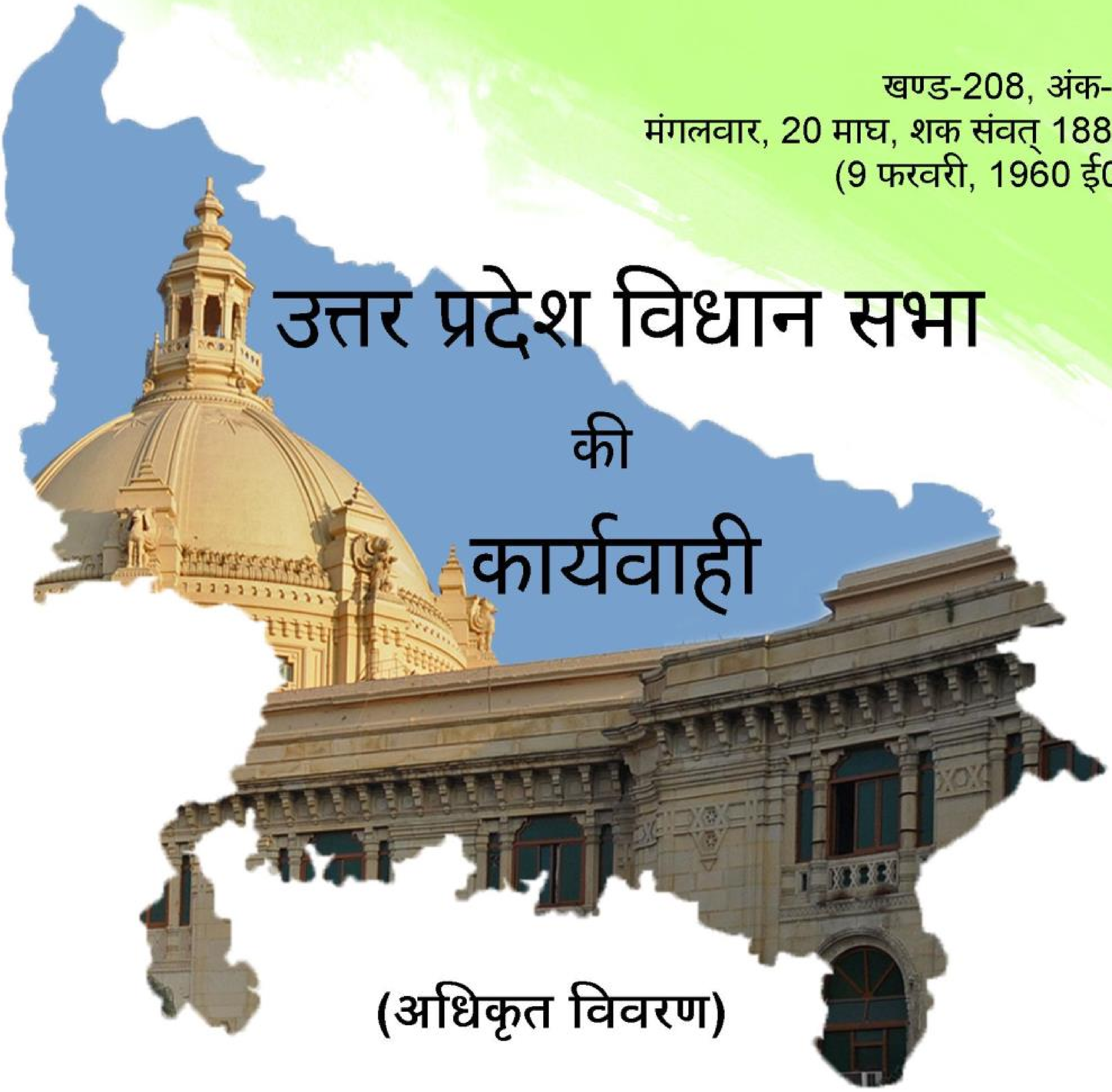

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ९ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायणदत्त सिंह श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री

सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ९ फरवरी, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सीमान्त क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रार्थना

**१--श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सही है कि हाल में भारत सरकार से प्रदेश की सरकार के पास उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हिस्सों की अलग प्रशासनिक इकाइयों (Administrative Units) बनाने तथा वहां का अलग नियोजन किये जाने की योजनायें अथवा आज्ञायें आई हैं ? अगर हां, तो वे क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--सीमान्त क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विकास कार्यक्रम की प्रगति बढ़ाने के हेतु उचित उपाय किये जाने की आवश्यकता पर भारत सरकार के साथ परामर्श हो रहा है। परन्तु अभी तक कोई योजना निश्चित रूप से नहीं बनी।

**२--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों व इलाकों की उन्नति के लिये कोई अलग योजना पिछले ६ महीनों के भीतर बनाई हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं। परन्तु इस क्षेत्र में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं को व्यापक बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई सुझाव आये हैं ? अगर हां, तो वे क्या हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अभी वह गोपनीय हैं और जब उन पर आखिरी निर्णय हो जायगा तो प्रकाश में आजायंगें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि राष्ट्र प्रेमी स्वस्थ ग्रामीणों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाय ? अगर हां, तो क्या सरकार इसकी कोई योजना बना रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जैसा पहले कहा गया सब विभागों के कार्यक्रमों के ऊपर विचार हो रहा है कि किस विभाग के द्वारा क्या क्या हो सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार से परामर्श कब से चल रहा है और उसका निर्णय हो जाने की आशा कब तक है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी बहुत दिन नहीं हुए। लेकिन जल्दी तय करना चाहते हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को लिखा है कि बार्डर पर जितनी तहसीलें हैं, खासतौर से अल्मोड़े में उनको जिला स्तर पर ले आया जाय और वहां जिलाधीश नियुक्त किये जांय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने कहा वह गोपनीय है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आज के समाचार-पत्रों में छपा है कि चमोली तहसील को अलग जिला घोषित कर दिया गया है और श्री जे० सी० पांडेय जिलाधीश मुकर्रर हो गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब जो अखबार में आ गया है जान लीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ धन दिया है कि सीमावर्ती इलाके में सड़कें बना दी जांय ? अगर हां, तो कितना ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, सारे प्रश्न विचाराधीन हैं । सड़कों का भी प्रश्न उन प्रश्नों के अन्तर्गत ही आता है । बाहर तो नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी यह उचित नहीं समझते कि इस सारे इलाके को केन्द्र के हाथ सौंप दिया जाय, सुरक्षा की दृष्टि से, यानी केन्द्रीय प्रशासन में लेने की सिफारिश की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो समझते हैं हम खुद ही प्रबन्ध कर लेंगे ।

कुमायूं के लीसा-उद्योग की उन्नति के लिए सिफारिशें

**३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा उद्योग सम्बन्धी जो मूल्यांकन समिति कुमाऊं डिवीजन के बारे में बैठाई गई थी उसकी सिफारिशों पर वह क्या कार्यवाही कर रही है ? उस कमेटी ने सहकारिता के आधार पर चलाये जा रहे कुमायूं के लीसा-उद्योग के बारे में अपनी क्या राय दी है ? क्या सरकार कृपया इस कमेटी की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कमेटी की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

लीसा-उद्योग के बारे में कमेटी की सिफारिशों के उद्धरण, जो रिपोर्ट के पृष्ठ ३४ पर दिये हैं, संलग्न हैं ।

खेद है कि इतने अल्प समय में कमेटी की पूरी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हुआ । रिपोर्ट की एक ही प्रति, जो उपलब्ध है, सदस्य महोदय को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३५ पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जिन सिफारिशों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है और जिनकी नकलें भी दी गई हैं, सरकार उनको देखते हुए क्या उपाय कर रही है कि अधिक से अधिक लीसा गृह-उद्योग वालों को दिया जाय ? अगर सरकार कुछ कर रही है तो फिर बरेली फक्टरी को १,००,००० मन से ६,००,००० मन अपनी कैपेसिटी को क्यों बढ़ाने दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक कमेटी की रिपोर्ट है वह अभी हाल में मेरे पास आई है और उस पर विचार जारी है, इसलिये उसकी रूपरेखा इस वक्त बतलाना मेरे लिये मुश्किल है । जहां तक बरेली फैक्टरी की कैपेसिटी बढ़ाने की बात है वह समझ बूझ कर और देश हितमें बढ़ाई गयी है । टेपिंग का जो काम है वह अभी ठेकेदारी से चलता है । हो सकता है कि टेपिंग का व लीसे का थोड़ा-थोड़ा काम कोआपरेटिव्ज के जरिये से होने लगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—कमेटी की रिपोर्ट में कुमायूं डिवीजन में लीसे के उद्योग को कैसे उन्नतिशील बनाया जाय इसके लिये क्या-क्या मुख्य सिफारिशें आई हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लीसा के उद्योग के उन्नतिशील होने का कोई प्रश्न नहीं, वह बहुत उन्नतिशील है। टेहरी फारेस्ट में सड़कों की वजह से उन्नतिशील नहीं हो पाता है। कमेटी ने सिफारिश की है कि इस लीसा उद्योग में व्यापक हिस्सा उस क्षेत्र के निवासियों के हाथ में जाना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जो अधिक लीसा बरेली फैक्टरी को दिया गया है उसमें बेनाप भूमि का भी लीसा सम्मिलित है या रिजर्व फारेस्ट का ही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—यह जो सिफारिश सदन की मेज पर रखी गयी है—

"The Committee, therefore, strongly recommends that increased allotments of leesa should be made to the existing manufacturing concerns in the Kumaun Division and to make a beginning at least four more units, one in each district be established with the minimum allotment of 10,000 maunds of leesa per year."

इस पर सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार विचार कर रही है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय प्रतापसिंह जी ने जो पत्र प्रधान मंत्री को इन उद्योगों के सम्बन्ध में भेजा था उसकी प्रतिलिपि उनको प्राप्त हो गयी है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उस पत्र की प्रतिलिपि की बाबत याद नहीं, लेकिन माननीय प्रतापसिंह बड़े सचेत और सतर्क रहते हैं और उस क्षेत्र के बारे में बराबर बात करते रहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इन सिफारिशों को देखते हुए क्या बरेली फैक्टरी की कैपेसिटी न बढ़ा कर और अधिक लीसा गृह उद्योगों को दिया जायगा ताकि वे अधिक पनप सकें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गवर्नमेंट इस बात की जरूरत नहीं समझती। लीसा उद्योग का उस क्षेत्र से जो सम्बन्ध है बड़ी छोटी-सी मात्रा में वह हो रहा है और बहुत सारे हिस्से हैं जहां यह हो सकता है, जिनके सम्बन्ध में विचार हो रहा है और बरेली में जो फैक्टरी लगायी गई है वह उनके रास्ते में आने वाली नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा २९ दिसम्बर, १९५९ के स्थगित प्रश्न]

तिर्वा रजबहे में खांदियों का होना

*१—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गंग डिवीजन, कानपुर तिर्वा रजबहा में बीसवें मील से लेकर तेईसवें मील तक के बीच सन् ५६–५७ व ५७–५८ तथा ५८–५९ के सितम्बर मास तक दाहिनी ओर बाईं पटरी में कितनी खांदियां (breaches) हुईं, उपरोक्त मीलों के बीच किन-किन जगहों पर हुईं और उनकी मरम्मत में सरकार को कितना खर्च प्रति वर्ष उठाना पड़ा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३६ पर)

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनके कारण ये खांदियां हुईं ?

श्री धर्मसिंह—जब कभी वर्षा होती है और कम होती है तो ये खांदियां हो जाया करती हैं ।

बुलन्दशहर जिले में गंगा नदी के राजघाट पर पुल का अभाव तथा नलकूपों का निर्माण

*२—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में गंगा नदी पर राजघाट पर एक पुल बनाने की उसकी योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी नहीं ।

*३—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना में कुल कितना खर्चा होगा और वह कब तक पूरी होगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

*४—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५८ व १९५९ में कितने नये ट्यूब वेल अथवा माइनर बनाये गये ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है ।

* * * *

अजगैन-मलिहाबाद सड़क बनाने की सिफारिश

*८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत अजगैन से मलिहाबाद जाने वाली सड़क के लिये डिप्टी कमिश्नर व चीफ-इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० ने कोई सिफारिश सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)—जिलाधीश, उन्नाव ने इस सड़क के अजगैन–मोहान–हसनगंज भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ले लेने तथा मुख्य अभियन्ता, सार्वजिनक निर्माण विभाग ने १९६०–६१ में उक्त सड़क के पुनः निर्माण की सिफारिश की थी ।

*९—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन अधिकारियों ने जिले की किन-किन सड़कों को पक्की करने की प्राथमिकता देने की सिफारिश सरकार से की है ? उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ?

श्री महावीरसिंह—उपरोक्त सिफारिश के अतिरिक्त और कोई सिफारिश इन अधिकारियों ने नहीं की थी । जिले की तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अजगैन–मोहान–मलिहाबाद सड़क के विषय में जो सिफारिश चीफ इंजीनियर ने की थी उस पर अब तक क्या कार्रवाई अमल में लायी गयी ?

श्री महावीरसिंह—इसको सन् १९६०-६१ में लेने की कोशिश की जा रही है।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आज के दो साल पहले इसी सदन में उत्तर दिया गया था कि यह सड़क शीघ्र ही बनने वाली है और इस पर कार्य आरम्भ किया जायगा ?

श्री महावीरसिंह—जी हां।

श्री सजीवनलाल—तो फिर देरी का क्या कारण रहा ?

श्री गिरधारीलाल—अव्वल तो मुझे याद नहीं है कि उस वक्त क्या कहा था, लेकिन अगर यह कहा था कि जल्दी लेंगे, तो जल्दी के माने प्लान पीरियड की बात होगी। अब यह अन्तिम वर्ष हमारा आ रहा है और जो बजट आयेगा उसके अन्दर हम इस सड़क को पेश कर देंगे और इस पर काम शुरू हो जायगा।

टाण्डा पम्प कैनाल का डिलीवरी टैंक तथा जहांगीरगंज ब्रांच कैनाल का आयोजन

*१०—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा पम्प कैनाल के लिये कुल कितने पम्पों की आवश्यकता है, कितने पम्प आ गये हैं, कितने अभी आने को बाकी हैं और कितने पम्पों की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है ?

श्री धर्मसिंह—कुल ६ पम्पों की आवश्यकता है। दो पम्प आ गये हैं और ४ अभी आने को बाकी हैं। सभी ६ पम्पों की स्वीकृति हो चुकी है।

*११—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा पम्प कैनाल का डिलीवरी टैंक कितने पम्पों के हिसाब का बना है और इसके निर्माण में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्री धर्मसिंह—डिलीवरी टैंक १० पम्पों के हिसाब का बना है और इसके निर्माण का एस्टीमेट १,४९,९०० रुपये का है।

*१२—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहांगीरगंज ब्रांच कैनाल के निकालने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस ब्रांच को कहां से पानी दिया जायेगा और इसकी क्या योजना है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। यह ब्रांच टांडा कैनाल की बाईं पटरी के मील १० से निकाली जावेगी। इसके लिए घाघरा नदी से पानी पम्प द्वारा उठाया जायगा और टांडा नहर के हेड से मील १० तक ले जाया जायगा तत्पश्चात यह पानी जहांगीरगंज ब्रांच में छोड़ दिया जायगा।

इस योजना से फैजाबाद और आजमगढ़ जिलों में उत्तर में घाघरा नदी तथा दक्षिण में पिकिया नदी के बीच के क्षेत्र के लिए पानी दिया जायगा। इससे कुल ३३,९३४ एकड़ की सिंचाई होने की योजना है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष चार पम्प कब तक आ जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—इसके आर्डर्स दे दिये गये हैं और १९६१ के शीतकाल से पहले आने की सम्भावना है और उस समय तक लग जायंगे।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या डेलीवरी टैंक के निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा हो चुकी है ? यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक डेलीवरी टैंक का सम्बन्ध है उसकी स्वीकृति तो हो ही चुकी है और उसका एस्टीमेट भी आ गया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि इस पम्प कैनाल के पूरे होने और उससे पानी मिलने की अवधि बीत चुकी है और उसे अनिश्चित काल के लिये अब टाला जा रहा है इस पम्प के न खरीदने की वजह से ?

श्री धर्मसिंह—इस वक्त फिलहाल दो पम्प चल रहे हैं और उनसे पानी निकाला जा रहा है। जहां तक ४ पम्पों का सम्बन्ध है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन फारेन एक्सचेंज की कमी के कारण दिक्कत पैदा हो गयी है और उसके लिये कोशिश की जा रही है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहांगीरगंज ब्रांच के लिये शेष पम्पों को मंगाने के लिये सरकार विचार कर रही है ताकि नहरों की खुदाई के बाद वे चालू किये जा सकें ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक जहांगीरगंज योजना का सम्बन्ध है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में ली जायगी।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या यह सही है कि बाकी चार पम्पों में से प्रत्येक पर डेढ़ लाख रुपये का खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक एस्टीमेट का सम्बन्ध है वह तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन यह बात नहीं है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं।

लोकोमोटिव कम्पोनेंट वर्कशाप, मड़ुहाडीह को मिलाने वाली सड़कों की निर्माण योजना

*१३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ुहाडीह, जिला वाराणसी में लोकोमोटिव कम्पोनेंट वर्कशाप को जाने वाली दो सड़कों का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही कराया जायेगा ?

श्री महावीरसिंह—कथित सड़कों पर निर्माण-कार्य प्रगति में है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में ७५ प्रतिशत कार्य हो जाने का अनुमान है।

*१४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो यह योजना सरकार के सामने किस तारीख को प्रस्तुत की गई ?

श्री महावीरसिंह—यह योजना दिनांक १ अक्तूबर, १९५८ को प्रस्तुत की गई।

*१५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या उक्त दोनों सड़कें अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी की हैं ?

श्री महावीरसिंह—अन्तरिम जिला परिषद् ने दोनों सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी १ अक्तूबर, १९५८ को प्रस्तुत योजना को फरवरी, १९५९ में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें शामिल न करने का कारण बतायेंगे ?

श्री महावीरसिंह—इसके बारे में जांच होती रही।

* * *

हेडवर्क्स डिवीजन कार्यालय पीलीभीत में स्थापित करने तथा निगोही ब्रांच से माइनर्स निकालने की प्रार्थना

*१७—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र दिनांक ६-८-५८ पर जिस में हेडवर्क्स डिवीजन का दफ्तर पीलीभीत में स्थापित करने तथा निगोही ब्रांच सारदा नहर से दो माइनर्स निकालने की मांग की गई थी, क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—प्रशासकीय कारणवश इन सुझावों को कार्यान्वित करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

गुलावटी का नलकूप

*१८—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा गुलावटी, जिला बुलन्दशहर में एक सरकारी ट्यूबवेल बिजली न मिलने के कारण गत सात वर्षों से बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है ।

* * *

गोंडा जिले में मोतीगंज-डुमरियाडीह सड़क तथा सरजू के पुल की निर्माण योजना

*२०—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में मोती गंज स्टेशन से डुमरियाडीह तक वह सड़क बनाने जा रही है ? यदि हां, तो सड़क पर कार्य कब शुरू होने जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—इस सड़क के २ मील मोतीगंज स्टेशन से सोहांस भाग का निर्माण हो चुका है । सोहांस से डुमरियाडीह तक का निर्माण चालू योजना में सम्मिलित नहीं है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*२१—श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में राप्ती पर पुल कब तक बन जायेगा और जिले में वह कहां-कहां पुल बनाने जा रही है उन पुलों का नाम क्या है और कितनी लागत पर बनेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—१९६१ तक तैयार हो जाने की आशा की जाती है ।

द्वितीय भाग—बाराबंकी-गोंडा सड़क में सरयू नदी पर । अनुमानित लागत १५.०० लाख रुपये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

हाथरस में उद्योग बढ़ाने के लिए बिजली की मांग

*२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने किलोवाट विद्युत् का उत्पादन होता है और उसमें से कितने किलोवाट का उपयोग होता है ?

श्री धर्मसिंह---उत्तर प्रदेश में निजी तथा सरकारी बिजली कम्पनियों की installed capacity ३,४६,७५६ K.W ह तथा उन में ९६,२९,६२,७१६ यूनिट का उत्पादन होता है इस में से ७४,९१,१६,०६२ यूनिट का उपयोग होता है ।

*३---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विद्युत् के उत्पादन में से औद्योगिक कारखानों क लिये कितने किलोवाट बिजली का प्रयोग होता है ?

श्री धर्मसिंह---३९,९४,४९,२३२ यूनिट बिजली औद्योगिक कारखानों में प्रयोग होती हैं ।

*४---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कम से कम पांच हजार किलोवाट विद्युत् शक्ति हाथरस में उद्योगों के बढ़ाने के लिये आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये सरकार कोई आश्वासन नहीं दे सकती ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन कारणों से कैपेसिटी से कम उत्पादन हो रहा है और वह विद्युत् शक्ति को वितरित करने के सम्बन्ध में उदारता का परिचय देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---माननीय सदस्य जिन आंकड़ों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं, हमारे यहां जो उत्पादन होता है उसी के फिगर्स दिये हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार बतायेगी कि उद्योगों के लिये कितने किलोवाट बिजली की मांग है, इसको बढ़ाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है और वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, अलग से निर्णय नहीं किया जाता है और जहां-जहां आवश्यकता पड़ती है उसके लिये बिजली उपलब्ध की जाती है । जहां तक बिजली के बढ़ाने का सम्बन्ध है सरकार उसके लिये प्रयत्न कर रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी बिजली पैदा कर सके, करे ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में बिजली की आवश्यकता है फिर भी कैपेसिटी से कम उत्पादन होने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---इस वक्त खास कारण फारेन एक्सचेंज की दिक्कत है । हरदुआगंज के कुछ सवाल हल हुये हैं, इससे उम्मीद है कि १९६२ तक कमी पूरी होगी । इसके अलावा और जगह जहां-जहां बिजली कम उत्पन्न हो रही है, ऐसी उम्मीद है कि १९६२ तक बहुत कमी पूरी हो जायगी ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कैपेसिटी है उससे कम उत्पादन करने में विनिमय का प्रश्न कहां बाधक होता है और ट्रांसमिशन के जो लासेज होते हैं, उनका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---यह कमी नहीं है और जितनी बिजली पैदा कर सकते हैं उतनी की जा रही है और ट्रांसमिशन के जो लासेज होते हैं उतने तो हमेशा हुआ करते हैं, यह कोई ज्यादा नहीं हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक कारखानों के लिये जितनी बिजली दी जाती है और दूसरे कामों के लिये जितनी बिजली दी जाती है उसमें कोई अनुपात है ?

श्री गिरधारीलाल--अनुपात तो यह है कि इतनी बिजली औद्योगिक कार्यों के लिये दी जाती है, कुछ ट्यूबवेल्स वगैरह के लिये इस्तेमाल की जाती है और बहुत थोड़ी-सी लाइट और फैन्स के लिये डोमेस्टिक कार्यों के लिये दी जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस बात को देखते हुए कि बिजली की मांग बहुत अधिक है इस उत्पादित बिजली में से भी २२ करोड़ का उपयोग क्यों नहीं हो पाता है ?

श्री धर्मसिंह--जी, वह तो हो नहीं सकता। जहां तक एलेक्ट्रिसिटी की बात है कुछ उसका परसेंटेज ट्रांस फार्मर में और पावर हाउसेज में जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उनमें वह खर्च हो ही जाता है। इसलिये वह नहीं हो पा रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--इन कारखानों में जो बिजली का उपयोग कम हो रहा है क्या इसका कारण यह नहीं है कि रेट बहुत हाई है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं, यह बात नहीं है। जहां तक रेट्स का सम्बन्ध है अगर बिजली हो तो और भी अधिक रेट्स पर लेने को वह तैयार हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के उद्योगों के लिये कितने किलोवाट की मांग आ चुकी है और फिलहाल कितने किलोवाट का आश्वासन उनको मिल सकता है ?

श्री धर्मसिंह--ये आंकड़े तो मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जैसा कि एक खास टाउन के लिये, हाथरस के लिये माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो उसके लिये कोई खास एलाटमेंट इस तरह से नहीं होता है कि इनको इतना दे दिया जाय। यह तो तमाम सूबे के लिये जहां से जितने प्रार्थना-पत्र होते हैं, उन सबको देखते हुये इन्तजाम किया जाता है।

[९ फरवरी, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बुलन्दशहर जिले में राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत जमा धन

*१--**श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में तहसील अनूपशहर में १९५९ में कुल कितना रुपया अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत दाखिल हुआ और कितना रुपया इस अवधि के अन्तर्गत निकाला गया ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--डाकखानों में आंकड़े तहसीलवार नहीं रखे जाते, इसलिए तहसील में जमा की गई रकम बताना साधारणतया सम्भव नहीं होता। तथापि जिलाधीश द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ३० नवम्बर, १९५९ तक अनूपशहर तहसील में कुल ४,६८,१९२ रुपया राष्ट्रीय बचत योजना में जमा हुआ तथा कुल ४,९२,२२६ रुपया निकाला गया।

बुलन्दशहर जिले में सड़कों का निर्माण

*२--**श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित)-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५८ व १९५९ ई० में कौन-कौन सी नई सड़कें बनायी गयीं ?

श्री गिरधारी लाल--यह सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७३७ पर।)

*३-४--**श्री मुक्तिनाथराय**--[१८ फरवरी, १९६० के प्रश्न २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कुरावली सब-स्टेशन की विद्युत् शक्ति बढ़ाने की प्रार्थना

*५--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९ में मैनपुरी के बिजली देने वाले अधिकारियों ने ऐसे पत्र सरकार के पास भेजे हैं कि मैनपुरी जिले में कुरावली के सब-स्टेशन पर बड़ा ट्रान्सफार्मर शीघ्र ही भेज दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

*६---श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो उन पत्रों के सिलसिले में क्या हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुरावली सब-स्टेशन पर जो पावर हाउस में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको अलीगंज तक ले जाने के लिये कई बार आफिसर्स ने रिपोर्ट की कि यहां ट्रांसफार्मर बड़ा होना चाहिये और बड़ा न होने के कारण बिजली हम नहीं दे सकते हैं ?

श्री धर्मसिंह---कुरावली में कोई पावर हाउस नहीं है। वहां पर ७५ किलोवाट का एक सब-स्टेशन लगा हुआ है। उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मलिखानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस ट्रांसफार्मर को बढ़ाने के लिये वहां के उच्च अधिकारियों ने कुछ लिख कर सरकार के पास भेजा है कि यहां पर ट्रांसफार्मर की जरूरत है ?

श्री धर्मसिंह---इस बात की इत्तला मेरे पास इस समय नहीं है। मैंने निवेदन किया कि ७५ किलोवाट का ट्रांसफार्मर वहां पर है और इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उसकी कैपैसिटी बढ़ा दें।

निगोही ब्रांच नहर सम्बन्धित खांदियां तथा सिंचाई कार्य

*७---श्री मुनीन्द्रपालसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा नहर की हेडवर्क्स तथा शाहजहांपुर डिवीजनों में स्थित नहर निगोही ब्रांच व उसकी शाखाओं में इस वर्ष खरीफ की सिंचाई में कितनी खांदियां हुईं ?

श्री गिरधारीलाल---खरीफ १३६७ फसली में निहोगी ब्रांच में हेड से २२ मील तक जो कि हेडवर्क्स डिवीजन में है, कोई भी खांदी नहीं काटी गई। किन्तु शाखा के निचले भाग में और उससे निकलने वाली छोटी शाखाओं में १२५ बार खांदी काटी गईं।

*८---श्री मुनीन्द्रपालसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त नहर व उसकी शाखाओं से वर्ष १९५८-५९ व १९५९-६० में अब तक अलग-अलग खरीफ की कितने एकड़ सिंचाई हुई ?

श्री गिरधारीलाल---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७३८ पर।)

कालापानी-लीपूलेक मार्ग तथा गोरी गंगा पर पुल का निर्माण

*९---श्री प्रतापसिंह---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा में लीपूलेक से कालापानी तक मोटर रोड बनाई गई है ? यदि हां, तो कितने मील ?

श्री महावीरसिंह---कालापानी से लीपूलेक तक एक पैदल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लम्बाई १२ मील है।

*१०—श्री प्रतापसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सड़क को किस प्रमुख सड़क से मिलाया गया है ?

श्री महावीर सिंह—यह सड़क धारचुला गरब्यांग पैदल मार्ग से मिलती है ।

*११—श्री प्रतापसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौलजीवी में काली व गोरी के संगम पर पुल के निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक वह योजना कार्यान्वित होगी ?

श्री महावीर सिंह—जौलजीवी काली व गोरी के संगम के निकट गौरी गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है । इसके एबटमेंट पर कार्य अभी हाल ही में आरम्भ किया गया है और आशा है कि यह कार्य बरसात से पहले समाप्त हो जावेगा ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय निर्माण मन्त्री को यह पता है कि लीपूलेक हमारा आखिरी पास है और उसके तीन मील पर पाला चाइनीज की टेरीटरी है जहां लासा से मोटर रोड आयी है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की करेंगे कि लीपूलेक से कालापानी तक क्या स्ट्रेटेजिक इम्पार्टेंस है, किस मन्तव्य से वह बनाया गया जब कि कालापानी स धारचुला, ५५ मील तक कोई रोड नहीं है ?

श्री महावीरसिंह—बहुत से सवाल एक साथ पूछ लिये गये हैं । लेकिन यह सत्य है कि वह पैदल वाला मार्ग है और पैदल वाला मार्ग ही उस तरफ से भी आया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री पुनः इस बात की जांच कराने के बाद फिर से उत्तर देने की कृपा करेंगे कि इसमें जो १२ मील का तज़किरा किया गया है, यह पदल मार्ग नहीं है बल्कि यह जीपेबिल रोड है जो कि लीपूलेक से कालापानी को ३ मील पर मिलाती ह और धारचुला से गरब्यांग तक जो बकरी का रास्ता हो जाता है वह वही रास्ता है और विभाग की तरफ से कोई रास्ता नहीं बना ?

श्री महावीरसिंह—समझने में माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो रही है । जो पैदल का रास्ता होता है वह चौड़ा होता है । जो खतरा उठा कर जीप ले जाना चाहे वह ले जा सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लीपूलेक से कालापानी तक जो रोड बनी है उसकी चौड़ाई क्या है ?

श्री महावीरसिंह—अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की पुनः जांच करायेंगे कि गलतफहमी क्यों हो रही है ? यह गलतफहमी वहां के सब रहनेवालों को है जिन्होंने उसको आंखों से देखा है, इसको क्या वह मंजूर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह इस बात को मन्जूर करते हैं कि पैदल के रास्ते पर भी जीप चल सकती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार ने जो टेंडर काल किया था सड़क का उसमें स्पेसिफिकेशन कितनी चौड़ाई का दिया गया ?

श्री महावीरसिंह—जो ब्राइडल पाथ यानी पैदल मार्ग का स्पेसिफिकेशन होता है, उतना ही दिया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पैदल मार्ग की चौड़ाई आपके पी० डब्लू० डी० विभाग ने कहीं पर स्पेसिफाई की है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री महावीरसिंह---जैसी है वह फिक्स है। कहीं ५ है और कहीं ६ है और कहीं ४ है।

श्री प्रताप सिंह---क्या यह सही है कि निर्माण विभाग, लखनऊ से कुमायूं डिवीजन को यह हुकुम गया कि बार्डर पर एक मोटर रोड बननी चाहिए? वहां के इंजीनियरों ने लीपूलेक से कालापानी वाली सड़क को ईजी समझा और पहले उसका ही निर्माण किया गया?

श्री गिरधारीलाल---अभी तक वहां पर मोटरेबिल रोड का कोई प्रोग्राम नहीं था। आजकल जरूर इस बात को सोचा जा रहा है और चौड़ा किया जायगा। ब्राइडल पाथ जिसकी चौड़ाई की बात बराबर कही जाती है, आमतौर पर पी० डब्लू० डी० पहले मोटरेबिल रोड लेती है उसके बाद पैदल मार्ग को लेती है। वहां पर बहुत से पैदल रास्ते ऐसे हैं जिन पर जीप चल सकती है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि काली व गोरी के संगम पर जो पुल बन रहा है उसका काम कब से शुरू हुआ है?

श्री महावीरसिंह---आपने जवाब गलत समझा है, उसको जरा फिर से देखने का कष्ट करें।

श्री प्रतापसिंह---मन्त्री जी ने जवाब में बतलाया है कि काली गोरी के संगम पर एक पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसका क्या एस्टीमेट है और उसका काम कब से शुरू हुआ है?

श्री महावीरसिंह---वह उनके संगम पर नहीं बन रहा है बल्कि जौलजीवी में काली गोरी के संगम के निकट बन रहा है।

श्री प्रतापसिंह---उसका निर्माण कब से शुरू हुआ है? क्या एस्टीमेट है?

श्री महावीरसिंह---उसका एस्टीमेट ५.४३ लाख है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि रुड़की में जो पुल बन रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिये, के० एम० ओ० यू० के जिन आदमियों से कहा गया उन्होंने यह बतलाया कि यह पुल डिफेक्टिव बन रहा है और उसको फिर से बनाना पड़ेगा?

श्री महावीरसिंह---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सूचना देने पर पता लगाया जा सकता है।

इलाहाबाद व लखनऊ बिजली कम्पनियों से सम्बन्धित रेटिंग कमेटियां

*१२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या उसने गत दो-तीन वर्षों में इलाहाबाद व लखनऊ की बिजली कम्पनियों के सम्बन्ध में रेटिंग कमेटियों की नियुक्ति करने के निर्णय की घोषणाएं की थीं? यदि हां, तो कब-कब और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

२७ सितम्बर, १९५७ तथा ६ सितम्बर, १९५८ को प्रथम रेटिंग कमेटी की नियुक्ति के विरुद्ध यू० पी० एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने सरकार के पास प्रतिवेदन (representation) किया जिसके फलस्वरूप १९५६-५७ के वार्षिक लेखों के परीक्षण होने तक कमेटी का कार्य स्थगित कर दिया गया। द्वितीय रेटिंग कमेटी भी अपना कार्य करने में असमर्थ रही, क्योंकि उक्त कम्पनी ने तथा बिजली कम्पनियों के एसोसिएशन ने उक्त कमेटी में अपना प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया। १ अप्रैल, १९५९ से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के बन जाने पर यह मामला परिषद् क सुपुर्द कर दिया गया है।

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अब राजकीय बिजली बोर्ड उक्त शहरों के बिजली के रेटों की जांच करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त करने वाला है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कमेटियों की नियुक्ति इसलिये की गई थी कि सरकारी आडिटरों ने यह एतराज किया था कि लखनऊ और इलाहाबाद की बिजली कम्पनियां नियम विरुद्ध मुनाफाखोरी कर रही हैं ?

श्री धर्मसिंह—उनके जो रेट्स थे उनसे ऐसा मालूम होता था कि वे अधिक हैं इस पर रेटिंग कमेटी की नियुक्ति की गयी थी और की जाया करती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बिजली कम्पनियों द्वारा उक्त कमेटियों की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक पहली कमेटी का संबंध है, जैसा मैंने निवेदन किया, सरकार ने एक रेप्रेजेंटेशन के आधार पर, जो कम्पनी द्वारा दिया गया था, उसे स्थगित कर दिया और जहां तक दूसरी कमेटी का संबंध है, उसमें कानूनी रुकावटें इस प्रकार की थीं और चूंकि कोई प्रतिनिधि उन्होंने अपना नहीं भेजा और उस बारे में हमने गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से भी जानने की कोशिश की कि हम क्या करें, तो इन हालात में उस बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ने अपने कानून वाले मुहकमें से भी कोई सलाह ली कि इन कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकती है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—ला डिपार्टमेंट से भी सलाह ली और वह इसी नतीजे पर पहुंचा कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट है और इसमें जहां तक कानून का प्रश्न है, उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक विद्युत् परिषद् का संबंध है उसने इन कम्पनियों को ८ अक्तूबर, १९५९ को एक नोटिस दिया है, रेटिंग कमेटी बैठाने के बारे में।

श्री चन्द्रजीत यादव—जब सरकार ने आडिटरों की रिपोर्ट पर और रेट्स में गड़बड़ी होने के नाते उस कमेटी की नियुक्ति की थी तो फिर कौन-सी विशेष बात कम्पनी के रेप्रेजेन्टेशन में थी जिसको ध्यान में रख कर उस कमेटी के काम को स्थगित किया था ?

श्री धर्मसिंह—रेटिंग कमेटी बैठाने की कुछ शर्तें हुआ करती हैं कि उसमें किसके कितने कितने प्रतिनिधि हों। दूसरी कमेटी में पांच प्रतिनिधि होने चाहिये थे जिसमें एक कम्पनी का प्रतिनिधि होता और एक एसोसियेशन का प्रतिनिधि होना चाहिये था। वह दोनों मनोनीत नहीं हो सके और इस कारण यह दिक्कत रही।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बात को देखते हुये कि यह सब्जेक्ट कांकरेंट लिस्ट में है स्वयं सरकार क्या इस बात का प्रयत्न करेगी कि वह संशोधन करे और इस प्रकार की रेटिंग कमेटी बैठाये कि जो कुछ सफल हो सके और सरकार भी उनके खिलाफ कार्यवाही कर सके ?

श्री धर्मसिंह--जैसा मैंने निवेदन किया, गवर्नमेंट आफ इंडिया का यह ऐक्ट है और इस मामले में उत्तर प्रदेश को जो जो दिक्कतें आती हैं वे उनको रेफर की जाती हैं और जहां तक इस रेटिंग कमेटी का संबंध है यह सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के सामने विचाराधीन है कि क्या किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या इस रेटिंग कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस में इस बात को भी रखने का ध्यान रखा है कि जो इन इलाहाबाद और लखनऊ की कम्पनियों ने हिसाब में गड़बड़ी की है और जिसकी ओर आडिटरों ने संकेत किया है, उसकी भी जांच की जाय ?

श्री धर्मसिंह--जैसा मैंने निवेदन किया यह मामला गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने है और उसका निर्णय होने के बाद हम उसको रेफरेंस करेंगे।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् ने इन कम्पनियों को आखिरी बार नोटिस दिया है कि वे अपने यहां रेटिंग कमेटी बैठायें और प्रतिनिधि भेजें, तो इसके उत्तर में इन कम्पनियों ने क्या लिखा है ?

श्री धर्मसिंह--उनका कहना है कि बैठने का अधिकार नहीं है, इसलिये वह मैटर गवर्नमेंट आफ इंडिया को रेफर हुआ, खुद कम्पनी ले गयी। जब कभी सरकार और कम्पनी में रेटिंग के बारे में या और किन्हीं मसलों पर लड़ाई-झगड़े होते हैं और कोई निर्णय नहीं होने पाता तो वह सेंटर को रेफर किये जाते हैं।

बिजली की दर घटाने के लिए जौनपुर से प्रार्थना-पत्र

*१४--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस वर्ष १९५९ में जौनपुर के नागरिकों की ओर से बिजली की दर घटाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र आया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। सरकार ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर विचार किया। चूंकि जौनपुर की बिजली कम्पनी का लाभ निर्धारित सीमा से कम पाया गया, अतः सरकार कम्पनी की दरों में हस्तक्षेप करने में कानूनन असमर्थ रही।

पूरनपुर को बिजली देने की प्रार्थना

*१५--**श्री मुनीन्द्रपालसिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कस्बा पूरनपुर, जिला पीलीभीत में विद्युत् पहुंचाने का आयोजन है या नहीं ? यदि हां, तो किस वर्ष पहुंचाई जाने वाली है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

भोगांव को बिजली देने की प्रार्थना

*१६--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में मैनपुरी के पावर हाउस से भोगांव टाउन एरिया को बिजली कब तक मिल सकेगी ?

श्री धर्मसिंह--निकट भविष्य में बिजली देना सम्भव नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भोगांव अपने नाम से बदनाम जगह है, फिर भी उसको बिजली देने में निकट भविष्य में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री धर्मसिंह--बिजली देने में कोई आपत्ति बदनाम होने की वजह से नहीं है। जब तक हरदुआगंज वाला स्टेशन बन कर तैयार न हो जाय तब तक बिजली सप्लाई नहीं की जा सकती।

श्री मलिखानसिंह--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि डिवीजनल प्लानिंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा था कि मैनपुरी की करहल और भोगांव दोनों टाउन एरियाओं में बिजली पहुंचना बहुत जरूरी है ?

श्री धर्मसिंह--करहल के बारे में तो मुझे इत्तिला नहीं है, जहांतक भोगांव का संबंध है उसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भोगांव का असर उन पर भी हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल--उस असर को बचाने की वजह से ही बिजली अभी नहीं दी गयी है ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पश्चिमी जिलों में किसी भी टाउन को बिजली विद्युत परिषद् ने इस वर्ष नहीं दी ?

श्री धर्मसिंह--सेकेंड फाइव ईयर प्लान में टाउन एरियाओं को बिजली देने के लिये १ करोड़ रुपया था जिसके अन्तर्गत ८५ लाख के करीब खर्चा कर दिया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितना पैसा बचा है जहांतक कम से कम खर्चे में हम जहां-जहां बिजली दे सकते हैं वहां दे रहे हैं ।

अलीगढ़ में ट्रेजरी को कलेक्टरी स्टाफ से अलग करना

*१७--**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ में ट्रेजरी को अप्रैल, सन् १९५८ से कलेक्टर के स्टाफ से अलग कर दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--'जी हां, जैसा हर जिले की ट्रेजरी में हुआ है वैसा ही अलीगढ़ में भी अलग कर दिया गया है ।

अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों व राजनीतिक पेन्शनरों को आर्थिक सहायता देने की प्रार्थना

*१८--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने आजकल असाधारण महंगाई के कारण रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों व स्वतंत्रता संग्राम के उन सैनिकों को जिनको कि सौ रुपये तक मासिक पेंशन मिलती है कुछ आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कब से और किस अनुपात से ?

श्री सैयद अली जहीर--रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में १ अप्रैल, १९४७ से निम्नलिखित दरों पर अस्थायी वृद्धि दी जा रही है:--

६० रु० प्रतिमास से कम पेंशन पर	५ रु० प्रतिमास
६० रु० प्रतिमास से अधिक और १०० रु० प्रतिमास से कम पेंशन पर ।	६ रु० प्रतिमास
१०० रु० प्रतिमास से अधिक लेकिन १०६ रु० प्रतिमास से कम पेंशन पर	वह धनराशि जिससे कुल पेंशन १०६ रु० प्रतिमास हो जाय।

किन्तु उपर्युक्त वृद्धि उन व्यक्तियों को नहीं मिलती जिन्हें निम्नलिखित कारणों से बढ़ी हुई दरों पर पेंशन मिल रही है ।

१--१ अप्रैल, १९५५ से कम वेतन पाने वालों के वेतन में पेंशन के लिये महंगाई भत्ते का आधा भाग मिलाया जाना ।

२--१ अप्रैल, १९५९ से पेंशन के लिये वेतन में सारे मूल महंगाई भत्ते का मिलाया जाना ।

जहां तक स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पेंशन अथवा अनुदान का संबंध है उन्हें यह पेंशन या अनुदान बढ़ी हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुये ही स्वीकृत किये जाते हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बढ़ी हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को अगले वित्तीय वर्ष में कम से कम ३० रुपया मासिक पेंशन देने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि जब पेंशन मुकर्रर की जाती है तो सब बातों का लिहाज करके की जाती है कि क्या महंगाई है, क्या जरूरत है, कितना पया है।

दर्शक दीर्घा में शार्ट सर्किट से आग

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, सामने दर्शक दीर्घा में काफी धुआं निकलता दिखाई दे रहा है, क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं वहां पर कोई खतरा मालूम होता हो तो माननीय दर्शक जो वहां बैठे हैं वह गैलरी को खाली कर दें। कहीं कुछ जल तो नहीं रहा है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---शायद डी०डी०टी० छिड़की जा रही है।

श्री अध्यक्ष---थोड़ी देर के लिये जो दर्शक उस गैलरी में बैठे हुये हैं वे दूसरी तरफ आ जायें और उसको खाली कर दें।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

अस्क्रू टिम्बर ट्रीटमेंट प्लाण्ट का क्रय

*१९---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जाति की लकड़ी की उपयोगिता को बढ़ाने के लिये वित्तीय वर्ष १९५९-६० में एक "अस्क्रू टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट" को खरीदे जाने का निश्चय किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां।

*२०---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्लांट की कीमत क्या होगी और क्या यह मशीन देश में ही मिल जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर---१०,००० रु०। जी हां।

*२१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मशीन के इस्तेमाल करने से और क्या फायदे वन विभाग को प्राप्त होंगे ?

श्री सैयदअली जहीर---लकड़ी की उपयोगिता २ से २० साल तक बढ़ जायेगी जिसके फलस्वरूप धन की बचत होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मशीन देश के किस कारखाने में तैयार करायी गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह मशीन कलकत्ते के कारखाने में बनी है और वहां से ही इसको खरीदा गया है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्क्रू कोई रासायनिक पदार्थ है जिसके उपयोग से लड़की की उपयोगिता २ से २० साल तक किस प्रकार बढ़ जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि कई चीजें शामिल करके इस चीज को बनाया गया है और इस मशीन के जरिये से लकड़ी के ऊपर रंग चढ़ा दिया जाता है। यह रोगन जैसी कोई चीज होती है। सके चढ़ा से लकड़ी की लाइफ बहुत बढ़ जाती है।

दर्शक दीर्घा में शार्ट सर्किट से आग

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, सामने वाली गैलरी में धुआं अब भी दिखाई दे रहा है और वह पहले से ज्यादा हो गया है। मेरा निवेदन है कि जब तक यह धुआं बन्द न हो जाय, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, मैं दस मिनट के लिये सदन को स्थगित किये देता हूं। जो दर्शक इस गैलरी में बैठे हुये हैं वे कृपा करके उसे खाली कर दें।

(११ बजकर ४३ मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित की गयी। ११ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री अध्यक्ष---मैं पहले यह सूचना दे दूं कि दर्शक दीर्घा में स्वीच बोर्ड के जरिये से आग लग गई थी, किसी और वजह से नहीं लगी थी। स्वीच बोर्ड से आग पहले दीवाल में और फिर फर्नीचर में लग रही थी।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्लांट के द्वारा झोंपड़ियों के लिये लकड़ी का अस्क्रू ट्रीटमेंट करके उसे उपयोगी बनाया जा सकता है?

श्री सैयद अली जहीर---हर लकड़ी जो अस्क्रू से ट्रीट की जायगी, वह उपयोगी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मशीन कहां पर लगाई जायगी और किस प्रकार की लकड़ी पर इसका उपयोग किया जायगा क्योंकि वन विभाग का इलाका तो सारे प्रान्त में है?

श्री सैयद अली जहीर---अमूमन यह होता है कि जंगल में बहुत जगहों पर तार वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि मवेशी वगैरह न जायं और हमारे दरख्त सुरक्षित रह सकें, इसके लिये लकड़ी के खम्बे इस्तेमाल होते हैं। चूंकि उन लकड़ी के खम्भों में बहुत जल्दी दीमक लग जाती है और उनको बार-बार बदलना पड़ता है, इसलिये यह प्लांट लगाया गया है कि लकड़ी के खम्भों को ट्रीट करके हम लगायें ताकि उनकी जिन्दगी बढ़ जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में पहले भी कई बार जैसे अल्मोड़ा म्युनिसिपैलिटी में ऐसा किया गया, लेकिन उस लकड़ी से कोई फायदा नहीं हुआ और वह बहुत जल्द सड़ गई?

श्री सैयद अली जहीर---माननीय सदस्य को तजुरबा होगा, मुझे नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)----क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्होंने कोई तजुरबा किया है या ऐसे ही जान लिया कि इससे लकड़ी सुरक्षित हो जाती है?

श्री सैयद अली जहीर---इसके ऊपर बहुत अरसे से विचार हो रहा था और काफी तहकीकात करने के बाद इसको खरीदा गया।

सिंचाई योजनाओं की प्रगति

२२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में ३० नवम्बर, १९५९ तक (१) सिंचाई की छोटी योजनाओं, और (२) पानी की बिजली की योजनाओं में कहां-कहां और कितनी कितनी प्रगति हुई है?

श्री धर्मसिंह--- सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रश्न की सूचना दिये हुये दो महीने हो गये, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सूचना एकत्र करने में इतनी देर क्यों लग रही है और क्या वह मार्च के अन्त तक एकत्र हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल--देर इसलिये लग रही है क्योंकि पूरे प्रांत की सूचना मांगी गई है। मार्च तो बहुत दूर है, मैं समझता हूं कि सूचना जल्द ही, इस माह के अन्दर आ जायगी।

कानपुर में केसा के कर्मचारियों को सेवा सम्बन्धी सुविधायें देने की मांग

*२३--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० स्टेट एलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड में कौन-कौन से सरकारी प्रतिष्ठान सम्मिलित किये गये हैं ? इस बोर्ड के अन्तर्गत लिये जाने पर उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड तथा ग्रेचुटी आदि की शर्तों में कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री धर्मसिंह--विद्युत विभाग (रिहन्द को छोड़कर) तथा कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन सम्मिलित किये गये हैं। इन प्रतिष्ठानों को बोर्ड के अन्तर्गत लिये जाने पर इनके कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड तथा ग्रेचुटी की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

*२४--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के केसा के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों तथा परिस्थितियों (Terms and conditions of service) में कोई परिवर्तन इस प्रतिष्ठान के यू० पी० स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सम्मिलित कर लिये जाने के बाद किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--कोई परिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि अभी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

*२५--श्री मदन पांडेय--क्या यह सत्य है कि फरवरी, सन् १९५७ में कानपुर लेनिन पार्क में एक आम सभा में मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी ने केसा के कर्मचारियों की आवास समस्या के समाधान हेतु अविलम्ब केसा कालोनी के निर्माण का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस दिशा में इस समय तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। केसा के औद्योगिक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स बनाने का निश्चय किया गया है। निर्माण के लिये अभी तक उपयुक्त भूमि नहीं प्राप्त हो सकी है। इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रतिष्ठानों को बोर्ड में लिये जाने के बाद, उनके कर्मचारियों की तरफ से कोई सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से मांग आई है कि उनकी ग्रेचुटी और प्राविडेंट फंड की अवस्थाओं में कुछ सुधार और संशोधन किये जायं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और किन कारणों से उसपर ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह--इस प्रकार की शिकायत नहीं आई। पहली अप्रैल से पहले जो नियम लागू थे वही अब भी लागू हैं।

श्री मदन पांडेय--क्या सरकार इस संबंध में कुछ सुधार और परिवर्तन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और क्या ?

श्री धर्मसिंह--इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय—किन किन स्थानों पर भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया और उसमें क्या कठिनाई रही ?

श्री धर्म सिंह—उस समय के वित्त मंत्री को वहां की यूनियन ने ६, ७ स्थान बताये सिविल लाइंस में गुलाब बाबू का अहाता, एक मुस्लिम कब्रिस्तान और रेलवे लाइन के बीच की जमीन, ग्वालटोली के पास रेलवे स्टेशन की जमीन, रानीगंज के पास खाली जमीन, कर्नलगंज में छोटे मियां का अहाता और कानपुर शुगर वर्क्स से मिली हुई जमीन, लेकिन इन सब में कोई न कोई कठिनाई पैदा हुई।

*२६-२८—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में विरैचा-ढढेवा सड़क के निर्माण पर व्यय तथा छोटी गंडक पर बांध की आवश्यकता

*२९—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में विरैचा से ढढेवा तक बाढ़ विभाग द्वारा कच्ची सड़क पर जो मिट्टी डाली गई है, उसकी पूरी योजना क्या है ? उसमें अब तक क्या प्रगति हुई तथा अब तक कितना धन खर्च हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—इस कच्ची सड़क का निर्माण-कार्य गोरखपुर जिले में गांव ऊंचा करने की योजना के अन्तर्गत हुआ है। विरैचा से ढढेवा तक सड़क बनाने का कार्य पूरा हो गया है और उस पर कुल ८,५०६ रुपये व्यय हुआ है।

*३०—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह गोरखपुर जिले के छोटी गंडक नदी के दोनों किनारों पर बांध बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

राज्य के नलकूप

*३१—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने नलकूप चल रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं ?

श्री गिरधारीलाल—प्रदेश में इस समय ५,९३० नलकूप चल रहे हैं और ६२ बन्द पड़े हैं।

खीरी जिले में नलकूपों का निर्माण

*३२—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी की तीनों तहसीलों में अलग-अलग कितने सरकारी ट्यूब वेल बने हैं और कितने और बनने वाले हैं ?

श्री गिरधारीलाल—सिंचाई विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत बनाये गये राजकीय नलकूपों के संबंध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७३९ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३३—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—[३सरे बुधवार को प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३४—३६—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३७–३८—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३९–४०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४१–४२—श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४३—श्री रामस्वरूप वर्मा—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४५–४६—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४७—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री अमरनाथ—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ९७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*४८—श्री शिव प्रसाद नागर—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४९–५०—श्री ऊदल—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

चन्दौसी में राब पर बिक्री-कर

*५१—श्री शिवराजसिंह यादव—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चन्दौसी (जिला मुरादाबाद) मंडी में गत सीजन में राब की बिक्री पर राब बेचने वाले किसानों से आढ़तियों ने बिक्री-कर वसूल किया?

*५२—यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है। इस सम्बन्ध में पूछ ताछ की गई है और सूचना मिलने पर जो भी कार्यवाही जरूरी समझी जायगी सरकार द्वारा की जायगी।

ललितपुर ब्रांच में निर्मित नहरों व गूलों के विरुद्ध शिकायत

*५३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर ब्रांच (जिला झांसी) से जनवरी, सन् १९५७ से जुलाई, १९५९ तक कितने मील नहरें व गूलें बनवायी गयी हैं और अब तक उन पर कितना रुपया व्यय हो चुका है?

श्री गिरधारीलाल—३८ मील लम्बी नहरें तथा ११ मील लम्बी गूलें बनवाई गई हैं और उन पर ५,८०,८६३ रुपये व्यय हुआ है।

*५४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उक्त ब्रांच से निकाली गई नहरों व गूलों से बसतगुवां माइनर व डुलावन गूल और इमलिया माइनर के टेल से निकाली गई गूल में पानी नहीं चढ़ता जिसके कारण कोई सिंचाई न हो सकी ? यदि हां, तो उक्त काम के जिम्मेदार इंजीनियर तथा ओवरसियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—डुलावन गूल तथा इमलिया माइनर की टेल गूल सन्तोषजनक रूप से चलती रहीं और अपने क्षेत्र में सिंचाई की मांग को पूर्ण करती रहीं। बसतगुवा माइनर का निर्माण पिछली रबी में पूर्ण नहीं हुआ था इसलिये वह नहीं चलाई गई थी। यह इस रबी में चलेगी।

इस विषय में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*५५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर के पास ललितपुर नहर एक ही स्थान के आस-पास अनेक बार टूट चुकी है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*५६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*५७–५९—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६०–६२—श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६३–६४—श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इटावा जिले में निर्माण-कार्य

*६५—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जिला इटावा में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से निर्माण-कार्य करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी सरकार के विचाराधीन है।

*६६—श्री भजनलाल—क्या इस योजना के अन्तर्गत जिला इटावा की सड़कों का निर्माण-कार्य भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें प्रमुख हैं और यदि उक्त योजना में जिला इटावा की सड़कों का निर्माण-कार्य सम्मिलित नहीं किया गया है, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—इस जिले की तृतीय पंचवर्षीय योजना भी अभी विचाराधीन है।

प्रमुख अरण्यपाल के लखनऊ कैम्प कार्यालय में डाक व्यय

*६७—श्री प्रतापसिंह—प्रमुख अरण्यपाल के लखनऊ के कैम्प कार्यालय पर मासिक व्यय के सम्बन्ध में १० मार्च, १९५९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कार्यालय में डाक के लाने वाले जाने इत्यादि पर कितना खर्च प्रतिमाह हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रमुख अरण्यपाल के लखनऊ के कैम्प कार्यालय में डाक लाने और ले जाने पर औसतन ७२५ रु० ७० नये पैसे प्रतिमास व्यय हो रहा है।

*६८—श्री मोतीलाल अवस्थी—[हटा दिया गया।]

*६९-७०—श्री मुल्लाप्रसाद हंस (जिला उन्नाव)—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न संख्या ८७-८८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*७१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

अधीक्षण अभियन्ता, नहर विभाग का कार्यालय इटावा से कानपुर लाने में अनुमानित व्यय

*७२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर विभाग थर्ड सर्किल के सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर का दफ्तर इटावा से हटाकर कानपुर लाया जा रहा है? यदि हां, तो उसमें सरकार को कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। प्रश्न का विषय सरकार के विचाराधीन है। अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मंडल का कार्यालय इटावा से कानपुर लाने में कुल व्यय लगभग ११,००० रुपये का होगा।

*७३-७५—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*७६-७८—श्री चन्द्रजीत यादव—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ८९-९१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*७९-८०—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ९२-९३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

कालागढ़ बांध निर्माण योजना

*८१—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार राम गंगा पर बनने वाले कालागढ़ बाँध की योजना तथा उसकी प्रगति से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—कालागढ़ बांध का काम रामगंगा योजना के अन्तर्गत है। इस योजना की टेक्निकल स्वीकृति भारत सरकार से मिल गयी है और इसके लिये शासकीय स्वीकृति देने का प्रश्न इस सरकार के विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत अभी निम्नलिखित कार्य लिये गये हैं:—

(क) रामगंगा बांध योजना की प्रारम्भिक छानबीन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।

बांध के निर्माण के लिये विभिन्न प्रकार की मिट्टी (Soil) सामग्री तथा उनके प्राप्त होने के स्थान, बांध इत्यादि के डिजाइन और उचित सेक्शन के संबंध में छान बीन जारी है।

(ख) रामगंगा नदी पर शेरकोट के पास पुल का निर्माण-कार्य हो रहा है।

(ग) लोअर गंगा कैनाल रजबहों (channels) का कुछ रिमाडलिंग कार्य हो चुका है।

*८२—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

जाफराबाद, बटेला व हसनपुर के किसानों को नहरी पानी न मिलने की शिकायत

*८३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें बम्बे से पानी न मिलने के सम्बन्ध में जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ, ग्राम अतरौली, जाफराबाद, बटेला व हसनपुर के काश्तकारों द्वारा भेजी गयी शिकायत मिली है ? अगर हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ, ग्राम अतरौली, जाफराबाद, बटेला व हसनपुर के काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। प्रार्थना-पत्र पर उचित जांच के पश्चात् सम्बन्धित क्षेत्रों की सिंचाई करा दी गई है तथा अन्य जो प्रार्थनाएं थीं उनके बारे में भी यथासम्भव कार्यवाही करा दी गई है।

राजनीतिक पीड़ितों को वन विभाग से लकड़ी देने की प्रार्थना

*८४—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह राजनीतिक पीड़ितों को वन विभाग से सस्ती कीमत की लकड़ी देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

*८५-८६—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा) तथा श्री अमरनाथ—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ९८-९९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

छिबरामऊ-फर्रुखाबाद सड़क का निर्माण रोकना

*८७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ से मुहम्मदाबाद तक पक्की सड़क, जो सरकार की तरफ से बनना स्वीकार हुआ था, अभी तक नहीं बनी ? इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—स्थानीय जनता के अनुरोध पर इस सड़क के स्थान पर छिबरामऊ-जहानगंज-फर्रुखाबाद सड़क का निर्माण स्थिर किया गया है।

*८८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*८९—श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली) तथा श्री हिम्मतसिंह—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ९४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*९०—श्री होरीलाल यादव—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ९५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मथुरा जिले में सड़कें

*९१—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे तृतीय पंचवर्षीय योजना में मथुरा जिले की किन-किन तहसीलों में कितने-कितने मील लम्बी सड़कें पक्की करने का विचार रखते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा अभी तैयार नहीं हो पाई है इसलिये इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

दारागंज-झूंसी मार्ग पर पुल निर्माण योजना

*९२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार इलाहाबाद में दारागंज से झूंसी जाने के हेतु यातायात के लिये कोई लोहे का स्थायी पुल बनाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—नेशनल हाईवेज़ की तृतीय पंचवर्षीय योजना में कथित पुल का निर्माण विचाराधीन है।

*९३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१७ फरवरी, १९६० के प्रश्न ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९४—श्री अमरनाथ—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न १०० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*९५-९६—श्री अमरनाथ—[हटा दिये गये।]

*९७—श्री मोतीलाल अवस्थी—[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न १०३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

बेतवा कैनाल डिवीजन, उरई से श्री रामकिशोर का प्रार्थना-पत्र

*९८—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास बेतवा कैनाल डिवीजन, उरई के किसी ड्राफ्टस मैन ने दिनाँक १८-७-५९ को एक प्रार्थना-पत्र भेजकर विभाग में होने वाली तरक्कियों में अवैधानिकता बरती जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १८-७-५९ श्री रामकिशोर से प्राप्त हुआ था। उनका प्रार्थना-पत्र अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ सर्किल, के सहायक मानचित्रकार, श्री मोहम्मद सईद के स्थायीकरण के आदेश के विरुद्ध था।

*९९—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री गिरधारीलाल—उपरोक्त प्रार्थना-पत्र मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त हुआ था और पूर्ण विचार करने के बाद उन्होंने उसे अस्वीकृत कर दिया है।

*१००-१०१—श्री शिवप्रसाद नागर—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१०२—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१०३-१०५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[२३ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ४४-४६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*१०६-१०७—श्री बंशीधर शुक्ल—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१०८-११०--श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)--[२३ फरवरी, १९६० के लियेप्रश्न ५०-५२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*१११--श्री मुक्तिनाथराय--[१६ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ९६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*११२-११३--श्री मुक्तिनाथराय--[२३ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ४८-४९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

माताटीला बांध की डूब से प्रभावित होने वालों का पुनर्वासन तथा मुआवजा

१--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध की डूब में आने वाले कितने गांव खाली कराये गये हैं तथा उन ग्रामों के निवासियों की पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री गिरधारीलाल--मध्य प्रदेश में १० गांव और उत्तर प्रदेश में ६ गांव तथा १ गांव का नगला।

ग्रामवासी अपनी सुविधानुसार नए स्थानों पर बस गए हैं। विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई।

२--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डूब से प्रभावित होने वाले सभी ग्रामवासियों को मुआवजा बांट दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम बांटी गई ?

श्री गिरधारीलाल--अधिकतर मुआवजा बंट गया है बाकी बांटा जा रहा है। अभी तक ९१,३२,२०३ रुपया बांटा जा चुका है।

३--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डूब की जमीन खाली होने पर उसमें फसल बोने की इजाजत किसानों को दी जाती है ? यदि हां, तो जमीन के बंटवारे की क्या व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। फिलहाल जिन काश्तकारों की जमीन है उन्हीं को पट्टों पर एक साल के लिए दी जा रही है।

४--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डूब में आने वाले ग्राम कोटरा के निवासियों ने मुआवजा बांटने वाले अमीनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत अक्तूबर, सन् १९५९ में की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। मामले की जांच हो रही है।

५-७--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर, जिसे विधान परिषद् ने अपनी २१ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में तथा विधान सभा ने अपनी २८ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ५ जनवरी, १९६०, को प्राप्त हो गई और वह १९६० का पहला अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९, पर, जिसे विधान सभा ने अपनी २८ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में पारित किया था तथा विधान परिषद् ने अपनी ७ जनवरी, १९६० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २७ जनवरी, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर, जिसे विधान सभा ने अपनी २४ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में तथा विधान परिषद् ने अपनी ६ जनवरी, १९६०, की बैठक में पारित किया था राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २९ जनवरी, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का तीसरा अधिनियम बन गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा अपने प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामस्वरूम वर्मा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मेरा ४३ नम्बर पर प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला ।

अध्यक्ष--आप मेरे कमरे में आकर पूछ लें ।

सर्वश्री राजनारायण व बलवानसिंह की क्रमशः गिरफ्तारी तथा दण्ड के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी दिनांक २३ जनवरी, १९६० को ५ बजकर ४० मिनट पर लखनऊ में दफा १८८, भारतीय दंड विधान, के अन्तर्गत दफा १४४ तोड़ने के अपराध में की गई । उनके द्वारा जमानत उपलब्ध न होने के कारण उन्हें माडल जेल, लखनऊ में रखा गया ।

दूसरी सूचना श्री बलवानसिंह, सदस्य, विधान सभा, के बारे में है । वह दिनांक २० जनवरी, १९६० को सिद्ध-दोष पाये गये और उन पर ५० रुपया जुर्माना किया गया, जिसके अदा न करने पर भारतीय दन्ड विधान की धारा १४५ के अन्तर्गत उन्हें १५ दिन का साधारण कारावास दिया जायगा । उन पर २५ रुपये जुर्माना किया गया है, जिसके अदा न करने पर क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत उन्हें ७ दिन का कारावास और दिया जायगा । उन्होंने जुर्माना अदा नहीं किया है, जिसके अदा करने के लिये उन्हें १५ फरवरी, १९६० तक का समय दे दिया गया है ।

रिहन्द बांध, पिपरी के मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठी तथा गोली प्रहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं। इनमें से झारखण्डेराय जी का तथा श्री ऊदल का सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा ही श्री रामस्वरूप वर्मा ने भी दिया है। इसके अलावा ३, ४ और भी हैं। लेकिन सबसे पहले झारखंडेराय जी का व ऊदलजी का संयुक्त हस्ताक्षर से आया। मैं उसे पढ़कर सुनाये देता हूं :

"गत १८ जनवरी को रिहन्द बांध, पिपरी पर पुलिस ने लाठी चलाई, गोली चलाई, आंसू गैस छोड़े, मजदूरों पर जिसके फलस्वरूप १ मजदूर मरा, सैकड़ों को चोटें आईं और वे घायल हुये। प्राय: ६०० से ऊपर मजदूर गिरफ्तार किये गये और जेल भेजे गये। वहां आज भी आतंक का राज्य है। एक विषम परिस्थिति है। इस पर विचार करने के हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसकी इजाजत देने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति है ?

(किसी के न उठने पर) नहीं है। तो मैं इसको इजाजत देता हूं।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--इसकी प्रतिलिपि किसके पास भेजी गई ?

श्री अध्यक्ष--गृह मंत्रीजी के पास भेज दी गई है।

मैं इसे वैध भी करार देता हूं। इसलिये माननीय झारखण्डे राय जी सदन की अनुमति मांगें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर यह प्रस्ताव है उसकी प्रेस में काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिये उस पर विशेष कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस आदरणीय सदन से इसकी अनुमति चाहता हूं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ था कि यह मामला काफी पुराना हो चुका है और इस पर कोई ब्यान देने की आज्ञा होती तो मैं दे देता। पुराना होने से यह अब अर्जेन्ट और पब्लिक इम्पार्टेंस का भी नहीं रहा है, जिससे इस पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाया जाय।

श्री अध्यक्ष--१८ जनवरी के बाद सदन पहली मर्तबा आज बैठा है, इसलिये बीच में गुजरा हुआ समय बाधक नहीं होता। मैंने इजाजत दे दी है। अब आपको क्या अनुमति देने के बारे में आक्षेप है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि इसे मंजूर नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैं इसके लिये अनुमति के प्रस्ताव पर राय लिये लेता हूं। जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(६० सदस्य खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष--६० सदस्यों ने अनुमति देने के पक्ष में राय दी है और कम से कम ३६ होने चाहिये। इसलिये सदन की अनुमति इसके लिये है। आज ४ बजे से लेकर ६ बजे तक इस पर बहस होगी।

भेलामऊ, थाना सचेंडी, जिला कानपुर में पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार मेरे पास कई विषय आये हैं । इनमें मैं श्री मोतीलाल जी अवस्थी का स्वीकार करता हूं क्योंकि यह सबसे अधिक महत्व का है । इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी आज या बाद में कोई वक्तव्य देना चाहें तो मुझे बता दें । मैं इसे पढ़कर सुनाये देता हूं :--

"गत तारीख १-१-६० को थाना सचेंड़ी, जिला कानपुर, के बड़े व छोटे थानेदार ने कुछ सिपाहियों व कंजड़ों की मदद से ग्राम भीलामऊ, थाना सचेंडी, जिला कानपुर, में जाकर एक मुसम्मात गुडिया व छत्रोलाल की तलाश की किन्तु पता नहीं लगने पर ग्राम के सभी लोगों को मारना पीटना शुरू किया । इसके बाद ग्राम में आग लगाने की धमकी के बाद कई लोगों के मकान में आग लगा दी । थानेदार के साथ के लोगों ने उन्हीं मकानों में घुस कर सामान को लूट लिया । आग लगने से गांव का बहुत-सा सामान जल गया, जानवर झुलस गये, गांव के लोग मारे डर के भागे जा रहे हैं । इसके ३, ४ रोज पहले भी पुलिस वाले कंजड़ों की मदद से ग्राम के लोगों को कई दफा डरा धमका गये थे और मारपीट कर कुछ लोगों को पकड़ चुके थे । इस संबंध में जिला अधिकारी व मुख्य मंत्री सभी को तार दिये गये किन्तु सरकार द्वारा कोई पुरअसर कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनता भयत्रसित है और भाग रही है । अतः विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है, ध्यान दिलाना चाहता हूं ।"

(गृह मंत्री से) क्या आप इस संबंध में आज ही सूचना देना चाहते हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी नहीं, इस समय इसके संबंध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है । परसों मैं इसके संबंध में बता सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष--ठीक है इसको परसों ले लिया जायगा ।

नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, श्री राजनारायण जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उनको तनहाई में रखा जा रहा है । आज उसके बारे में हमारा भी एक प्रस्ताव था, लेकिन उसको नहीं लिया गया, उसको ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--कल आप उसका नोटिस दे दें, मैं उसको देख लूंगा ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न था, मैं भी क्या उसके लिये कल नोटिस दे दूं ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, उसके लिये आपको रोका किसने है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, लखनऊ यूनिवर्सिटी के संबंध में गार्जियन्स की एक समझौता वार्ता चल रही थी, लेकिन वह फेल हो गयी । जिसकी वजह से एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है । हड़ताल के समाप्त होने पर जो शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा हुआ था वह समाप्त होने जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--आज मैं एक को इजाजत दे चुका हूं, और अधिक नहीं ले सकता । विश्वविद्यालय के बारे में नियम ५२ और नियम ५३ में भी प्रश्न उठाये गये हैं । ५२ के अन्तर्गत मैं केवल एक ही विषय आज ले सकता हूं । ५३ के अन्तर्गत बाद में विचार करके स्वीकृत यदि हो, तो उसके लिये कोई तारीख रखी जायगी ।

१९६०-६१ के लिये विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना दे रहा हूं । वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक समिति में १६-१६ सदस्यों, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्यों और लोक लेखा समिति के २१ सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम मैंने स्वीकार किया है । इसके बारे में पहले भी माननीय सदस्यों को सूचना दे दी गयी है, लेकिन क्योंकि यह सदन आज पहली बार बैठ रहा है, इसलिये उस सूचना को फिर से दे देना चाहता हूं, जिससे भूल न हो :--

१--नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय ।	२०-२-६० को सायंकाल ५ बजे तक ।
२--नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ।	२२-२-६० (समय २ बजे सचिव के कमरे में) ।
३--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ..	४-३-६० के सायंकाल ५ बजे तक ।
४--निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में ।	१९-३-६० को १२ बजे से ५ बजे तक होगा ।

इन निर्वाचनों से सम्बन्धित नाम-निर्देशन पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे ।

श्री सीताराम शुक्ल द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी के संबंध में एक कामरोको प्रस्ताव था । उसके बारे में क्या हुक्म हुआ ?

श्री अध्यक्ष--उसके लिये आप कल नोटिस दें ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य क्रम से अंग्रेजी हटाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब यह प्रस्ताव लिया जायगा । उस दिन श्री देवनारायण भारतीय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर श्री रामलखन मिश्र भाषण दे रहे थे । माननीय रामलखन मिश्र जी, आपके ५ मिनट शेष हैं, आप पहले १० मिनट बोल चुके हैं ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संकल्प में आया है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में से अंग्रेजी को इसलिये निकाल दिया जाय, अंग्रेजी मातृभाषा वाले विद्यार्थियों को छोड़ कर कि इससे स्वावलम्बन, अनुशासन और सामयिक शिक्षा में वृद्धि होगी । लेकिन मेरा निश्चित मत है कि इससे यह चीज नहीं होगी । इस प्रस्ताव में भावुकता अधिक है, विवेक बहुत कम है । इस समय संसार के अन्तर्गत जीवन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य और चिन्तन अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हो रहे हैं । विज्ञान से सम्बन्धित जितने शब्द हैं वे सब अंग्रेजी में ढाले जा रहे हैं । इसलिये यह सोचना कि विश्वविद्यालय के स्तर पर पहुंच कर ही छात्र अंग्रेजी के

---

†११ सितम्बर, १९५९ की कार्यवाही से ।

[श्री रामलखन मिश्र]

ज्ञान से परिपूर्ण हो जायगा, सही नहीं है । इस तरह की अंग्रेजी के पश्चात् तो वह बहुत दुर्बल हो जायगा और इतना दुर्बल हो जायगा जिससे हानि होगी उससे कोई लाभ नहीं होगा । यों तो मुझे अंग्रेजी से कोई मोह नहीं है । मैं जानता हूं कि संविधान के परिच्छेद ८ में जितनी क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन है उनमें बहुत सी भाषाओं का इतिहास तो इतना पुराना है जितना कि मानव जाति का इतिहास है । विशेषकर हम क्षेत्रीय भाषाओं की वर्णमाला की उत्पत्ति की तरफ ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि वनस्पतियों से, गायों से और यहां के वृक्षों से वर्णमाला का स्वरूप लिया गया है । ऐसी अनेक भाषायें हैं जिनकी वर्णमाला कहीं भेंड़ से, कहीं ऊंट से और कहीं बकरी से ली गयी है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सदन के अन्दर आपस में बहुत बातचीत हो रही है जिसकी वजह से माननीय सदस्य की भाषा भी सुनने में नहीं आ रही है और समझ में भी नहीं आ रही है ।

श्री रामलखन मिश्र--मैं कह रहा था कुत्ते से, भेड़ से अथवा बकरियों से अनेक प्रकार की भाषाओं की वर्णमाला ली गयी है । खुदाई करने से ऐसा मालूम हुआ है कि संसार में दो प्रकार की मानव जातियां उत्पन्न हुई थीं--एक आर्यन तथा दूसरी नान-आर्यन । खुदाई में जहां गाय की हड्डियां मिलती हैं, मानव हड्डियां मिलती हैं । मानव संस्कार मिलता है वहां मानव जाति रही है, इस निष्कर्ष पर इतिहासज्ञ पहुंचे हैं । जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं के इतिहास का सम्बन्ध है वह बहुत सुन्दर है । लेकिन मेरा निश्चित मत है कि कोई भाषा ऐसी नहीं है जो दोषपूर्ण हो बल्कि हमारे यहां पढ़ाने की जो प्रणाली है वही दोषपूर्ण है । आज हमारे जीवन का लक्ष्य बदल गया है । हम उसे बाहरी स्वरूप दे रहे हैं । एक समय था जब पढ़ाई "राम गति देहु सुमति" से शुरू करायी जाती थी । आज भी नेपाल में इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है । जब हम पहले "क" वर्णमाला की पढ़ाई शुरू करते थे तो "क कं काली, ज्योतिर्माला, सज्जे विषय हरी तत्काल" इस तरह से करते थे । यह बड़ा सुन्दर जीवित वर्णन है । आज इस समय हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारा आर्थिक संचालन, जीवन के प्रति पग पग पर बदलता है । उससे अनुशासन की शृंखला टूटती है और उससे सामयिक शिक्षा को बल नहीं मिलता है । उससे स्वावलम्बन नाममात्र को भी नहीं रह जाता है । तो भाषा में कोई दोष नहीं है । अंग्रेजी तो स्वयं संकरवर्णीय भाषा है जिसमें लेटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाओं का पुट दिया हुआ है ।

हमारे यहां के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को बहुत सोच समझ कर रखा गया है । जैसा कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूं कि इस भाषा में कोई दोष नहीं है, बल्कि मानव जाति का इतिहास बदलता जा रहा है । हमारे जीवन का जो मूल्यांकन है इसके अन्दर जो परिवर्तित हो रहा है उसकी वजह से उसके बाहरी स्वरूप में हमको दोष दिखलायी देता है । वह दोष हमारे अन्तर्गत है न कि भाषा के अन्तर्गत । प्रत्येक भाषा में बहुत तन्मयता है, हर भाषा में समाज का सुधार करने वाले, आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चलने वाले बहुत से नररत्न उत्पन्न हो चुके हैं जिनको हम स्मरण करते हैं । अंग्रेजी भाषा को यदि हम समय से पूर्व ही निकाल दें तो सिवा मूर्खता आने के, सिवा इस के कि हम कूपमंडक बने रहें कोई विशेष लाभ न होगा । आज के विज्ञान के युग में हम जितने भी विचार करते हैं उनके लिये अभी अंग्रेजी आवश्यक है । हां, मैं भारतीय जी का अवश्य कृतज्ञ हूं कि हिन्दी भाषा में रुचि रखने के हेतु उन्होंने एक संकल्प उपस्थित किया है जिससे कि साहित्यिक लोग अपनी भाषा में अपने को व्यक्त कर सकें और अपने विचार प्रकट कर सकें । अन्त में मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया, लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि मेरी भाषा संस्कृतगर्भित होने के कारण पत्र-पत्रिका वाले या पत्रकार मेरे साथ न्याय नहीं कर पाते ।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, सदन में इससे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि हमारे यहां शिक्षा के पाठ्य-क्रम में आमूल चूल परिवर्तन किया जाय, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो यहां की सरकार ने और न प्रदेश के मनीषियों ने इस ओर ध्यान दिया। आज हमारे बच्चे स्कूलों में जा कर राम को रामा और कृष्ण को कृष्णा पढ़ते हैं। हमारे व्याकरण से कृष्णा का अर्थ भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी होता है और रामा का अर्थ भी भगवान राम की सहचरी होता है। हमारी संतति या जाति का सुधार तब तक नहीं हो सकता जबतक कि हम अपने भगवान या आराध्यदेव को अपने शब्दों में याद न करें। मैं बड़े गौर से अपने माननीय सदस्य श्री मिश्र जी के भाषण को सुन रहा था, मुझे उन अपने मान्य मित्र की बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी को हटाया गया तो हम लोग मूर्ख ही रह जायेंगे। अगर उनकी बात ठीक होती तो आज तक अंग्रेजी के बगैर रूस वाले बेवकूफ हो जाते और चीनी भी बेवकूफ हो जाते। मेरा तो यह विश्वास है कि जिन राष्ट्रों की अपनी भाषा नहीं होती वे राष्ट्र अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। यही समय है कि जिस समय हमारे यहां राष्ट्र निर्माण हो रहा है, उस समय में हमारा यह पहला कर्त्तव्य है कि हम अपने यहां से अंग्रेजी को हटावें और उसके स्थान पर अपनी राष्ट्रभाषा को लायें।

जिस तरह से आज हमारे यहां के विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम चल रहे हैं उस तरह से अंग्रेजी यहां से कभी नहीं जायगी और यदि हमारे बच्चों ने, हमारी आगे आने वाली संतति ने, यह समझ लिया कि हमारा राष्ट्र निर्माण अंग्रेजी के द्वारा हुआ है तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। यदि अंग्रेजी पढ़ने में ही हमारे यहां के लोग फख्र समझने लगे तो उस का नतीजा यह होगा कि हमारे यहां से राष्ट्र धर्म और देशभक्ति का लोप हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, आयरलैन्ड के लोग भूल गये थे कि उनकी अपनी मातृभाषा है। वे अंग्रेजी को ही अपनी मदर जबान समझने लगे थे, लेकिन आयर लैन्ड में डिवलेरा ने कहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा गेलिक है, उसने यहां तक कहा था कि "अगर तराजू के एक पलड़े में राष्ट्र की आजादी को रखा जाय और दूसरे पलड़े में मातृभाषा गेलिक को रखा जाय तो मैं आजादी को छोड़ दूंगा और मातृभाषा को अपना लूंगा क्योंकि यदि मेरे राष्ट्र में अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान बना रहा तो हम फिर भी अपनी आजादी को किसी समय भी प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन यदि मातृभाषा के प्रति राष्ट्रप्रेम न रहा तो देश की आजादी हमेशा खतरे में रहेगी।"

हमें दुख है कि आज भी हमारे यहां चारों ओर अंग्रेजी का सम्मान है। मुझे अगर आप अनुमति दें और आज्ञा हो तो मैं कह सकता हूं कि अभीतक यह जो पार्लियामेंटरी सिस्टम हमें अंग्रेजों से मिला है, जिसके अनुसार हम चल रहे हैं यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। हमारे यहां सब से बड़ा नीति का एक मूलमंत्र है कि—

"अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते"

अर्थात् जो बिना पूछे बोलता है, बिना बुलाये जाता है वह मूर्ख होता है। यानी यह भी हमारी संसदीय नीति के अनुसार मूर्खता है कि एक लाइन में एक समय में २० आदमी खड़े हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रत्येक कार्य घड़ी की सुइयों की तरह चलना चाहिये। हमें पहले से निश्चित करना चाहिये कि किसका नम्बर है किस के खड़े होने का अवसर है, कौन बोलेगा। यदि हम इतना भी नहीं समझते तो यह सिस्टम अधूरा रहेगा। जिस साहित्य को हमें हमारे ऋषियों ने दिया, जिसे हमारी संस्कृति ने अपनाया उसे हमें जिन्दा रखना होगा।

हमारे पड़ोस में ढाई तीन करोड़ आबादी का देश मिस्र है, उस की अपनी भाषा है, उसे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम अपने यहां देखते हैं कि चारों तरफ विदेशी तरीके बरते जा रहे हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना सदन से यह है कि सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा को अपनायें और जब तक हम अपनी मातृभाषा को नहीं अपनायेंगे तब तक हममें राष्ट्र

[श्री यशपालसिंह]

धर्म पैदा नहीं हो सकता। हमारा समय नष्ट किया जाता है कि ख्रुश्चेव को इस तरह से सलाम करते हैं, आइजनहावर के सामने इस तरह से झुकते हैं। हम कहते हैं कि मेहमान आवें और बड़े सम्मान के साथ आवें। जो कुछ हमारे घर में है, बड़े सम्मान के साथ खायें। लेकिन करोड़ों रुपया इसलिये खर्च करें कि विदेशों में हमारा सम्मान बढ़ जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता। जब तक हम शक्ति में नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम मिलिट्री स्ट्रेंग्थ नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि लाखों नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से झुका करते हैं। उन्हें आत्म सम्मान की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मेरी प्रार्थना है कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हों इस तरह घर फूंक कर दूसरों का सम्मान वे किया करते हैं जिनका बल वीर्य नष्ट हो जाता है। जिनकी मिलिटरी स्ट्रेंथ टूट जाती है। मातृभाषा यह सिखलाती है कि अगर हमने अपने गौरव की रक्षा की तो जिस तरह से कि ढाई करोड़ की आबादी वाले मुल्क ने अपने नाम को चोटी पर पहुंचाया है उसी तरह से हम भी अपनी आजादी की रक्षा कर सकते हैं।

आज जो हमें स्थापनायें दी गई हैं वे विदेशी स्थापनायें हैं। हमारे यहां "अतिथि देवो भव" लिखा है। जो भी हमारे दरवाजे पर आता है और जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है, वह देवता है। लेकिन आज अतिथि भूखा जाता है, गरीब और छोटा आदमी भूखा चला जाता है। बड़े आदमियों को जो कि परमिट और लायसेंस दे सकते हैं, कहते हैं कि खाने पर आओ। खाना कोई मोटर, गाड़ी या घोड़ा नहीं है। हमारे यहां भोजन का सम्मान है। लेकिन चाय पर और खाने पर लोगों को बुला कर ब्लैक मार्केटर्स ने लाखों रुपया कमाया।

जो कुछ हमें मातृभाषा ने दिया है उसके अनुसार हमें अपना आचरण करना चाहिये किसी को गैर समझना हमारी मातृभाषा में सबसे बड़ा पाप है। स्टैप मदरली ट्रीटमेंट के लिये हमारी मातृभाषा में कोई स्थान नहीं है। संस्कृत के हजारों ग्रंथों में स्टैप मदरली ट्रीटमेंट के लिये कोई शब्द नहीं है। हमारे यहां "वसुधैव कुटुम्बकम्" लिखा हुआ है। हमारी भाषा में ताले के लिये कोई शब्द नहीं है क्योंकि ताले का प्रयोग उस समय होता है जबकि हम दूसरे को चोर समझते हों या हमारे समाज में चोरी का भाव पैदा हो जाता है। आज हम अंग्रेजी भाषा पर अभिमान करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा है:—"तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी। जो शाखे नाजुक पै आशियाना बनेगा, नापाएदार होगा" आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने राष्ट्र के गौरव को उन्नत करने के लिये अपनी मातृभाषा की उन्नति करें। दूसरे देशों में यह बहुत बुरा समझा जाता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करें किसी फारेन लैंग्वेज में। मुझे आश्चर्य होता है जब एक हिन्दुस्तानी दूसरे हिन्दुस्तानी को अंग्रेजी में खत लिखता है। जितना प्रचार उर्दू के खिलाफ किया गया है अगर उसका सतांश भी अंग्रेजी के खिलाफ किया गया होता तो आज राष्ट्र का निर्माण हो गया होता। एक भाई दूसरे भाई से जब मिलता है तो अंग्रेजी में बोलता है। हमारी ऐम्बेसडर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने मार्शल स्टालिन के सामने जब अंग्रेजी में क्रेडेंशियल्स पढ़ने शुरू किये तो मार्शल स्टालिन ने इनकार कर दिया। और कहा कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ने पर मैं मंजूर नहीं कर सकता या तो हिन्दुस्तान की भाषा हो या रूस की हो। किसी तीसरी भाषा में नहीं पढ़ा जा सकता है। दूसरे देशों के अन्दर इतना आत्मसम्मान अपनी भाषा के लिये है, लेकिन हम आज देखते हैं कि हमारे यहां चारों तरफ अंग्रेजी का जहर फैलता जा रहा है।

मैं अपने माननीय सदस्य की बात को मानता हूं कि भाषा का ऊंचे से ऊंचा ज्ञान होना चाहिये। लेकिन क्या विवेकानन्द, तिलक, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे रत्न नहीं हुये हैं जिनको अंग्रेजी भाषा पर पूरा कंट्रोल है। भाषा पर आधिपत्य होना दूसरी बात है, लेकिन अपनी भाषा को हीन समझकर दूसरी भाषा को अपनाना और उसके लिये गौरव अनुभव करना देशभक्ति के विरुद्ध है। अपने प्रदेश में कम से कम दर्जा १० तक

अंग्रेजी को न आने दें उसके बाद जिसको जरूरत हो वह अंग्रेजी पढ़ सकता है। जो लोग विज्ञान टेक्नालाजी आदि की बात कहते हैं, अलूमे जदीद की बात कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने राकट और स्पुटनिक के जमाने को ला दिया है उन रशन्स ने एक दिन भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी और आज की साइंस में वे किसी से पीछे नहीं हैं। राष्ट्र के प्रेम के लिये हम हिन्दी के प्रचार को, जो हमारी मातृभाषा है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाते रहें।

साथ ही उर्दू के विरोध में जो प्रचार किया जाता है वह सिर्फ अंग्रेजी की वजह से किया जाता है। उर्दू किसी दूसरे मुल्क में नहीं बोली जाती। उर्दू हमारे इसी देश में पैदा हुई है। अगर हिन्दी के बाद किसी भाषा को कोई स्थान मिल सकता है तो वह उर्दू ही है। उर्दू न अरब में बोली जाती है, न मिस्र में और न तुर्किस्तान में वह यहीं पैदा हुई है और यहीं बोली जाती है। हिन्दुस्तान में देशभक्ति को बढ़ाने के लिये हिन्दी के बाद अगर कोई स्थान दिया जाय तो उर्दू को दिया जाय। अंग्रेजी को जिस तरह से चीनी, रशन्स ने अलग कर दिया है, मिस्र ने अलग कर दिया है उसी तरह हम लोग भी अंग्रेजी को अलग कर दें। जब तक हमारे देश में यह भावना रहेगी कि अंग्रेजी का पंडित ही पंडित हो सकता है तब तक हम लोग नहीं उठ सकते। अंग्रेजी के पढ़े लिखे व्यक्ति को १००, १५० रुपये मिल सकते हैं, लेकिन मातृभाषा संस्कृत तथा हिन्दी का ज्ञान हासिल करने वाले जिनसे हमारा साहित्य भरा हुआ है उनको काम मिलना बहुत मुश्किल बात है। आज ताज्जुब होता है कि एम० ए० पास लड़के भी जब खत लिखते हैं तो बहुत गलतियां होती हैं। हम लोग आपस में 'नमश्कार' करते हैं किन्तु नमश्कार शब्द गलत है। सही शब्द "नमस्कार' है। हमारे यहां लिखा है "एकः शब्दःसम्यग्ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति।".....

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री यशपालसिंह---इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय यशपालसिंह जी, मान्यवर, इस प्रस्ताव पर पहले भी बोल चुके थे और आज भी बोले तो कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---अभी उनके ५ मिनट बाकी थे, लेकिन मुझे जरा बाद में मालूम हुआ कि वे पहले बोल चुके थे इसीलिये मैंने उनका समय समाप्त कर दिया। अगर इसकी पहले सूचना मिल जाती तो उन्हें बोलने की अनुमति न देता।

श्री यशपालसिंह---श्रीमन्, हमारी नियमावली में लिखा हुआ है कि एक दिन में एक प्रस्ताव पर दोबारा नहीं बोला जा सकता है।....

श्री अध्यक्ष---आप समझते हैं अंग्रेजी की नियमावली दूसरी चीज है और हिन्दी की दूसरी है।

***श्री गोविन्दसहाय** (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव को काफी गौर के साथ पढ़ा और माननीय सदस्यों के भाषणों को भी दिलचस्पी के साथ सुना। प्रस्ताव के खिलाफ बोलने में या तरफ में बोलने में, दोनों में से किसी पक्ष में बोलने में मुझमें कोई खास उत्साह नहीं है और उसका कारण यह है कि आखिर इसकी मुखालिफत क्या की जाय। इस माने में कि अगर यह कहा जाय कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनिवार्य शिक्षा हो तो उसकी कोई मुखालिफत नहीं कर सकता। मुआफिकत करते हुए जरा थोड़ी सी उलझन यह हो रही है कि इसमें कहा यह गया है कि विद्यार्थियों के अन्दर स्वावलम्बन, अनुशासन और सामरिक शिक्षा इन ध्येयों को सामने रख कर आवश्यकता है कि उनको हिन्दी में पढ़ाया जाय। मैंने इस रिश्ते को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविंदसहाय]

समझने की कोशिश की पर नहीं समझ सका। न माननीय सदस्य ने ही इस पर कुछ रोशनी डाली कि अनुशासन, स्वावलम्बन और सामयिक शिक्षा का इस भाषा के प्रश्न से कैसा और क्या रिश्ता है। अगर इस पर वह रोशनी डाले होते तो मुझे उठने की जरूरत नहीं थी। हम उन्हीं की दलीलों को सुन कर बड़ी आसानी से इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलते। जो बातें उन्होंने कहीं, आइजनहोवर आये, फलां आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसका इससे कोई रिश्ता नहीं मालूम हुआ।

मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि हर देश में अपनी भाषा होनी चाहिये और माध्यम भी अपना होना चाहिये, लेकिन अगर आप यह कहें कि दूसरी भाषायें जो हैं वे देशभक्ति पैदा नहीं करती हैं तो इसके मानी यह हो जाते हैं कि अंग्रेजी भाषा को जो पढ़ते हैं उनमें देशभक्ति नहीं होती है, यह कुछ जरा गले से बात नहीं उतरती है। पिछले ४४–४५ साल में जो देशभक्ति का दौर चला है उसमें अंग्रेजी भाषा, साहित्य, इतिहास तथा संस्थाओं का, सभी का काफी असर पड़ा है और अंग्रेज लोग भी अपने देश में अंग्रेजी पढ़ कर किसी से कम देशभक्त नहीं होते। तो देशभक्ति से उसका रिश्ता जोड़ने का सवाल हो तो जोड़ा जाय, लेकिन जुड़ता नहीं है।

मैं इस बात की कद्र करता अगर प्रस्ताव इस बात का आता कि हमारी सामयिक शिक्षा जैसी है वह क्रियात्मक जो खूबियां हैं उनको विद्यार्थियों में नहीं डालती है और आपकी सामयिक जो शिक्षा की प्रणाली है, उसका आधार है, उसका गठन है, उसकी जो व्यवस्था है उन सबको परिवर्तित करने की तरफ आपको जुटाना पड़ेगा, इतना कह देने से व्यवस्थायें या शिक्षा प्रणाली या कोई भी संस्था मिटाई नहीं जा सकती। हम अपने देश में बहुत चर्चा करते हैं कि नौकरशाही बदलनी चाहिये, लेकिन निरन्तर हमारे १२ साल के यह कहने के नौकरशाही बदलना चाहिये नौकरशाही की परम्परायें और ढांचा हमें ज्यादा बदल रहा है बनिस्बत इसके कि हम उसे बदल रहे हैं। इसके मानी यह है कि जो प्रणाली बन जाती है उसको बदलने के लिये एक अच्छी तरह से प्रहार करना पड़ता है, व्यवस्था को बदलना पड़ता है, दिमागों को बदलना पड़ता है, एक बड़ा भारी एफर्ट करना होता है तब कहीं शिक्षा प्रणालियां बदली जाती हैं।

यह खुशी की बात है कि एक ऐसा नान-आफिशियल रिजोल्यूशन हमारे सामने आया जो इस तरह ध्यान जुटाता है। यह मेरा सवाल नहीं है, इधर और उधर का सवाल नहीं है, आज इस देश में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद से लेकर श्री रामगोपाल तक हरएक यह कहता है कि शिक्षा प्रणाली मौजूदा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। कैसे लोगों के अन्दर अनुशासन आये, कैसे लोगों के अन्दर नये देश के मुताबिक दिमागों की तैयारी हो, कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली जो देश की नई आवश्यकतायें हैं उनके अनुकूल नौजवान तैयार करे, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे भी जरा यह कहने में हिचक नहीं है कि कोई भी सही कदम इस तरफ उठाया नहीं गया है, इस मसले पर बड़ी संजीदगी के साथ सोचा नहीं गया है। यह बात मैं मान सकता हूं कि महज स्कूलों को बढ़ा दें, यूनिवर्सिटीज बढ़ा दें और उसका आधार वही पुराना रहे तो हम एक ऐसे वर्कशाप को बढ़ा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप प्रस्ताव की परिधि तक ही सीमित रहें। आपका प्रस्ताव स्वतंत्र होता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री गोविन्दसहाय—मैं अपना मत इस प्रस्ताव के दायरे में ही कहना चाहूंगा। जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है जो इसके अन्दर ध्येय है कि विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासन, स्वावलम्बन, सामाजिक शिक्षा और ऐसे भाव पैदा हों मैं इससे इत्तिफाक करता हूं। यह बात सच है कि आज हमारे देश में जिसे अंग्रेजियत कहते हैं उसका असर अंग्रेजों के

जमाने से ज्यादा है। जो ब्रिटिश कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर जो है वह अंग्रेजों के जाने के बाद आज गांव के स्कूलों के बच्चों में, साधारण व्यक्ति में, उसकी पोशाक में, उसकी कार्य प्रणाली में, उसकी भाषा में ज्यादा असर है। उसके लिये हमें सोचना होगा, इसलिये नहीं कि वह कल्चर बुरा है। उसको यह कहना कि पूर्वी कल्चर अच्छा है और पश्चिमी कल्चर बुरा है, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। संस्कृति क्या है, इस बहस का भी यह कोई मौका नहीं है। मगर मैं इतना जरूर मानता हूं कि पश्चिमी कल्चर उनके लिये अच्छा हो सकता है, उस क्लाइमेट के लिये अच्छा है, लेकिन हमारे देश में जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसी भूमि हमारी है, जैसा सोचने का ढंग हमारा है उसमें वह ज्यादा फिट नहीं होता। और सही बात अगर आप देखें तो यह सारा ढांचा जिसमें हम बैठे हैं यह भी ज्यादा फिट नहीं होता, यह भी पश्चिमी है, इसका पूर्व से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। बहरहाल यह सही है कि हमारे यंगर जनरेशन में अनुशासन का भाव बढ़ना चाहिये और उसके लिये हिन्दी भाषा का माध्यम हो यह भी बड़ी अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव में इसका जिक्र नहीं है। इसमें तो केवल यह है कि सेकेंड फार्म में इंगलिश के बजाय कोई दूसरी भाषा होनी चाहिये।

श्री गोविन्दसहाय—तब तो आपने जो एल्यूसिडेशन किया उससे केस और भी कमजोर हो गया इसलिये कि मैं वाकई यह समझ रहा था कि बहस में कुछ जान होगी या कुछ हिन्दी और अंग्रेजी की बहस होगी, लेकिन अगर ऐसा है कि अंग्रेजी के बजाय कोई और दूसरी भाषा हो तब तो मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि इस प्रस्ताव को पेश करने का कोई मकसद है ही नहीं सिवाय इसके कि एक्सचेकर का ४–५ हजार रुपया आज खर्च कर दिया जाय।

बहरहाल, जो प्रस्ताव है, जैसा मैंने कहा, इसकी माफिकत करने में कोई उत्साह नहीं हो सकता और जो आपने तशरीह की उसके बाद मैं यह नहीं समझ सका कि कोई भी गुंजायश इसमें बाकी है। मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छे तरीके से इस प्रस्ताव को रखा जा सकता था। बहरहाल, जो भाव उन्होंने व्यक्त किये मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। हमारी संतानों में अनुशासन का भाव होना चाहिये उनमें स्वावलम्बन आना चाहिए उनमें व्यक्तिगत आधार से ऊपर उठ कर समाज की शक्ल में सोचने का भाव आना चाहिये। लेकिन इन सबको करने के लिये महज मीडियम बदलने से हम कामयाब हो जायेंगे, इसमें मुझे जरूर शक है और इसलिये मैं पसन्द करूंगा अगर किन्हीं महोदय ने इस प्रस्ताव में अमेंडमेंट किया हो, मैंने तो नहीं किया, मैं तो इस खयाल से अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह प्रस्ताव बहुत जल्दी में लिखा हुआ दिखायी दिया और ऐसा मालूम होता है कि इसका कोई मकसद नहीं है चाहे वह स्वीकार हो या न हो। इसलिये इसके स्वीकार करने में मुझे कोई उत्साह नहीं है और विरोध करने में यह अपनी जगह पर इतना मासूम है कि इसका विरोध करते हुये तकलीफ होती है, इसलिये विरोध भी नहीं करता, लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि नान आफिशल डे को जो प्रस्ताव आयें वे जरा ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आयें। मैं जानता हूं कि मेरे विचारों से उधर कुछ थोड़ी सी बेचैनी है मगर उसके होने की कोई वजह नहीं है क्योंकि बेचैनी इतनी मेरी बातों से नहीं हो रही है जितनी मेरी बातों को सुन कर इस प्रस्ताव की निरर्थकता को जान कर हो रही है। इसलिये मैं उन दोस्तों के साथ हमदर्दी करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं।

***श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने में एक दुःख जरूर होता है। असल में बात यह है कि इसको लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और बिना पढ़े हुये ही यह कह दे रहे हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। साफ बात यह है इसमें हिन्दी का कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप सफ़ाई कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवीप्रसाद मिश्र--इसमें हिन्दी का जिक्र बिलकुल नहीं है। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि अंग्रेजी को हटा कर हिन्दी को रखा जाय। इसमें मीडियम का भी कोई जिक्र नहीं है। हम मान चुके हैं और हिन्दी मीडियम हो चुका है। इसलिये अंग्रेजी मीडियम नहीं है और किसी भाषा को मीडियम बनाने का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं। इसलिये जो भ्रम माननीय सदस्यों को उत्पन्न हो गया है वह गलत है और वह इसलिये उत्पन्न हो गया है कि उन्होंने प्रस्ताव को पढ़ने की तकलीफ नहीं की।

श्रीमन्, प्रस्ताव तो सीधा-सादा है। दुनिया का सिद्धान्त है कि प्रारम्भिक स्कूल तक एक ही भाषा पढ़ाई जाती है जो मातृभाषा होती है। सेकेन्डरी स्कूलों में दो भाषाओं का अध्ययन करते हैं और यूनिवर्सिटी स्टेज में तीसरी भाषा भी ले लेते हैं और वह फारेन लैंगुयेज होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में क्या हुआ है यह देखना है, हमारे यहां प्रारम्भिक स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती थी और माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी की जो जननी थी संस्कृत उसको हमने हिन्दी के साथ शामिल कर लिया। जैसे कि अंग्रेजी में होता है कि अंग्रेजी के साथ ग्रीक या लैटिन को ले लेते हैं और वह अलग रहती है। लेकिन हमने अपने यहां हिन्दी के साथ दूसरी भाषा संस्कृत ले ली। माध्यमिक शिक्षा में दो भाषायें कर रखी थीं ही, अंग्रेजी को भी अनिवार्य कर रखा है। माध्यमिक शिक्षा की दशा को देखा जाय तो अंग्रेजी वैकल्पिक विषय जरूर है, लेकिन ९० प्रतिशत से ज्यादा लड़के अंग्रेजी लेते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से माध्यमिक स्कूलों में तीन भाषायें पढ़ाई जा रही हैं। एक हिन्दी, दूसरी उसकी जननी संस्कृत और फिर तीसरी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है।

यह प्रस्ताव यह बताता है कि इस गड़बड़झाला को दूर करके आप सही रास्ते पर आ जाइये। प्रारम्भिक स्कूलों में मातृभाषा पढ़ायें और माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी माध्यम रहेगी। सिर्फ इतना ही प्रस्ताव है कि अंग्रेजी को हटा दीजिये। अगर तीसरी भाषा लाना चाहें तो हिन्दुस्तान की कोई दूसरी भाषा ले आइये। यह हिन्दुस्तानी शिक्षा के अनुरूप होगा। जब यूनिवर्सिटी स्टेज आये तो तीसरी भाषा होनी चाहिये चाहे वह अंग्रेजी हो, रूसी हो या जर्मन हो। प्रारम्भिक स्कूलों में या सेकेन्डरी स्कूलों में किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है इसलिये यहां भी नहीं होना चाहिये।

इस प्रस्ताव के प्रारम्भ में लिखा हुआ है कि यह क्यों लाया गया है। स्वावलम्बन और अनुशासन के लिये लाया गया है। हमारे दोस्तों को भ्रम हो गया है कि भाषा से इसका क्या सम्बन्ध है। मैं एक बात कहता हूं कि आज के नेशनल हेरेल्ड में है कि आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कमीशन बिठाया था। उसकी रिपोर्ट निकली है और वह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो लड़के जाते हैं वह न अंग्रेजी लिख सकते हैं, न समझ सकते हैं और न पढ़ ही सकते हैं। इसलिये उनका कहना है कि लड़कों की भर्ती के लिये अंग्रेजी सख्त कर दी जाय ताकि वह यूनिवर्सिटी से फायदा उठा सकें। यह इंगलिश की हालत है। उससे भी जो अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं वह समझते हैं कि इंगलैंड में अंग्रेजी भले ही कमजोर हो जाय, लेकिन हिन्दुस्तान में अगर कमजोर हो गई और लड़के अंग्रेजी में फर्राटे से बोलते हुये न निकल सके तो हमारी सारी तरक्की रुक जायगी और हम कूप मंडूक रह जायंगे और कहीं के नहीं रहेंगे यह भावना है। इसके विरुद्ध यह प्रस्ताव है।

हम इस बात को मानते हैं कि अनुशासन की कमी वहां से आरम्भ होती है कि जब लड़का क्लास में बैठा दिया जाता है और मास्टर जो पढ़ा रहा है वह उसकी समझ में नहीं आता। पहला कारण अनुशासनहीनता का यह है। यों तो अनुशासन की कमी के कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण यही है कि लड़का कक्षा में बैठा दिया जाय, चार पांच घंटे उसे वहां बैठे रहना पड़े और मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं यह उस की समझ में नहीं आता है, तो सिवाय इसके कि लड़का अनुशासनहीनता करे, इधर-उधर की बात करे या मटरगस्ती करे और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा यह निश्चित विचार है कि जहां कहीं भी आज अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है वहां जबर्दस्ती अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है। दो तीन घंटे कम से

कम इस तरह से वहां इस बात के लिये दिये जा रहे हैं कि लड़के कैसे अनुशासनहीन हो सकते हैं। अंग्रेजी वह समझते नहीं। हालत यह है कि एक अक्षर अंग्रेजी लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तब प्रयत्न यह किया जा रहा है कि उनको अंग्रेजी की वह शिक्षा दी जाय जो इंग्लैंड में भी नहीं है। तो इस तरह से निश्चित रूप से हम उन्हें अनुशासनहीन होने के लिये दावत दे रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें और भी बड़े-बड़े तमाम लोग इकट्ठा हुये थे। वहां पर एक मत तो यह सभी ने प्रकट किया था कि अनुशासनहीनता की बुनियाद वहां से उत्पन्न होती है जब लड़कों और अध्यापकों का सम्बन्ध जो होना चाहिए वह गायब हो जाता है। क्या आप नहीं जानते कि अगर अध्यापक वह भाषा पढ़ाने लगता है जिसे लड़का नहीं समझता तो वह सम्बन्ध फौरन गायब हो जाता है। नतीजा उसका वही होगा जो आये दिन हुआ करता है।

श्रीमन्, इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलते समय मैं यह प्रार्थना आप से करूंगा कि इस बात पर अब निश्चित विचार आप कर लीजिये कि कितनी भाषाओं को आप कितने स्थानों पर पढ़ाना चाहते हैं। कुछ विचारक जो अंग्रेजी से ज्यादा मोह रखते हैं उनका विचार हो सकता है कि तीन लैंग्वेज हमको पढ़ानी चाहिये। हिन्दी, उसी के साथ एक भारतीय भाषा भी पढ़ा लेनी चाहिए और अंग्रेजी के साथ इतना प्राचीन मोह जो बढ़ा हुआ है, तो अंग्रेजी को भी इन्हीं के साथ शामिल कर लेना चाहिये ताकि तीनों भाषाओं का अध्ययन हो जाय। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर गौर करें। छोटे-छोटे लड़कों के दिमाग पर तीन-तीन भाषायें लादना और फिर संस्कृत अनिवार्य रूप से रहेगी, इस तरह से तीन नहीं बल्कि चार भाषाओं का बोझ हम उन पर लाद रहे हैं, तो यह चार-चार भाषाओं का बोझ लादना किसी भी विद्यार्थी के ऊपर और वह भी सेकेंडरी स्कूल में, स्वावलम्बन के लिए उसे बिलकुल पंगु बना देना है। जो सिर्फ भाषायें पढ़ता रहेगा, चार-चार भाषायें पर्याप्त हैं, उसके जीवन भर के लिए, तो स्वावलम्बन की बात उसमें कहां से पैदा होगी? स्वावलम्बन तो तभी हो सकता है जब आप उसे कोई चीज सिखायें, वह कोई विद्या सीखे, लेकिन जब आप उसे कुछ सिखाने के लिये ही तैयार नहीं हैं, सिर्फ भाषा ही सिखाना चाहते हैं और चार-चार भाषायें सिखाना चाहते हैं तो मानी हुई बात है कि स्वावलम्बन उसमें बिलकुल आ नहीं सकता। इसलिये जो इसमें लिखा हुआ है कि यह स्वावलम्बन के लिए है और अनुशासन के लिये है तो उसका अर्थ सिर्फ यही है कि भाषाओं की पढ़ाई को सिर्फ उतने ही तक रखिए ताकि उसको विद्या के अर्जन के लिए, कला के अर्जन के लिये, दूसरी चीजों को पढ़ने के लिये पर्याप्त समय मिल जाय और उससे वह अपना जीवन यापन कर सके। मेरे खयाल से इस अर्थ में इस प्रस्ताव को यदि वह देखने की कोशिश करेंगे तो जरूर इससे सहमत होंगे।

जिन भाइयों ने यह कहा कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी नहीं बैठा दी जाती तो यह प्रस्ताव उनकी समझ से बिलकुल निरर्थक है। तो मैं यह साफ इसलिये कर देना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी की भाषा की एक नीति है जिसमें हम बार-बार यह कहते आये हैं कि अंग्रेजी को हटा करके हम हिन्दी को नहीं बैठाना चाहते हैं। हिन्दी को वह स्थान अंग्रेजी का हम नहीं देना चाहते हैं। यह हमने बार-बार कहा है कि अंग्रेजी के हटने के बाद कोई भारतीय भाषा उसका स्थान लेगी। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वह या तो हमारी भाषा नीति को समझते नहीं हैं या दूसरे प्रान्तों के सामने हमें बदनाम करने के लिये इस तरह की बात करते हैं कि हम अंग्रेजी को हटाकर के उसके स्थान पर हिन्दी को लादना चाहते हैं।

प्रस्ताव बिलकुल सीधा-सादा है कि प्रारम्भिक स्कूलों तक एक भाषा रखिए। सेकेंड्री स्कूलों में जाइये तो दो भाषायें लीजिये। दो भाषाओं में होना तो यह चाहिये था कि हिन्दी और संस्कृत रहती, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि दो भाषाओं से अपना काम नहीं चला सकते। इसलिये मैं कहता हूं कि एक भारतीय भाषा से सन्तोष कीजिये। एक भारतीय भाषा लाना इसलिये आवश्यक है कि अगर एक भारतीय भाषा नहीं लाते हैं तो इससे तीन लैंग्वेज का प्रश्न बड़ी तेजी से आपके सामने आ जाता है और दूसरी प्रान्तों के लोगों से आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह आपकी हिन्दी को पढ़ें। जब उसका समय आवे तो वे आपकी भाषा पढ़ें और फिर

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

एक फारेन भाषा पढ़ें। अगर आप उनको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं और दूसरी प्रान्तों की भाषाओं को दबाना नहीं चाहते हैं और हिन्दी को उनके ऊपर नहीं लादना चाहते हैं तो उनकी यह उचित मांग है और उस उचित मांग को आपको मान लेना चाहिये कि हिन्दी के बराबर उनकी भाषा को आप स्थान दे दें जैसी कि जरूरत है।

सेकेन्डरी से दूसरी भाषा की जरूरत पड़ती है। इसलिये जहां सेकेन्डरी शिक्षा को वह प्रारम्भ करे वहां एक भारतीय भाषा वह चुन ले और वह हिन्दी के समकक्ष आजाय ताकि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि हिन्दी हमारे ऊपर जबर्दस्ती लादना चाहते हैं। अगर आप इस तरह से कर देते हैं तो हिन्दुस्तान की यूनिटी के लिये यह एक बड़ा भारी कदम होगा। हिन्दी के ऊपर जो यह लांछन लग रहा है, जिससे हिन्दी का सब से बड़ा अपकार हो रहा है वह दोष कम से कम दूर हो जायगा। हिन्दी इस प्रकार से अपने स्वतंत्र रूप में आयेगी और उसका हम विकास कर सकते हैं और बिना किसी के डराये हुये वह स्वतंत्र रूप में आ सकेगी।

जो प्रस्ताव आपके सामने है मैं इस बात को मानता हूं कि वह प्रस्ताव पूरा नहीं है। शिक्षा कैसी होनी चाहिये और शिक्षा के लिये किस बात की आवश्यकता है इस बात को यह प्रस्ताव नहीं बतलाता है। यह प्रस्ताव एकांगी है, लेकिन एकांगी होते हुये भी पूर्ण है। यह भाषा के बारे में बात करता है। शिक्षा के सारे विषयों में यह मौन है क्योंकि बड़े-बड़े विषयों को इस प्रस्ताव में लाकर हम समझते थे कि अपनी बात हम नहीं कह सकेंगे। उन बातों को छोड़ दिया गया है। केवल महत्वपूर्ण प्रश्न को ही हमने लिया है और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उस तरफ अपना ध्यान लगाये।

जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमारे सामने एक ही प्रश्न है कि भाषा का क्या रूप होना चाहिये और कौन-सी भाषा हमको पढ़नी चाहिये यह निर्णय करने की आज आवश्यकता है यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैंने बताया कि हमारे देश में अंग्रेजी के जरिये कितना हमारा नुकसान हो रहा है शायद वह नहीं समझ रहे हैं उस नुकसान को जो कि अंग्रेजी पढ़े हुये हैं वह नहीं समझ रहे हैं कि जनता से हमारा सम्बन्ध कितना टूट गया है। वह शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उन छोटे-छोटे विद्यार्थियों से हमारा कितना सम्बन्ध छूट गया है जो अंग्रेजी वातावरण में नहीं पले हैं। आप अपनी बात छोड़ दीजिये। पहले अंग्रेजों का समय था और अंग्रेजी का वातावरण था। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी उसके मुताबिक ही सब काम होता था। वह जमाना अब बदल गया है। अब आपको नये वातावरण के अनुकूल ही निर्णय करना चाहिये। दूसरी भाषा भी आज बराबरी के दर्जे पर हमारे लिये हैं। जो फौरेन लैंगवेज हैं चाहे रूसी हो, जर्मनी हो या अंग्रेजी हो वह हमारे लिये सब फौरेन लैंगवेज हैं और आगे जाकर हम सीख सकते हैं। वह सब समकक्ष भाषायें हैं। उन सब को पढ़ने का हमको अधिकार होना चाहिये किन्तु उनके लिये आगे मौका मिलता है। जिन लोगों को अंग्रेजी से बहुत प्रेम है और अंग्रेजों के साथ बहुत रहे हैं उनको बिना समझे इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहिये। मुझे उनसे इतना ही कहना है कि इस प्रस्ताव में जो मूलतः बातें हैं उनको गलत समझने की कोशिश न करें। मैंने बताया कि इससे बड़ा नुक्सान आज हो रहा है।.....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—मैंने बताया कि अंग्रेजी से जो बुराई उत्पन्न हो रही है उसको वही बता सकता है जिसने आजकल के लड़कों को समझा हो। हाई स्कूल पास करने के बाद और इन्टरमीडियेट पास करने के बाद उनको कितनी अंग्रेजी आती है एक अध्यापक होने के नाते मैं इसको जानता हूं और बातों को आप छोड़ दीजिये जो पुस्तकें हाई स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वह लड़कों की समझ में आती हों या नहीं यह दूसरी चीज है, लेकिन जो अध्यापक पढ़ाते हैं मैं निश्चय ही कह सकता हूं वे उन अंग्रेजी की किताबों को समझ नहीं सकते हैं। हालत

यह है कि अंग्रेजी जबरदस्ती लादी जा रही है। मैं इस बात को जानता हूं कि बी० ए० पास करने के बाद छठें दर्जे की अंग्रेजी की किताब को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। ऐसी दशा में अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजी को हटाकर दूसरी भारतीय भाषा को लाना चाहिये तो यह देश के हित के लिये, विद्यार्थियों के हित के लिये है। जिनको अंग्रेजी से अधिक मोह है, अंग्रेजी संस्कृति से अधिक लोभ है वह अपने लोभ को संवरण करके इस प्रस्ताव को मानकर देश का उपकार करें।

*श्री केशभानराय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मैंने सम्यक् विचार किया और बहुत से माननीय सदस्यों के भाषणों पर भी विचार किया। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह प्रस्ताव रखा गया है उन के संबंध में पूर्व वक्ताओं ने विचार-विनमय किया और अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो अनुशासन, स्वावलम्बन आदि बातों पर प्रकाश डाला मैं उसका समर्थन करता हूं और यह मानता हूं कि लड़कों को यदि ऐसा विषय पढ़ाया जाय कि जिसमें उनका ध्यान न लगे तो अनुशासन में जरूर बाधा पड़ती है। लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि अंग्रेजी को हमारे सेकेन्डरी स्कूलों के प्रास्पेक्टस में जो स्थान प्राप्त है उसके नाते कौन-सी गड़बड़ी पैदा होती है। हमारे पूर्व वक्ता महोदय शिक्षक रह चुके हैं और मैं भी सौभाग्य से एक शिक्षक रह चुका हूं। मेरे विचार से जो स्थान अंग्रेजी को प्रास्पेक्टस में प्राप्त है उससे कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती है। मैं आपका ध्यान प्रास्पेक्टस की ओर दिलाना चाहता हूं। आज कल जैसे हाई स्कूल में हिन्दी अनिवार्य है और हिन्दी में भी संस्कृत ३० प्रतिशत अनिवार्य है। दूसरा अनिवार्य विषय गणित का है। तीसरा विषय है जिसमें भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी एक आध भाषा भी है और उन्हीं में अंग्रेजी का स्थान भी आता है। इसमें अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं रखा गया है, बल्कि यह एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखी गयी है, कोई चाहे तो अंग्रेजी ले, चाहे तो मराठी या नैपाली आदि ले, कोई भाषा वह ले सकता है। तो इसलिये यह प्रश्न नहीं पैदा होता कि अंग्रेजी को लाद दिया गया है। अंग्रेजी लादने का प्रश्न नहीं है। वह एक वैकल्पिक भाषा के रूप में है। प्रश्न यह पैदा होता है कि जब अंग्रेजी वैकल्पिक भाषा के रूप में है तो आखिर ९९ फीसदी लड़के अंग्रेजी क्यों लेते हैं। जब उनको छूट दी गयी है कि वह कोई भारतीय भाषा लें अथवा विदेशी तो वे अंग्रेजी क्यों लेते हैं?

श्री देवीप्रसाद मिश्र—बी० ए० में अंग्रेजी कम्पल्सरी है।

श्री केशभानराय—लेकिन इस प्रस्ताव में इसकी कहीं चर्चा नहीं है कि उसे बी० ए० में कम्पलसरी न रखा जाय। जब तक यूनिवर्सिटी में आप यह नहीं बदलते तब तक जहां वह अनिवार्य है उसे रहना चाहिये। उसे देखते हुए तो इस प्रस्ताव का और भी विरोध होना चाहिये। तो मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अंग्रेजी वैकल्पिक विषय होते हुए भी उसे ९९ फीसदी लड़के लेते हैं। आपने जैसा निवेदन किया, उस संबंध में मेरा कहना है कि बजाय यहां के जहां वह अनिवार्य है, यूनिवर्सिटीज में, वहां उसकी अनिवार्यता हटाने का आप प्रयास कीजिये तो बेहतर होगा।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—यहां हटा देंगे तो वहां पहले हट जायगी।

श्री केशभानराय—मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप इसको यहां से हटा दें तो अपने आप हट जायगी।

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं दो एक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक देहात से आया हूं, मैं वहां की मानसिक मनोवृत्ति का परिचय देना चाहता हूं जिसे हम अपनी साधाराण बोली में गंवार कहते हैं। ऐसे मां बाप, आज से २०-२५ वर्ष पहले यह समझ कर अपने बच्चे को पढ़ने भेजते थे कि हमारा बच्चा "बाबू" बनेगा, वह अंग्रेजी पढ़ने जा रहा है। अंग्रेजी की महिमा थी। यद्यपि वह अंग्रेजी के साथ-साथ और दूसरी चीजें भी पढ़ता था, जैसे संस्कृत, भूगोल इत्यादि, लेकिन अंग्रेजी का इतना महत्व था कि वह अंग्रेजी पढ़ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशभानराय]

जाता था और सब पढ़ाई को अंग्रेजी ही समझा जाता था। पाठशाला में संस्कृत की पढ़ाई, बढ़ई के घर में बढ़ईगिरी, कोई पढ़ाई नहीं थी। क्योंकि लोग समझते थे की कमाऊ पढ़ाई अंग्रेजी है। मगर आज आप देहातों में देखें तो मालूम होगा कि अंग्रेजी का स्थान दूसरा विषय ले रहा है, जिसे चाहे पढ़ने की योग्यता हो या न हो, शक्ति और क्षमता हो या न हो, लेकिन हर मां बाप चाहते हैं कि बच्चा उसी को पढ़े, वह है विज्ञान, सांइस। वह चाहते हैं कि हमारा बच्चा विज्ञान पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़े। वैसे विज्ञान पढ़ने के लिए सौ में २०-२५ के पास ही मस्तिष्क होता है कि विज्ञान पढ़ सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन कोई भी मां-बाप जिसके पास पैसा है, रुपया है, जो जानता भी नहीं कि विज्ञान क्या है, लेकिन वह विज्ञान पढ़ाने के लिये तैयार है और उसका मोह तब तक नहीं छोड़ता है जबतक लड़का इंटरमीडिएट और बी०ए० में ३-३ और ४-४ साल फेल नहीं होता है। तो उस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को हम देखें कि क्यों अंग्रेजी हमने अपनाई और क्यों उसका मोह हुआ और अब क्यों विज्ञान और ऐग्रिकल्चर की ओर मोह है? इसके आधार में है कि येन केन प्रकारेण हमारी शिक्षा अर्थकरी शिक्षा हो। कोई अंग्रेजी या विज्ञान का मोह उसके पीछे नहीं है, यह अर्थकरी विद्या होने का ही प्रभाव है।

पठन-पाठन के बारे में मैं जानता हूं कि रिजल्ट देख लिया जाय तो अंग्रेजी में सौ में से ४० लड़के पास होते हैं और ६० फेल होते हैं। वैसे ही विज्ञान में भी यद्यपि अभी कम लोग ले रहे हैं, लेकिन देहातों में जहां-जहां विज्ञान को रिकग्नीशन मिलता जा रहा है बहुत बड़े स्केल पर लोग विज्ञान और कृषि पढ़ रहे हैं। तो जब बड़े स्केल पर विज्ञान और कृषि की शिक्षा होने लग जायगी तो जो रिजल्ट आप अंग्रेजी का देख रहे हैं वही दशा, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अगर ऐसी मनोवृत्ति रही तो विज्ञान की भी होगी। जिस प्रकार क्लास में अंग्रेजी पढ़ाते समय शिक्षक छठीं की किताब भी नहीं समझा पाते हैं, और मास्टर भी स्वयं नहीं समझ पाते हैं। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि एक समय आयेगा जब कि नवें और दसवें दर्जों में जहां पर आज ९९ प्रतिशत संख्या अंग्रेजी पढ़ने वालों की है वहां पर इनकी प्रवृत्ति विज्ञान को पढ़ने की होगी और उस दिन आप यह देखेंगे कि ऐसे लड़कों को पढ़ाने के लिये आपको अपने मापदंड को नीचा करना पड़ेगा....

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

मैं यह जानता हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे बोर्ड में, हमारे समाज में, हमारे शिक्षा अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर परीक्षा में १० प्रतिशत लड़के पास होने वाले हैं, और ९० प्रतिशत फेल होने योग्य हैं तो वे उन ९० फीसदी लड़कों को फेल कर दें और १० फीसदी को ही पास करें। उनको आज इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर १०० में से १५ पास होने योग्य हैं तो वे १५ ही लड़के पास करें और ८५ को फेल करें। इसका असर क्या होगा? आपको झक मार कर अपने मापदंड को नीचा गिराना पड़ेगा। इसका दोष किस पर होगा? आप किसी एक विभाग पर या पार्टी पर या किसी व्यक्ति पर इसके दोष को नहीं लाद सकते हैं। आज ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि अंग्रेजी को रखा जाय या छोड़ा जाय। मैं जो तर्क यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं और उनकी ओर जो भी मनोवृत्ति है उसी की पृष्ठभूमि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी कभी इस प्रकार के विषय हमारे सामने आये उन पर हमें, आपको गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। जो हमारा मूल प्रश्न है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये। हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिये क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाय कि "क" के अर्थ से "ख" हो जाय। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आप अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं तो पहले युनिवर्सिटियों से उसको निकालिये। वहां से इसको निकाला जा सकता है। उसको हटाने का कार्य ऊपर से होना चाहिये। इस सिलसिले में यह कहा गया कि हमें हिन्दी को बढ़ाना है, हम हिन्दी का विस्तार करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह से कैसे विस्तार होगा? अगर हम चाहते हैं कि दूसरे प्रान्त वाले भी हिन्दी को ग्रहण करें तो यह भी अनिवार्य है कि हम भी दूसरे प्रान्तों की भाषा को अपने यहां स्थान दें, हम भी उसको पढ़ें। इसमें बहुत परेशानी पैदा होगी। उदाहरण के लिये मदरास

में मदरासी लोग एक तो अपनी मात्रभाषा पढ़े मदरासी और फिर दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा पढ़ें हिन्दी, तो इस तरह से दो भाषायें वे पढ़ें। इस तरह उनके लिये दो भाषायें रखी जायं। अब उनके लिये अगर दो भाषायें हो जाती हैं तो हमारे लिये भी फिर दो भाषायें होनी चाहिये—एक तो हम अपनी मात्रभाषा हिन्दी पढ़े और दूसरी और कोई भाषा पढ़ें। फिर हमारे उत्तर प्रदेश में विविध प्रकार के लोग यह भी कह सकते हैं कि हम मदरासी पढ़ेंगे, हम गुजराती पढ़ेंगे। कोई कहेगा कि हम मराठी पढ़ेंगे। अब अगर एक स्कूल में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की भाषायें पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी भाषाओं के लिये हमें स्कूलों में प्रबन्ध करना पड़ेगा। मैं यह जानता हूं कि हमारे विद्यार्थी अंग्रेजी लेकर ९९ फीसदी अनुशासन हीनता पैदा करते हैं। किन्तु जिस दिन यह अंग्रेजी निकाल दी जायेगी उस दिन एक नयी समस्या खड़ी हो जायेगी। आपके स्कूलों में १० लड़के मदरासी पढ़ना चाहेंगे १० कोई दूसरी भाषा पढ़ना पसन्द करेंगे और १० कोई दूसरी। इस तरह से हमें विविध प्रकार की भाषाओं को लादना पड़ेगा। यह सब आपको अपने स्कूलों में एकही भाषा के कारण करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर तर्क देते समय इस किस्म के तर्क देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। इन तर्कों से हम मूल विषय पर नहीं पहुंच सकते हैं। आज का विषय केवल इतना ही है कि मातृभाषा जोकि हमारे राज्य की भी भाषा है उसके साथ-साथ वैकल्प के रूप में अगर अंग्रेजी रख दी जाती है तो एक बड़ा भारी अन्याय हो जाता है। मैं समझता हूं कि इससे कोई और लाभ हो या न हो एक लाभ मैं यह जरूर देखता हूं कि जब तक हायर सेकेन्डरी एजूकेशन में लड़के अंग्रेजी को लेते रहेंगे तबतक हम मानेंगे कि जीवन के विविध क्षेत्रों में अंग्रेजी को अपनाना है। मैं कहता हूं कि जीवन के विविध क्षेत्रों में जिनका कि अर्थ से सम्बन्ध है आप अंग्रेजी को उठा दीजिये तो यहां से अंग्रेजी अपने आप उठ जायगी....

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री केशभान राय—इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—अधिष्ठात्री महोदया, आज एक ऐसे सवाल पर बहस हो रही है जिसके सम्बन्ध में मेरे जैसे लोग ऐसा सोचते थे कि इसपर बहस नहीं होनी चाहिये। मुझे माफ करेंगे मेरे मित्र कुछ लगता ऐसा है कि जिस तरह से भीड़ में विचारों पर जोश ज्यादा प्रभाव कर लेता है होश से तो अगर जोश ज्यादा प्रभाव करने लगे तो मेरी समझ से इससे देश का कार्य चलने वाला नहीं है। यह बात सही है कि प्रत्येक को अपनी भाषा के प्रति प्रेम होना चाहिये, राष्ट्रभाषा के प्रति देश को प्रेम होना चाहिये, यह विवाद का विषय नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार का प्रस्ताव आता है तो उसकी व्यवहारिकता की तरफ़ देखना चाहिये। इस विधान सभा के सदस्य जिनको कि सारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में सारे देश का नेतृत्व करना हो, जिनकी भाषा हिन्दी समझी जाती हो और दूसरे लोग ऐसा समझते हों कि यह उन्हीं की भाषा है, तो ऐसे मामले में हमें बड़े निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। इसलिये मेरे मित्र का जो प्रस्ताव है उसका मैं बड़ी नर्मतापूर्वक विरोध करना चाहता हूं। किसी भाई को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि मैं हिन्दी का विरोध करना चाहता हूं। राष्ट्रभाषा के प्रति मेरा प्रेम किसी भाई से कम हो, एसी बात नहीं है। अंग्रेजी का विरोध होना चाहिये, यह बात चली आई है। इसलिये हर स्थान पर विरोध करना चाहिये यह कोई उचित बात नहीं।

अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि सेकेन्डरी स्टेज पर एक देशी भाषा होनी चाहिये। एक क्लास में अगर १५ देशी भाषायें पढ़ानी हों तो क्या उसके लिये १५ अध्यापक रखे जायें? श्री देवी प्रसाद जी पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और इसलिये मैं बोलने खड़ा हुआ वरना मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं नहीं समझता कि १५ अध्यापक १५ कक्षाओं में रखे जायें प्रत्येक विषय के लिये और मैं नहीं समझता कि यह आजकल जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसके अन्तर्गत यह कहां तक व्यावहारिक है। हिन्दी का हिमायती मैं भी हूं और मैं समझता हूं कि किसी दूसरे मित्र से मैं कम नहीं हूं, लेकिन मैं अनावश्यक रूप में हिन्दी का अपमान नहीं करना चाहता। मैं हिन्दी की अनावश्यक हिमायत

[श्री गौरीशंकरराय]

करके हिन्दी का नुकसान नहीं करना चाहता। आज सारे विश्व की सेकेन्ड लैंग्वेज अंग्रेजी है। चीन से जो सामान आता है तो उस पर लिखा रहता है "मेड इन हांगकांग"। उनकी सेकेन्ड लैंग्वेज अंग्रेजी है। इसी प्रकार से अमरीकन या कोई दूसरा सामान हो उस पर अंग्रेजी में लिखा रहता है।

इस में मतभेद की बात हो सकती है, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि जहां एक ओर राजा जी की ओर से मुख्य भाषा अंग्रेजी रखने का अन्दोलन हो रहा है वहां दूसरी तरफ इस प्रकार का आन्दोलन करना भी हास्यास्पद मालूम होता है। इसको संतुलित भाव नहीं कहा जा सकता, यह केवल भावना मूलक है कि द्वितीय भाषा के रूप में भी अंग्रेजी न रहे। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को रखना हिन्दी अथवा किसी और भारतीय भाषा के लिये अपमान की बात नहीं है। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य है वह सब का सब हिन्दी में उतर आया है? क्या उसके उतरने की आवश्यकता है या नहीं? क्या साइंस और राजनीति की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में हिन्दी में लिखी जा चुकी हैं? इसका उत्तर जो मित्र "हां" में देते हैं उनसे मैं नम्रतापूवक निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जानकारी में अवश्य ही कमी है। इसमें दो रायें हो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अंग्रेजी ऐसी भाषा जरूर है जिस को द्वितीय भाषा के रूप में रहना चाहिये क्योंकि अभी उससे हमें बहुत कुछ लेना है। हमारे एक मित्र थे जो कि सार्वजनिक जीवन के नेता थे। वे अंग्रेजी लिखने का प्रयास करते थे, लेकिन जब कभी उसमें सफल नहीं हो पाते थे तो कहते थे कि हमारी मातृ भाषा तो हिन्दी है, अंग्रेजी लिखना मूर्खता है।

मेरी समझ में नहीं आया कि मिश्र जी ने यह कैसे कह दिया कि अंग्रेजी लादी जा रही है। वे अध्यापक हैं और मैं भी अध्यापक रह चुका हूं। मेरी समझ में तो उनके इस लादने शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। उसके केरीक्युलम में लादने को कोई बात नहीं है। इसलिये यह कहना कि द्वितीय भाषा के रूप में भी अंग्रेजी भाषा न हो यह ज्ञात और अज्ञात रूप में मस्तिष्क की संकीर्णता को ही बताता है। प्रस्ताव में लिखा हुआ है—

"पाठ्य-क्रम में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जाय कि केवल उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जिनकी मातृ भाषा अंग्रेजी हो अन्य सब ही विद्यार्थियों के लिये भारतीय संविधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाषा के स्थान पर अनिवार्य रूपेण शिक्षण नियमित हो।"

जिन लोगों की मातृ भाषा हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी भाषा है उनके लिये तो वह द्वितीय भाषा प्रथम भाषा है। इस बारे में मैं कोई लम्बा तर्क नहीं देना चाहता हूं और न यह प्रस्ताव तर्क से प्रभावित हो कर ही रखा गया है, इस प्रस्ताव से आत्म सम्मान और ममत्व की भावना व्यक्त होती है लेकिन जब इस प्रकार की भावना का अतिक्रमण होता है तो उसको रिएकशनरी आदि नामों से पुकारा जाता है। इससे जिस भाषा का वह भला करने की सोचते हैं उसका लाभ भी नहीं हो सकता बल्कि यह अव्यावहारिक है। मैं समझता हूं इस विषय में हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिये आत्मश्लाघा और जोश से अधिक काम इस बारे में नहीं लेना चाहिये। मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र इस पर पुनर्विचार करेंगे और यह न सोचेंगे कि हम लोग किसी दूसरी भाषा से प्रेम करने वाले हैं। यही सोचते हुए कि उनको हिन्दी भाषा के प्रति, देश के प्रति प्रेम है अधिष्ठात्री महोदया, मेरा विश्वास है कि देश के लिये, हिन्दी के लिये अभी सेंकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का रहना अनिवार्य है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर पुनर्विचार करेंगे और इस प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव आज उपस्थित है वह गत दो वर्षों से कई बार विभिन्न रूप में सदन के सामने आ चुका है। जब कि एक प्रस्ताव विभिन्न रूप में कई बार इस सदन के सामने आया है

तो वह इस बात को प्रकट करता है कि सदन के माननीय सदस्यों की जो भावना है, वह प्रदेश की भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज प्रदेश की जनता की यह मांग है कि अंग्रेजी का पठन-पाठन उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में बन्द कर दिया जाय।

अधिष्ठात्री महोदया, गत वर्ष जब इसी तरह का एक प्रस्ताव भाई रामसिंह जी चौहान ने यहां उपस्थित किया था तो उस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा विरोध में यह तर्क उपस्थित किया गया था कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्य-क्रम निश्चित है उसमें वैकल्पिक भाषाओं के लिये जो भाषायें निश्चित हैं उनमें १४ भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त तीन विदेशी भाषायें अंग्रेजी, फ्रेंच, और जर्मन भी हैं और विद्यार्थी इन १७ भाषाओं में से किसी भाषा को भी वैकल्पिक भाषा के रूप में ले सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ना ही पड़े। हम लोगों ने उस समय यह समझा कि जब कि प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है तब यह उचित ही है कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव यहां पास न किया जाय, लेकिन जब प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं की तरफ निगाह फैलायी गयी तो यह देखा गया कि वहां पर भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के पठन-पाठन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये विदेशी भाषाओं में से अंग्रेजी भाषा का पठन-पाठन उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य रूप से कर दिया गया है और वही उनको पढ़ाया जाता है। जब विद्यार्थियों को किसी दूसरी भाषा में उनको पढ़ाने का प्रबन्ध नहीं है तो अनिवार्य रूप से उनको अंग्रेजी ही लेनी पड़ती है।

अब जो यह प्रस्ताव भारतीय जी ने रखा है वह यह है कि "केवल उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो अन्य सब ही विद्यार्थियों के लिये भारतीय संविधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाषा के स्थान पर अनिवार्य रूपेण शिक्षण अनिवार्य हो।" पक्ष व विपक्ष में इस संबंध में काफी दलीलें दी गयी हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी जो हमारे इस सदन के एक श्रेष्ठ वक्ता हैं, आज एकाएक बोलने के लिये खड़े हो गये और उनके भाषण के समय हमने यह पाया कि आज उन्होंने प्रस्ताव को पढ़ा भी नहीं है और एकाएक बोलने के लिये खड़े हो गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जब यह लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में स्वावलम्बन और अनुशासन सामयिक शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए यह उचित है, तो जब हमारा शरतकालीन अधिवेशन चल रहा था उस समय लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में जो घटनायें हुईं उनको लेकर एक प्रस्ताव यहां उपस्थित हुआ था और सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से विद्यार्थियों की भर्त्सना की गयी और यह कहा गया कि विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता सीमा को पार कर चुकी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी माननीय सदस्य में आज यह कहने का साहस है या किसी घटना का यहां उदाहरण पेश कर सकते हैं? हमारे सूबे में ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही एक विश्वविद्यालय है जिस को गुरुकुल कांगड़ी कहते हैं जहां पर आचार-विचार के अनुसार हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है वहां से कभी भी विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की कोई शिकायत आई है या जो अन्य हमारी संस्कृत की यूनिवर्सिटीज हैं वहां से कभी कोई अनुशासनहीनता या विद्यार्थियों की उच्छृंखलता की कोई शिकायत आई है? रोज समस्यायें वहीं खड़ी होती हैं जहां पर कि अंग्रेजी का पठन-पाठन होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से लेकर यूनिवर्सिटी तक रोज विद्यार्थियों की उच्छृंखलता और अध्यापकों के आचार-विचार के प्रश्न आते हैं। इसी कारण आज हमारी यह मांग है कि अनुशासन-हीनता को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि अंग्रेजी की जगह हम अपनी मातृभाषा का मान करें।

मैं आपके सम्मुख एक घटना रखना चाहता हूं कि तीन या चार अक्तूबर, सन् ५८ को सहायक कृषि अधिकारियों या ए० डी० ओज० का सेलेक्शन हुआ। मैं भी उस सेलेक्शन कमेटी का मेम्बर था। सैकड़ों विद्यार्थी उस कमेटी के सामने आये जिनका हमने इन्टर-व्यू किया। उनसे पूछा तो मालूम हुआ कि उनमें से हर एक के पास जमीन थी, किसी के

[श्री जगन्नाथ लहरी]

पास १०० बीघा, किसी के पास ५० बीघा परन्तु जमीन होते हुए भी एक भी विद्यार्थी स्वयं खेती करने को सहमत नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि उन विद्यार्थियों के संरक्षकों ने या उनके शिक्षकों ने जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी, उनका यह असर न हुआ उनकी अंग्रेजियत की वजह से, उनकी वेशभूषा की वजह से कि वह कृषि की शिक्षा के बाद, खेत होने पर भी अपने यहां खेती का काम करना उचित समझते। किसी ने कुदार, खुरपा, फावड़ा, चला कर अपने बुजुर्गों की सहायता करना उचित न समझा और सब क सब नौकरियों के लिये लालायित डोल रहे थे। वह लड़के अगर चाहते तो उस अपने ज्ञान से धरती से सोना उगा सकते थे, लेकिन नौकरी के अलावा कोई दूसरा साधन उनकी समझ में नहीं आया। मेरा तो कहना है कि अंग्रेजी ने, उस वेशभूषा ने उन विद्यार्थियों में यह हिचक पैदा की है कि वे अपने काम में शर्म समझते हैं। उन नवयुवकों में अभी मातृभूमि का, मातृभाषा का प्रेम नहीं जगा है, वह अभी श्रम की डिगनिटी को नहीं समझते, वह अभी भी नौकरी के लिये लालायित हैं। आज उचित है कि ऐसी संस्कृति और ऐसी भाषा को हम दूर से ही प्रणाम कर लें।

मुझे श्री गौरीशंकर राय जी की बात सुनकर कुछ आश्चर्य-सा हुआ। उन्होंने कहा कि हिन्दी अभी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन क्या हमारी संस्कृत भाषा सारे विश्व की भाषा नहीं थी। जब कि सारा मानव ज्ञान संस्कृत के द्वारा विश्व में प्रवाहित हुआ, जब भारतीय अपनी भाषा संस्कृत के द्वारा सारे विश्व को ज्ञान दे सके, जिसका मुकाबला कोई विश्व की भाषा न कर सकी तो क्या आज भारत माता निपूती हो गई, क्या वह बन्ध्या हो गई कि उसकी अपनी भाषा के मुकाबले में एक विदेशी भाषा खड़ी रह सके? जिस प्रदेश की विधान सभा के सम्मानित नेता माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त ने बम्बई के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर सर्व प्रथम घोषणा की थी कि इस प्रदेश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी और हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा के पद पर पदासीन होगी और वही श्रेय राष्ट्रभाषा के पद पर हिन्दी को बिठाने का हमारे प्रधान मंत्री को मिला। अभी कुछ साल पहले इस सरकार ने यह फैसला किया था कि सरकार के सभी काम हिन्दी में किये जायंगे। जब सरकार भी लालायित है और इस देश के प्रधान मंत्री जब यहां की राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित करते हैं तब इस प्रकार क्यों आपत्ति की जाती है? आज अंग्रेजी के बड़े-बड़े विद्वान इस विधान सभा के सदस्य हैं। लेकिन क्या उनको अंग्रेजी में भाषण देने की अनुमति है? हो सकता है कि कोई कोटेशन वह अंग्रेजी में दे दें। तो क्या अब वह हिन्दी में नहीं बोल सकते? राष्ट्र और भाषा में अटूट संबंध है २८, २९, ३० तारीख को हमने चीन के संबंध में बहस की। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सभी ने भर्त्सना की थी और उसका एकमात्र कारण यही था कि कम्युनिस्ट के सामने राष्ट्र प्रेम से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम है। राष्ट्र प्रेम तभी तक जिन्दा रह सकता है जब तक कि राष्ट्रभाषा में प्रेम हो। विदेशी भाषा का अगर आप सहारा लेंगे तो राष्ट्र प्रेमी होने का कभी भी दावा नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में राष्ट्र प्रेम जागृत हो तो विदेशी भाषा को त्याग कर राष्ट्र-भाषा को उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा। यदि आज आप यह नहीं करेंगे तो भावी संतति आपको इसके लिये हमेशा कोसेगी कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी अपनी राष्ट्र भाषा के साथ द्रोह किया।

सन् १९५८ की औद्योगिक प्रदर्शनी में मुझे जाने का मौका मिला। वहां रूस और चीन के स्टाल थे वहां सम्मति पुस्तिका में लोगों के हस्ताक्षर कराये जाते थे। मैंने वहां देखा कि हमारे अनेक नागरिक व अधिकारीगण अंग्रेजी में अपनी सम्मति दे रहे थे और अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे थे। उस स्टाल पर जो प्रबन्ध करने वाली चीनी लड़कियां थीं उन्होंने

उनसे पूछा कि क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं जो कि आप विदेशी भाषा का सहारा लेते हैं ? मैं समझता हूं कि यह व्यंग्य अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने वालों के लिये वह हजारों जूतों के बराबर था। हम उस समय शर्म के मारे गड़ गये थे। हम अपने पठन-पाठन में यदि अंग्रेजी को अनिवार्यतः मौजूद रखेंगे तो अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने वाले भी मौजूद रहेंगे। हम विदेशों के सामने नतमस्तक होते रहेंगे और शर्म से झुकते रहेंगे। क्या उन चीनी लड़कियों के प्रश्न के लिये भाई गौरीशंकर जी के पास कोई जवाब है ? अगर हो तो वह बताने की कृपा करें।

अधिष्ठात्री महोदया, जब हमारे प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के पाठ्य-क्रम में हिन्दी अनिवार्य है और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, आदि वैकल्पिक हैं तो जर्मन और फ्रेंच का कहीं पठन-पाठन नहीं होता, सिर्फ अंग्रेजी का ही क्यों होता है ? अंग्रेजी का इसलिये होता है कि इस देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजी पढ़ाई जाती रही है और जिस तरह से कि अधिकारियों में जो बड़े-बड़े अंग्रेजी दां थे उनका काम अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता है उसी तरह से अध्यापकों में जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं उन्हें भी अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। इसके सिवाय और कोई दूसरा कारण नहीं है।

हमारे फीरोजाबाद में एक इस्लामिया इंटर कालेज है। उसमें रेलवे उप मंत्री श्री शाहनवाज आये थे। उस समय इस्लामिया इंटर कालेज के प्रिन्सिपल जो कि उर्दू जानते हैं और उर्दू के कवि भी हैं, उन्होंने उप मंत्री जी के स्वागत में जो भाषण दिया वह हिन्दी में दिया। तीस-चालीस हजार जनता उस समय वहां मौजूद थी। उनके हिन्दी के भाषण को सुनकर सब दंग रह गई कि इतना सुन्दर भाषण वह हिन्दी में दे सके। मैं कह सकता हूं कि पठन-पाठन की कमी है। अगर लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाय और व्यवस्था की जाय तो हमारे देश की मातृभाषा में विदेशी भाषा के ज्ञाता भी पारंगत बन सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सदन से निवेदन करता हूं कि सदन में बारबार यह प्रस्ताव आ रहा है। उसकी अहमियत को देखते हुए आज आवश्यकता है कि जब प्रदेश की भाषा हिन्दी और राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित हो चुकी है और १९६५ से अनिवार्य रूप से हिन्दी समस्त भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा हो जायगी तो जिस प्रकार माननीय पंडितगोविन्द वल्लभ पंत ने इस प्रदेश की राजभाषा हिन्दी घोषित करके देश का पथ-प्रदर्शन किया तो इस बार भी अंग्रेजी के स्थान पर वैकल्पिक रूप से और अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से घोषित करके देश का मार्ग प्रदर्शन करना चाहिये और हम तभी राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आपकी विशेष कृपा से मुझे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिला इसके लिये मैं आभारी हूं। मुझे भाषणों को सुनकर आश्चर्य हुआ। जहां तक अंग्रेजी के अनिवार्य होने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का जो प्रास्पेक्टस है उसे अगर देखा गया होता.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई माननीय सदस्य एक संकल्प पर दो बार बोल सकता है ?

श्री अधिष्ठाता--(श्री रामायणराय से) आपका भाषण पहले हो चुका है इसलिये अब आप नहीं बोल सकते।

श्री रामायणराय--माननीया, आपकी सूचना के लिये बता दूं कि कई माननीय सदस्य ऐसे बोल चुके हैं जो पहले भी बोले थे मेरे ही लिये क्यों यह कठिनाई है ?

श्री अधिष्ठाता---स्पीकर साहब को बाद में जानकारी हुई थी। अतः माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था कर दी वह सब को मान्य होनी चाहिये।

श्री उग्रसेन---अधिष्ठात्री महोदया, मैं श्री देवनारायण भारतीय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य विषय को ठीक से समझ नहीं सके और उन्होंने विषय की उधेड़ बुन करते समय उसको इतना गहन बना दिया कि विषय से दूर चले गये। प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों, माध्यमिक शिक्षास्तर, में अंग्रेजी भले ही वैकल्पिक जगह पर है मगर वह हटा करके उसकी जगह पर अन्य क्षेत्रीय भाषायें रख दी जायं।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अंग्रेजी तो कैरीकुलम में जरूरी विषय की जगह पर नहीं है वह तो वैकल्पिक विषय है। यह सही है और इस तथ्य से निगाह नहीं हटायी जा सकती कि हमारे प्रदेश में ९९ फीसदी माध्यमिक स्तर पर जहां अंग्रेजी वैकल्पिक विषय है उन विद्यालयों में अंग्रेजी ही पढ़ायी जाती है और नैपाली, सिंधी, जर्मन तथा अन्य दूसरी भाषायें नहीं पढ़ायी जातीं जो उसी में लिखी हुई है। अंग्रेजी ही ली जाती है और इसलिये ली जाती है कि आगे चल करके विश्वविद्यालय स्तर पर जो अंग्रेजी बिल्कुल अनिवार्य है उसके लिये एक मसाला मिल जाय। मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं, अभी हमारे माननीय सदस्य गोरखपुर बोल रहे थे। जो यह कहते थे सदन के समक्ष कि यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अनिवार्य है उसको हटाने के लिये प्रस्ताव माननीय देवनारायण भारतीय जी ने क्यों नहीं रखा? मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं यदि आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्तर से अंग्रेजी अनिवार्य विषय से हटा दी जाय तो यह जरूरी है कि माध्यमिक स्तर से उसकी पढ़ाई न हो। अगर शिक्षा के विधान में ऐसा कर दिया जाय तो नतीजा यह होगा कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जायगी और यूनिवर्सिटी में जो जायंगे उनको अंग्रेजी ए, बी, सी से शुरू करनी होगी और जो प्रबन्धक समितियां हैं उनको अंग्रेजी को अनिवार्य पद से हटाना पड़ेगा।

मैं क्या कहूं हमारे साथी गौरीशंकर राय जी ने कहा कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंगुएज है। मैं भी अध्यापक रह चुका हूं, मुझे भी कठिनाइयां आईं। लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि अंग्रेजी कभी भी इंटरनेशनल लैंगुएज नहीं रही। यही नहीं, योरुप के तमाम देशों में अंग्रेजी नहीं बोली गयी और बोली गयी तो फ्रेन्च बोली गयी। फ्रेन्च जरूर इंटरनेशनल लैंगुएज बनी रही, लेकिन अंग्रेजी कभी नहीं रही।

हिन्दुस्तान में ४० लाख लोग अगर अंग्रेजी जानते हैं, लिख पढ़ व बोल सकते हैं तो कोई भी क्षेत्रीय भाषा ऐसी नहीं है जिसके बोलने वाले एक या डेढ़ करोड़ से कम हों चाहे तामील हो, तेलगू हो, कन्नड़ हो, उरिया हो, बंगला हो या मराठी हो। मुझे महाराष्ट्र में ६ वर्ष रहने का मौका मिला है। बम्बई में मुलांचीशाला में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती थी। हिन्दी राष्ट्रीय भाषा प्रचार सभा के द्वारा स्वर्गीय बी० जी० खेर ने हिन्दी का प्रचार किया और बालक तथा बालिकाओं के स्कूलों में हिन्दी का अच्छा प्रबन्ध कर दिया। गौरीशंकर राय जी ने कहा कि यदि एक विद्यालय में ५ तामिल के ५ तेलगू के पढ़ने वाले हों तो इस प्रकार हर क्षेत्रीय भाषा के लिये कितने मास्टर रखे जायंगे। हमारे यहां माध्यमिक स्तर पर ४० वैकल्पिक विषय हैं वे बतलायें कि ४० मास्टर कहां रखे गये हैं? शिक्षा विभाग की ओर से ऐसी व्यवस्था होगी कि किसी कालेज में केवल मराठी पढ़ने वाले लड़के होंगे वहां मराठी का अध्यापक रखा जायगा और दूसरे कालेज में बंगला का अध्यापक होगा वहां बंगला पढ़ने वाले लड़के होंगे। एक ही कालेज में हर क्षेत्रीय भाषा के लिये मास्टर रखने का सवाल कहां है? एक तर्क की बात मैं कह देना चाहता हूं। अगर जरूरत भी पड़े तो रखना पड़ेगा। अगर भारतीय संविधान चाहता है कि हमारा लोक कल्याणकारी राज्य बने तो क्षेत्रीय भाषाओं के लिये ४० नहीं ८० मास्टर रखने

होंगे। माताटीला बांध टूटा, भाखरा नांगल बह गया, करोड़ों रुपये बरबाद हो गये उनके लिये माननीय गौरीशंकर राय जी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन ४० मास्टर रख दिये जायेंगे तो उनको परेशानी होती है। सर्वतोन्मुखी उत्थान हमारे देश का, समाज का, होना है तो क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित करना होगा। हमें अफसोस है कि शिक्षा मंत्री चाहे केन्द्र का हो या सूबे का हो उसने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है, लेकिन अफसोस तब होता है जब यह कहा जाता है कि इतने मास्टर रखने होंगे। अंग्रेजी राज्य में प्रदेश में तीन एडवाइजर शासन चलाते थे और आज ३० मिनिस्टर हो गये। तो यह कहा जाय कि पहले तीन ही एडवाइजर काम करते थे, अब इतने मिनिस्टर क्यों बढ़ गये हैं। यह कोई तर्क नहीं है, लेकिन तर्क होना चाहिये। तर्क से बहुत काम होता है। तर्क हर बात में करना चाहते हैं। तो अगर ४० नहीं ८० मास्टर भी रखने पड़ें तो रखने पड़ेंगे। जो आदमी इस तरह से अंग्रेजी की वकालत करते हैं तो मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अंग्रेज तो जरूर चले गये मगर ऐसे गुलामों को हिन्दुस्तान में छोड़ गये अपनी विरासत की वकालत करने के लिये।

माननीय सदस्य गोरखपुर ने कहा था कि अंग्रेजी एक काम चलाऊ भाषा थी जिसको पढ़ कर कहते थे कि हमारा बेटा दारोगा बनेगा, कानूनगो बनेगा, आफिस में बाबू हो जायगा, आफिस सुपरिंटेन्डेन्ट हो जायगा, मैं कहता हूं कि यह "मेकाले" के दिमाग की उपज थी जिसने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान में राज्य करना है तो हिन्दुस्तान की जबान काट लो और इनको अंग्रेजी पढ़ाओ क्योंकि हमको ईस्ट इंडिया कम्पनी में क्लर्कों की जरूरत है। अब तो ईस्ट इंडिया कम्पनी चली गयी, अब अगर यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कम्पनी बन जाय तो दूसरी बात है। अंग्रेजी राज्य में जितना अंग्रेजी भाषा को प्रश्रय मिला था उतना अगर क्षेत्रीय भाषाओं को मिला होता तो देश की बड़ी उन्नति होती। सरकार की ओर से यह घोषणा होनी चाहिये कि क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ने वालों के लिये ६० फीसदी नौकरियां सुरक्षित रखी जायंगी। भाषा तो अभिव्यक्ति की व्यंजना है, वह बुद्धि की परिचायक नहीं है। आखिर अंग्रेजी भाषा जानने वाले हिन्दुस्तान में कितने लोग हैं? केवल ४० लाख। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था कि स्वर्गीय अमरनाथझा ने यह कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी नहीं जानते। इस पर बहुत विवाद उठा था और पंडित जी इस बात की सफाई नहीं दे सके थे कि वे अंग्रेजी जानते हैं यद्यपि वे अंग्रेजी के बड़े अच्छे लेखक हैं, मैंने उनकी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। एक शास्त्री जी मद्रास के थे, वे अंग्रेजी जानते थे। तो उस अंग्रेजी को जिसको केवल ४० लाख आदमी जानते हैं माननीय भारतीय जी चाहते हैं कि माध्यमिक स्तर पर उसको निकाल कर क्षेत्रीय भाषा रख दिया जाय। इसमें क्या आपको दर्द हो रहा है। ए० आई० सी० सी० में बराबर पास होता रहा है कि भाषावार प्रान्त बनाये जायंगे। तो भारतीय जी ने जो प्रस्ताव रखा उसको माननीय गोविन्द सहाय जी जैसे सदस्य जब खिल्ली उड़ाते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है।

अभी कहा गया कि अंग्रेजी ऊपर से लादी नहीं गयी है क्योंकि यह वैकल्पिक विषय है। मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी लादी जाती है। कम पढ़ा लिखा आदमी जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता जब कचहरी में जाता है तो अपने बयान हिन्दी में देता है। वकील साहब भी कुछ हिन्दी, कुछ अंग्रेजी और कुछ उर्दू में बहस करते हैं। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब अंग्रेजी में फैसला सुना देते हैं जिसको न वादी जानता है न प्रतिवादी जानता है इससे बढ़ कर अंग्रेजी लादने का और क्या सबूत हो सकता है? आज दारुलशफा में देखिये, जब कोई आदमी अपनी धर्म पत्नी और बच्चों को लेने जाता है तो यह नहीं कहता कि अपनी धर्म पत्नी और बच्चों को लेने जा रहा हूं बल्कि वह कहता है कि अपनी फैमिली को लेने जा रहा हूं। आज कपूर होटल में बैठ कर वह लोग छुरी कांटा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिनको यह पता नहीं है कि किस हाथ में छुरी और किस में कांटा पकड़ना

[श्री उग्रसेन]

चाहिये। अंग्रेजी नहीं जानते हैं लेकिन "मेफेयर" में जाकर अंग्रेजी सिनेमा देखते हैं। श्री बी० के अत्रे बम्बई के हैं और सिनेमा की कहानियां लिखते हैं तथा उनके कई खेल बन चुके हैं। हमारे श्री के० एम० मुंशी हैं, वह कहानीकार तथा उपन्यासकार हैं। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी भाषा में ऐसे उपन्यास नहीं होंगे जो अत्रे जी तथा मुंशी जी का जोड़ ले सकें। इसी प्रकार से मामा बरेरकर हैं जिनकी देन का मराठी साहित्य से मुकाबला नहीं हो सकता है। मगर सवाल यह है कि हम अपनी भाषा को उठाना नहीं चाहते हैं। हम अपने यहां के साहित्य की खोज नहीं करना चाहते हैं। यदि दुनिया में टाल्स्टाय का नाम है तो हमारे यहां प्रेमचन्द जी हैं।

माननीया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेज तो यहां से चले गये हैं, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गये हैं और यह ४० लाख लोग जो एक स्वर्ग बनाये हुए हैं वह अब हमारी छाती पर कोदों नहीं दल सकते हैं। स्वर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र ने कहा था "निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल"। यदि हम अपनी भाषा की उन्नति चाहते हैं तो इसको हमें छोड़ना चाहिये ताकि हमारे देश की उन्नति हो और देश में लोक भाषा हो, लोक भवन हो और लोक भोजन हो। यही हमारी सोशलिस्ट पार्टी की मांग है। इन शब्दों के साथ मैं भारतीय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---अधिष्ठात्री महोदया, जो प्रस्ताव इस समय सदन में उपस्थित है उसके संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। कहा जाता है कि अंग्रेजी पाठशालाओं और स्कूलों में एक आप्शनल सब्जेक्ट है परन्तु यदि शिक्षा की व्यवस्था देखी जाय और दिमाग से काम लेने वाले लोग इसको देखें तो यह कहा जा सकता है कि स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी लादी गई है क्योंकि अंग्रेजी के साथ में जो दूसरे विषय आप्शनल रखे गये हैं उनको पढ़ाने के लिये किसी भी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिये कोई लड़का मद्रासी लेना चाहता है, कोई बंगाली लेना चाहता है उनके लिये कोई भी अध्यापक इन स्कूलों में नहीं है जिसका नतीजा यह है कि हर लड़के को अंग्रेजी लेनी पड़ती है और इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं रह जाता है क्योंकि उसके पढ़ाने के लिये स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि जो राय यहां दिखाई देती है वह ऐसी है कि बहुत से लोग अंग्रेजी के शौकीन हैं और जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है और किसी पद पर हो गये उन्हें अपने पत्र अंग्रेजी में भिजवाने का शौक है। अगर वह खुद नहीं लिख सकते हैं तो अपने यारों से, दोस्तों से तथा बाबुओं से अंग्रेजी में पत्र का उत्तर दिलवाते हैं। यह जहनियत लोगों की है। यह जहनियत हमें कहां ले जायगी। इसका हमें बड़ा दुःख और अफसोस होता है। जब हम सत्याग्रह में जेल में बन्द थे, वहां भी मैंने देखा कि·····

श्री सुरथबहादुरशाह---माननीया, मेरे खयाल से कोरम पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---अभी २ नहीं बजे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---वे समझते हैं कि जो अंग्रेजी पढ़ा-लिखा नहीं है, जिसे अंग्रेजी बोलना नहीं आती है उसकी इज्जत बहुत कम होती है इसलिये बूढ़े-बूढ़े भी अंग्रेजी की ए, बी, सी, डी, पढ़ा करते थे।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

अगर इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने साहित्य की साइंस को पढ़ा होता तो मैं समझता हूं कि जिस समय हमारे देश में आजादी की घोषणा हुई थी उसी समय भारतवर्ष में कोई

न कोई हमारे देश की भाषा राष्ट्र भाषा होनी चाहिये थी। लेकिन आज हमारे देश में बड़े-बड़े काम्पलीकेशन्स पैदा हो रहे हैं और हम समझते हैं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि बिना अंग्रेजी के हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है क्योंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनका दिमाग डेवलप्ड नहीं हुआ करता, उनका जो इमैजिनेशन है, उनकी जो कल्पना शक्ति है वह डेवलप नहीं होती है। वह किसी विषय पर भी नये दृष्टिकोण से गौर नहीं कर सकते क्योंकि अगर वह ऐसा करने का प्रयास करें तो उनके सामने वही बातें आती हैं जो कि अंग्रेजी के लेखकों ने लिखी हैं, जो कि अंग्रेजी के कवियों ने कल्पना की है। उनके दिमाग के अन्दर उसके स्वतंत्र विचार कभी काम नहीं करते और इस पर हमें बड़ा दुःख होता है कि जितने भी हमारे शिक्षा के कमीशन बैठाये गए हैं उनमें वही लोग थे जो कि अंग्रेजी के गुलाम थे। आज हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र हो गए, लेकिन बहुत से लोगों के दिल और दिमाग अभी भी गुलाम हैं। वह अंग्रेजी से अपना नाता और रिश्ता नहीं छोड़ना चाहते। यह समझ में नहीं आता कि क्यों उनको इतनी मुहब्बत अंग्रेजी से है। हम इस बात को जब पढ़ते नहीं थे यूनिवर्सिटी में तब से जानते थे कि अंग्रेजी हमारे देश के लिये बहुत ही घातक है और जब तक हमारे देश की शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी में होगी, हमारे बच्चे और भारतवर्ष की भावी संतान कभी भी दुनिया के बड़े राष्ट्रों के सामने वह ऊंची संस्कृति और सभ्यता आगे बढ़ाती हुए दिखाई नहीं पड़ सकती। क्योंकि जिस देश के दिमाग की ताकत को कैद किया जाता है और खत्म किया जाता है और एक उधार ताकत लेकर काम किया जाता है उस ताकत से कितने दिनों तक काम चल सकता है और उससे क्या नयी चीज मिल सकती है।

मुझे बड़ा खेद है इस बात को देखकर कि आज भी हमारे देशवासी इस बात पर बहुत अच्छी तरह से विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं और वे समझते हैं कि चूंकि हमें भाषण देना है चूंकि हमें कोई खास बात कहनी है, इसलिये कहे दे रहे हैं, इसलिये नहीं कि उससे देश का फायदा है, इसलिये नहीं कि उससे देश के भविष्य में कुछ अच्छाई आयेगी, इसलिये नहीं कि वह हमारे देशवासियों को आगे बढ़ायेगी बल्कि इसलिये कि उनके लिए एक हुक्म है, उनके लिये एक आज्ञा है, वह अपने पड़ोसी को देखते हैं, अपने साथी को देखते हैं और समझते हैं कि उनका साथी ऐसा चाहता है इसलिये इस बात को वह सदन में कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर हम इस मसले पर विचार करते हैं तो हम अपने देश की उस दिमागी ताकत को जिसे कि हम समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं और जो लोगों के दिमागों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसमें हम सफल नहीं हो सकते। हम उन दिमागों को वीरान बनाकर रखना चाहते हैं।

जब तक अंग्रेजी हमारे देश में रहेगी, जब तक वह हमारा मीडियम आफ एक्सप्रेशन होगी तब तक हमारा दिमाग चट्टानों की तरह वीरान और जंगली दिमाग रहेगा। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग कत्तई फर्टाइल नहीं होते। आप गांवों के लोगों को देखिए। वह नयी बात सोच सकते हैं, लेकिन जो समझते हैं कि हमने अंग्रेजी पढ़ी है, एम० ए० किया है, बी० ए० किया है, बैरिस्टर साहब हैं, जरा उन बैरिस्टर साहब की बहस को अदालत में जाकर सुन लीजिए, वह क्या बहस करते हैं। दुःख होता है उसे देख कर क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को सुना है, उनके दिमाग में कोई एक तस्वीर नहीं आती जिसको कि वह रखना चाहें क्योंकि अंग्रेजी में तो वह तस्वीर आती ही नहीं, उनकी अपनी भाषा तो वह है नहीं। हम जब कोई चीज बोलते हैं तो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखते हैं। इसलिए साइंस आफ माइंड जो है अगर उसका विश्लेषण किया जाय और उसको ठीक से पढ़ा जाय तो हर देश की जो भाषा है वह वहां के लोगों के जीनियस के मुताबिक होती है, उस देश के वातावरण के मुताबिक वह भाषा होती है और जिस तरह कि आदमी स्वयं अपने को महसूस करता है उसी तरह से वह अपनी भाषा में अपने को प्रकट कर सकता है। उसी तरह से अपनी भाषा में उसका दिमाग काम करता है।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

जहां तक अंग्रेजी का दुनियां के अन्दर प्रचार का प्रश्न है बहुत से देशों के सम्पर्क में आने की बात है, यह कहीं नहीं कहा गया है इस प्रस्ताव के अन्दर कि आप अंग्रेजी न पढ़िए। यह तो प्रश्न नहीं है। आप अंग्रेजी पढ़िये, आप २० भाषा पढ़िये और ४० भाषा पढ़िये। आप प्रकांड विद्वान हो जायं रूसी भाषा के, जापानी भाषा के या चीनी भाषा के। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसके लिये कोई दोष नहीं देता है। केवल इतनी बात देखने की है जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अन्धकारमय होता चला जा रहा है। पिछला रिजल्ट निकाल कर देखिये हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट का उससे आप को पता चलेगा कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी किस विषय में फेल हुये हैं। आपको मालूम होगा कि ५ प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। अंग्रेजी में फेल होने के कारण वह आगे अपनी शिक्षा-दीक्षा को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिये गरीबों के बच्चों के लिये इस अंग्रेजी को इस तरह से रखना, जिनके लिये कोई दूसरा चारा नहीं सिवाय नौकरी करने के, उचित नहीं है। जिनको विदेश जाना हो तो उनके लिये बात दूसरी है, लेकिन जिनको कलेक्टरी में, यू० पी० सेक्रेटरिएट में, कैनाल आफिस में या पी० डब्ल्यू० डी० में नौकरी करना है उनके लिये अंग्रेजी की कौन सी जरूरत है। मैं कहता हूं कि यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे देशवासियों ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की और यह उनके दिमाग में अभी नहीं आया कि इस अंग्रेजी को हमें तुरन्त निकाल कर बाहर कर देना चाहिये। वैसे जो पढ़ना चाहें उनके लिये व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन कैरीकुलम में, हमारी शिक्षा की पद्धिति में, इस दृष्टिकोण से कतई इसको स्थान यहाँ नहीं देना चाहिये। इससे हमारे विद्यार्थियों की प्रगति में बहुत रुकावट पड़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके उपरान्त मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को देख लीजिये। एक विद्यार्थी को अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाय और दूसरे को दूसरी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाय। यदि आप उनकी परीक्षा लेकर देखें और उनकी परीक्षा की जांच करें तो आपको पता लगेगा कि विदेशी भाषा से जिस विद्यार्थी की शिक्षा-दीक्षा हुई है वह कितना नाकाबिल होता है। मुझे अफसोस होता है कि आज इस गम्भीर परिस्थिति में भी लोग देखने के लिये तैयार नहीं हैं जो कि आज हमारे सामने उपस्थित है क्योंकि इतने वर्ष गुजर चुके हैं आज भी हम उस अंग्रेजी का विरोध करने के लिये तैयार नहीं हैं। मुझे इसका महान खेद है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों को यह सलाह दूंगा कि इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है। लोग कुछ ऐसा कर सकें कि इस विषय पर अधिक विचार और न हो तो अच्छा है क्योंकि आगे भी महत्वपूर्ण विषय है।

***श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही वक्त लेना चाहता हूं। मैं जब इस सदन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो उस समय क्लोजर का मोशन आने वाला है क्योंकि दिमागों में बेचैनी है, लेकिन जो मजमून सामने है वह एक सोचने की बात है। वह एक मामूली बात नहीं है। उससे यहां की रहने वाली जनता का और इस मुल्क का बड़ा गहरा सम्बन्ध है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अंग्रेजी के बारे में पंडित मदनमोहन मालवीय का एक कोटेशन, जो मैंने १५ साल पहले पढ़ा था, आपकी इजाजत से सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि--

"I have been using the English language for the last sixty years but still I cannot express myself in it so well as in my mother tongue."

जिस भाषा को मैं ६० साल से ज्यादा से इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें मैं अपने विचारों को, अपने खयालात को उतनी अच्छी तरह से अदा नहीं कर पा सकता हूं, रख सकता हूं, अंग्रेजी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में उतनी अच्छी तरह से अपने को नहीं बयान कर सकता हूं जितना कि मैं अपनी जबान में कर सकता हूं। यह उनका कहना है। देखना यह है कि हम अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं और उसके लिये कौन सी भाषा हमको आसानी पैदा कर सकती है। दुनिया के किसी मुल्क की जबान को आप लीजिये, उसमें से आप उस देश के करेक्टर का अंदाजा कर सकते हैं, उससे आप वहां की तालीम और तरबियत का अंदाजा कर सकते हैं और वहां के बुजुर्गों की बहुत सी बातों का अंदाजा उससे लगाया जा सकता है। इस प्रस्ताव में यह कहीं नहीं लिखा है कि कोई हिन्दुस्तान में अंग्रेजी न पढ़े। आज अगर हम उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान की तालीम का अंदाजा करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे यहां पढ़े-लिखे लोगों की तादाद बहुत कम है। अंग्रेजी तो बहुत दूर, उर्दू और हिन्दी जानने वालों की तादाद भी बहुत कम है। अभी एक साथी कह गये कि ३०, ४० जबानें हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि जबानें ३०, ४० नहीं, सैकड़ों हैं और यह सैकड़ों जबानें हिन्दुतान में बोली जाती हैं। आप केरल जाइये, क्या आपको वहां यह हिन्दी मिलेगी? वहां केरल की जबान है। तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन-सी जबान चलती है।

हमसे कहा जाता है कि अंग्रेजी में साइन्स है, विज्ञान है और तमाम दुनिया की चीजें हैं। मैक्समूलर संस्कृत का बड़ा जबरदस्त स्कालर हुआ है। उसने ४८ साल तक संस्कृत की कोशिश की और उसके बाद उसने महर्षि दयानन्द को एक खत लिखा कि ४८ साल की पढ़ाई के बावजूद मैं संस्कृत समझ नहीं पाया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बच्चा अपनी जबान मां, बाप की गोद में सीखता है, कुटुम्ब में उसको अपनी मादरी जबान सीखने को मिलती है, जहां वह रहता है, वहां आस-पास के एटमास्फियर में उसको अपनी जवान सीखने को मिलती है और उसके बाद वह आगे बढ़ता है। मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि भारतीय जी ने कहा था, कि बी० ए०, एम० ए० के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे कि जो छठें क्लास की किताब नहीं पढ़ा पायेंगे। एक्टिव पैस्सिव दे दीजिये, डाइरेक्ट इंडाइरेक्ट दे दीजिये, वह नहीं कर पायेंगे। नालन्दा एक यूनिवर्सिटी थी तो उसमें कितनी कितनी जबानों के जानने वाले प्रोफेसर्स यहां थे। बाहर के लोग उस समय यहां आये और उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में नालन्दा यूनिवर्सिटी में ऐसे भी टीचर हैं कि जो कई-कई जबानें जानने वाले हैं। आज हमारे यहां जर्मन, फ्रेंच आदि विदेशी भाषायें जानने वाले लोग हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने यहां के स्कालर्स को दूसरी जबानें पढ़ने से रोकें। उनको पढ़ना चाहिये, बढ़ावा दिया जाना चाहिये उसके लिये, लेकिन मैकाले का कहना था कि अगर किसी मुल्क को गुलाम बनाना हो उसकी जहनियत बदल दी जानी चाहिये और जहनियत बदलने के लिये किसी विदेशी जबान को लादना, सिखाना बहुत जरूरी है।

अंग्रेजी पढ़ने से बहुत सी बातें हमें मालूम हुईं। मुगल पीरियड में कितने आदमी हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में ऐसे थे कि जो अंग्रेजी जानते थे? उस वक्त वह फारसी और अरबी पढ़ते थे। परिस्थिति के मुताबिक जबानें बदलती हैं। उस वक्त वैसी परिस्थिति थी कि लोगों ने फारसी और अरबी पढ़ी। उसके बाद अंग्रेजों से रोजी पाने के लिये लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी और नौकरी पायी और इस अंग्रेजी पढ़ने में बहुत वक्त सर्फ हुआ। आज कल कई कई सब्जेक्ट हैं और उनको लोग पढ़ते हैं। उनके साथ लोग अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। आपने हिन्दी के साथ संस्कृत का ३० फीसदी हिस्सा जो रखा है यह क्या है? कितने स्कालर हैं संस्कृत के? हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, इस मामले में मुल्क पिछड़ा हुआ है और आजादी के इतने दिन के बाद भी हम पढ़ाई को मुल्क में ज्यादा आगे नहीं ले जा पाये हैं। हमारे यहां अनपढ़ बहुत से हैं। तो ऐसी हालत में हम अंग्रेजी से क्या फायदा उठा सकते हैं? स्कालर पढ़ें अंग्रेजी, कोई हर्ज नहीं है, लेकिम तालीम तालीम के लिये हो। तालीम जरूरियाते जिन्दगी के लिये भी होती है। नालेज बढ़ाने के लिये जो पढ़ना चाहते हैं वे १००, १०० जबाने पढ़ें, बहुत सी जबाने सीखें, लेकिन साथ ही साथ अपनी संस्कृति को समझने के लिये, अपनी तहजीब को सम-

[श्री शिवराजबहादुर]

झने के लिये, तमद्दुन को समझने के लिये, अपने पूर्वजों को समझने के लिये हमको अपनी जबान की तरफ ही जाना पड़ेगा, अपने प्राचीन जमाने की तरफ देखना पड़ेगा, हमको गुरुकुल प्रणाली की तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहां टीचर और टाट के बीच क्या संबंध था। आज कल कालेज से जब विद्यार्थी निकलते हैं तो बीड़ी-सिगरेट पीते हुए निकलते हैं और टीचर्स उनके पास से हो कर गुजर सकते हैं। जहां तक अनुशासन का सम्बन्ध है वह तो पुराने जमाने के लोगों को हम देखते हैं कि जब कोई टीचर गुजरता था तो उसको नमस्कार करते थे, लेकिन आज उलटी बात है। जबान का बढ़ना बुरी बात नहीं है। इससे पहले जबानें ढलती रही हैं, बनती रही हैं, बराबर लफ्जों का जखीरा बढ़ता रहा है और नये अल्फाज जुड़ते रहे हैं। आज हिन्दी के अल्फाज बढ़ रहे हैं, बड़े-बड़े लफ्ज आ रहे हैं। यहां कोई उर्दू हिन्दी का मसला नहीं है। ये दोनों जबानें मिली हुई हैं। इसमें तफरीक कर देना, दोनों में सीमा बना देना, यह मुनासिब नहीं है। अगर महज रस्मुलखत को हटा दिया जाय और हिन्दी और उर्दू सरल हों तो कोई फर्क नहीं रह जाता है।

यह बड़ा मासूम-सा प्रस्ताव था। इसमें यह नहीं था कि अंग्रेजी यहां से हटा दी जाय। इसका मकसद तो यह था कि अंग्रेजी पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, परेशानी होती है और गुलामी की जहनियत होती जाती है, इसलिए उसको हटा कर जो हमारी मातृ-भाषा है उसको तरक्की दें। उसी में विज्ञान हो, साइंस हो, उसमें तर्जुमा किया जाय, उसकी यूनिवर्सिटियां कायम की जायं और उसमें आगे तरक्की करें ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। हिन्दुस्तान वह देश रहा है जहां से जहानियत को दूसरे लोगों ने सीखा है, इल्म व फन को सीखा है। हमारा मकसद तो यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जबानों को जान सकें। लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि मिडिल और अपर मिडिल क्लासेज में अंग्रेजी पढ़ना जरूरी हो। लेकिन हायर क्लासेज में जरूरी है तो अगर शुरू में अंग्रेजी नहीं पढ़ी है तो आगे भी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हायर में पढ़ना है तो उसके लिए लाजमी हो जायगा कि बिगिनिंग में भी अंग्रेजी पढ़ें तभी उसका ज्ञान हासिल हो सकता है। इसलिए मैं थोड़े अल्फाज में कहना चाहता हूं कि हम अंग्रेजी को हाइयर क्लासेज में भी लाजमी न रखें। वैसे पढ़ने के लिए फारसी, उर्दू, अरबी, जो चाहें रखें। हम चाहते हैं कि लोग बहुत सी जबानें सीखें लेकिन साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग को हम खराब न करें।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, जबसे हमारे देश में विदेशी राज्य रहा तब से उन्होंने यह कर्त्तव्य बना लिया कि देश को गुलाम बनाये रखने के लिए देश की बोल-चाल की भाषा को छोड़ कर राज का काम-काज उसके विपरीत भाषा में हुआ करता था और यही मुख्य कारण है कि हमारा देश आज परम्परा से ही गुलाम रहा। राज्य की नीति को जनता नहीं समझ पाती। जब पहले हिन्दुओं का शासन रहा तो राज-काज का काम संस्कृत में होता था और जब मुसलमानों का राज्य हुआ तो वह फारसी में होता था। लेकिन जब अंग्रेजों का राज्य हुआ तो राज काज का काम अंग्रेजी में होने लगा जबकि जनता दूसरी भाषा में बोलती-चालती थी। जब हमारे देश में हमारा राज्य हुआ तो हमारी सरकार ने देश को गुलाम बनाने के लिए ताकि लोग राज का काम काज न समझ पायें उन्होंने अंग्रेजी को कायम रखा और अंग्रेजी जमाने से भी ज्यादा अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। सरकार अंग्रेजी को हटाने से डरती है। आज उसको उतना डर गोली से भी नहीं है जितना बोली से है। वह यह समझती है कि अगर हमने अपने देश का सारा काम-काज लोक भाषा में करना शुरू किया तो आज जो कुछ उसके द्वारा अन्याय हो रहा है, जो कुछ यह सरकार गलती कर रही है, चोरबाजारी कर रही है, उसका अवश्य भण्डाफोड़ होगा और वह बातें किसी से छिप नहीं सकती हैं। आज अंग्रेजी होने की वजह से ही विद्यार्थी ३०/प्रतिशत से ज्यादा पास नहीं हो पाते हैं और इस तरह से उनके माता-पिता का काफी धन बहुत बुरी तरह

से उनकी पढ़ाई-लिखाई में खर्च होता है। यह देखने में आया है कि कितने ही बच्चे अंग्रेजी में फेल होने के कारण रेल की पटरियों के ऊपर रेल से कुचल कर मर गये हैं, कहीं कहीं छत से कूद कर उन्होंने अपनी जानें दे दी हैं, और भी कई तरह से आत्म-हत्या कर लेते हैं। तो जो आज यह हत्यायें हो रही है उनके लिये, इस सारे पाप की भागी यह कांग्रेसी सरकार है। हमारे-देश में १०० आदमियों में से केवल एक ही आदमी अंग्रेजी पढ़ा-लिखा है। अगर सरकार लोक भाषा में काम करें तो हमारे देश के सभी लोग विज्ञान आदि के बारे में जानकारी रख सकते हैं और उसमें तरक्की कर सकते हैं। आज आपके सभी अधिकारी, चाहे वे गांव में जायं, कचह-रियों में कार्य करें या दफ्तरों में कार्य करें, अपना सारा कार्य अंग्रेजी में ही किया करते हैं जिसको कि हमारे किसान समझ नहीं पाते हैं और उसके कारण उन्हें अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। आज अगर लोक भाषा में कार्य हो तो हमारे गांवों में बहुत से ऐसे निकलें जिनको कि अपने मुकदमों के लिये किसी वकील की सहायता ही न लेनी पड़े और छोटा मोटा कार्य जिसके लिये उन्हें दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, वे खुद ही करने लगे। जब हमारे देश के बच्चे अंग्रेजी भाषा को पढ़ेंगे तो वैसे ही उनकी वेशभूषा होगी, वैसे ही उनके विचार होंगे और उसी के अनुसार उनका रहन-सहन होगा और उसी के अनुसार उनका पहनावा होगा। अंग्रेजी पढ़ कर आज गला लंगोट और चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं जबकि गांव का एक नागरिक घुटने तक की धोती ही पहने रहता है। इस तरह से वह गरीब तो उन अंग्रेजी पढ़ने वालों के साथ रहने में, चलने-फिरने में उठने बैठने, खाने पीने में हिचकिचाता, शर्माता और घृणा करता है और फिर जो आज हमारे देश का हरिजन और पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान नहीं होगा, देश का उत्थान नहीं होगा। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा वही लोग पढ़ पायेंगे जो हर तरह से धनीमानी हैं, हर तरह से धरती पर अपना कब्जा किये हुये बैठे हैं। वे ही लोग अंग्रेजी भाषा को पढ़ सकते हैं। वही एम० ए०, बी० ए० वगैरह की डिग्रियां ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। गरीबों के लड़के नहीं पढ़ सकेंगे। इस तरह से जो बड़ी-बड़ी नौकरियां होती हैं उनमें भी वे नौकरी नहीं पा सकते। आज आप अपने देश के अन्दर देखें, अपने प्रान्त के अन्दर देखें, जो ऊंची-ऊंची नौकरियां होती हैं उन पर अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही लिये जाते हैं और वे वही लोग होते हैं जो सारी धन धरती पर अपना कब्जा किये हुये बैठे हैं। आज वे लोग हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के लोगों से घृणा करते हैं। आप जर्मनी और दूसरे देशों में देखिये वहां पर सारा काम उनकी अपनी भाषा में ही होता है। रूस वाले अपनी रूसी भाषा में सारा काम काज करते हैं, लेकिन हमारे यहां सरकार नकल करती है अंग्रेजी की। जब आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और उसी को लोक भाषा बनायेंगे तो यहां के रहने वाले भी अंग्रेजों से ही अपना संबंध रखेंगे। उसके मुताबिक देश में रिवाज और रहन-सहन होंगे। आज हमारे देश की आन्तरिक नीति क्या है? जैसी आन्तरिक नीति होगी वैसी वैदेशिक नीति होगी। आज हमारे यहां जो शिक्षा पाये हुये हैं उन्हीं के सम्बन्धी सरकारी जगहों पर रखे जायेंगे। आज हमारे देश का प्रधान मन्त्री है, वह इंगलैण्ड का पढ़ा है और अंग्रेजी भाषा जानता है। आज यहां पर जितनी नीतियां चल रही हैं वह विदेशियों की, पश्चिमी देश वालों की रूप-रेखा पर चल रही है। पश्चिमी देश वाले धनाढ्य हैं और हिन्दुस्तान गरीब है लेकिन हिन्दुस्तान में गरीबों की आन्तरिक नीति नहीं चल रही है। यही कारण है कि आज चीन का मामला पैदा हो रहा है। चीन धनाढ्य देश है और उसका सम्बन्ध विदेशियों से और नेहरू जी चीन वालों के समर्थक हैं। यही कारण है कि आज चीन ने हिन्दुस्तान को, एक गरीब देश को छाप लिया है। अगर यहां से अंग्रेजी भाषा को हटाया गया होता और मातृ भाषा को अपनाया गया होता तो देश ऊपर उठता और ३० लाख को छोड़ कर ४० करोड़ का यह देश बनता, उस समय चीन की क्या हिम्मत होती—जबकि रूस उसका आका हिम्मत न करता कि हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठाने की तौफीक न होती। जब जब हिन्दुस्तान पर आक्रमण हुए उसका मुख्य कारण विदेशी भाषा ही रही है। विदेशी भाषा के कारण हम राज काज का काम समझ नहीं पाये और उसके कारण गरीबी बनी रही और सामन्ती लोग हिन्दुस्तान पर कब्जा किये रहे, जनता का शोषण होता रहा।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

आज हमारी सरकार का अंग्रेजी भाषा रखने का मुख्य कारण यही है कि वह हिन्दुस्तान को गुलाम बनाये रखे और अपने साथियों, कुटुम्बियों और घर वालों, २५–३० लाख आदमियों को रोजी कायम रखे और पूंजीवाद को कायम रखे और गरीबों को गरीबी के दलदल में फंसायें रखे। हमारी सरकार नहीं चाहती है कि विदेशी भाषा को हटाया जाय और सारा राज-काज मातृभाषा में हो। उसका कारण यह है कि अगर सारा राज-काज मातृभाषा में होगा तो उनकी सारी पोलें खुल जायंगी और ४० करोड़ लोगों का इस देश में राज्य हो जायगा और यहां पर ३० लाख आदमियों का जो सामन्तवाद है वह खत्म हो जायगा। आज अगर आप दूसरे देशों की ओर देखें तो वहां पर मातृभाषा होने के कारण सभी देशों ने तरक्की की है। यहां पर साइन्स और विज्ञान जो अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं वही उसको जानते हैं और उनकी भी ठीक समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर मातृभाषा में काम लिया जाय तो हमारे गांवों के नागरिक भी ऐसे हैं जो बहुत सी खेती और छोटे-छोटे कारखाने की चीजों को समझ सकते हैं और उनका उत्पादन करके देश का उत्थान कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार की निगाह उस तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि गोली से उतना डर नहीं है जितना कि बोली से डर है।

आज प्रजातन्त्र और गांधी जी का युग है जिसके नाम पर दुकानदारी की जा रही है। आज की सामन्ती सरकार जो कि गरीबों का शोषण कर रही है वह यह नहीं चाहती कि देश की भाषा का इस्तेमाल किया जाय और राज-काज इसी भाषा में किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि सारा राज काज मातृभाषा में होना चाहिये। आज सरकार एक ओर नाटक रच रही है और गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अंग्रेजी भाषा के बजाय कहीं-कहीं पर, लोगों को खुश करने के लिये, सरकार हिन्दी भाषा में नाम पट रख रही है। पहले तो सरकार ने यह बहाना लिया कि अंग्रेजी को कैसे खत्म किया जाय, हिन्दी में नाम ही नहीं मिलते हैं। आप ही बतायें कि जब नाम नहीं मिलते हैं तो जो नाम प्रचलित हैं उन्हीं को क्यों न रखा जाय? उर्दू कई भाषाओं को मिलाकर बनी और जो नाम प्रचलित थे वही रखे गये। चावल शब्द कैरेला का है, लेकिन सब जगह इस्तेमाल होता है। ऐसे ही रेल है जिसके लिये बड़ा अजीब सा नाम सरकार ने रखा है जो मेरी समझ में भी नहीं आता। इन शब्दों को ही क्यों न रखा जाय? लेकिन सरकार इससे डरती है। हम यह नहीं कहते हैं कि अंग्रेजी देश से बिलकुल निकाल दी जाय। कोई चाहे जितनी विदेशी भाषा पढ़े, लेकिन राजकाज लोकभाषा में होना चाहिये और प्रान्तों में वहां की भाषा में होना चाहिये। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी भाषा हिन्दी है जिसे कम से कम १६ करोड़ लोग जानते हैं जबकि और प्रान्तीय भाषाओं को केवल २, ३ या ६ करोड़ ही जानते हैं। अगर राज-काज और अखबार हिन्दी में होते तो जो कुछ कश्मीर, गोआ, पाकिस्तान या चीन के मामलों में जो देश के साथ घात हो रहा है उसकी किसान मजदूरों को जानकारी होती तो इस सरकार को, चाहे वह सम्पूर्णानन्द जी की हो या नेहरू जी की हो, कान पकड़ कर जनता निकाल देती। यदि देश को, हरिजनों को और पिछड़ी जातियों तथा गरीबों को उठाना है तो राज-काज लोक भाषा में होना चाहिये। महात्मा गांधी की आत्मा को इसी से शान्ति मिलेगी और देश में समाजवाद होगा।

श्री उग्रसेन—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवनारायण भारतीय—मैं रामस्वरूप जी वर्मा और श्री मोतीलाल अवस्थी के संशोधन स्वीकार करता हूं।

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुये बाद में बोलूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर वादविवाद बड़े ऊंचे और स्वस्थ स्तर पर हुआ और मैं इसके लिये सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं चाहे उन्होंने इसका समर्थन किया हो या विरोध किया हो। मेरा प्रस्ताव उतनी उलझन का नहीं था जितनी कि विरोध करने वाले सदस्यों ने प्रकट की। मेरा प्रस्ताव सीधा था। प्रारम्भिक कक्षाओं में हमारी मातृभाषा हिन्दी में पढ़ाई होती ही है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से वैकल्पिक रूप से भी अंग्रेजी निकाल दी जाय और उसके स्थान पर प्रान्तीय भाषाओं के पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि आगे चल कर यूनिवर्सिटी कक्षाओं में अंग्रेजी वैकल्पिक रूप से रह जावेगी। दूसरे मेरा उद्देश्य यह भी था कि अगर हम अपने प्रान्त में दूसरे प्रान्तों की भाषाओं को वैकल्पिक रूप से भी पढ़ाना प्रारम्भ कर देंगे तो वे प्रान्त भी हमारे प्रान्त की भाषा हिन्दी को जो अब राष्ट्रभाषा भी है अपने यहां पढ़ने-पढ़ाने में हीन भाव अनुभव करना छोड़ देंगे। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। इससे परिस्थिति बहुत कुछ परिवर्तित होगी और राष्ट्र का हित होगा।

वैसे तो हमारे साथी माननीय देवीप्रसाद जी मिश्र ने प्रस्ताव का विरोध करने वालों की बहुत सी दलीलों का उत्तर दे दिया है, लेकिन मैं भी कुछ निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूं। माननीया कमलकुमारी गोईंदी जी ने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन उसके उद्देश्य को उन्होंने भी माना है। उन्होंने अपने भाषण में आगे चल कर कहा है कि "कारण यह है कि बहुत से स्कूलों में जो दूसरी भाषायें हैं, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी वगैरह, उनके पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं होता, इसलिये विद्यार्थी चुपके से अंग्रेजी ले लेते हैं। संस्कृत अथवा उर्दू पढ़ाने का प्रबन्ध तो आसानी से पाठशालाओं में हो सकता है, अंग्रेजी के स्थान पर उनका प्रबन्ध किया जा सकता है। अगर ऐसा कर लिया जाय तो अंग्रेजी रहना जरूरी न हो"। मेरा भी श्रीमन् भाव यही है। गोईंदी जी ने प्रस्ताव का विरोध कर दिया, लेकिन उसके सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने जो विरोध किया वह उसी परम्परा के अधीन किया कि चूंकि यह प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से आया है, इसलिये उसका विरोध करना ही चाहिये।

दूसरे सज्जन जो प्रस्ताव के विरोध में बोले वे रामलखन जी मिश्र थे। मैं उनके प्रति बड़ी आस्था रखता हूं। मुझे उनसे बड़ी आशा थी कि वे हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। उन्होंने प्रस्ताव में भ्रान्ति दोष बताया और न जाने कितने दोष बताये। उन्होंने "भाषा विज्ञान के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों" का जिक्र किया, लेकिन प्रस्ताव से बहुत दूर की बात वे कहते रहे। उन्होंने यह भी आक्षेप किया कि प्रस्ताव में अनुशासन, स्वावलम्बन और सामयिक शिक्षा का जिक्र है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि इन शब्दों का इस प्रस्ताव से क्या सम्बन्ध हो सकता है।

माननीय देवीप्रसाद जी मिश्र ने इन बातों को सदन के सामने साबित कर दिया है कि हमारी अनुशासनहीनता जो हमें आज विश्वविद्यालय क्षेत्र में दिखायी देती है उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी वैकल्पिक रूप में कहे जाने पर भी अनिवार्य रूप से बनी हुई है। जो अध्यापकवर्ग उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाता है वह स्वयं अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता नहीं रखता और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वे भी अध्यापकों को अंग्रेजी में समझने की क्षमता नहीं रखते। इसलिये वे पढ़ नहीं पाते और अनुशासन-हीन होते जाते हैं। आज माध्यमिक क्षेत्र में इतनी भाषाएं और विषय अंग्रेजी के साथ लड़कों को पढ़ाये जाते हैं कि विद्यार्थी को उनका पूरा ज्ञान नहीं हो पाता और विद्यार्थी अनुशासनहीन होता जाता है।

दूसरी बात स्वावलम्बन की है, जिसको माननीय रामलखन जी समझ नहीं सके। माननीय लहरी जी ने कहा "कि एक किसान का लड़का माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके रोजगार के दफ्तर जाता है नौकरी की तलाश में। उसके पास भूमि और खेती के साधन होते हैं, लेकिन वह

[श्री देवनारायण भारतीय]

खेती को नहीं करना चाहता। अपना रोजगार न करके नौकरी की तलाश करता फिरता है।" मेरा कहना यह है कि अगर अंग्रेजी इस प्रकार से माध्यमिक स्तर पर न पढ़ाई जाती और उसके बजाय शिक्षा इस दृष्टि से दी जाती होती कि वह स्वावलम्बी बन सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके तो मेरा विश्वास है कि पराव म्बन की स्थिति जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद आती है, वह न आती और बेरोजगारी न बढ़ती। इस सारी बेरोजगारी का कारण माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में अंग्रेजी का होना है।

अभी एक वक्ता महोदय ने कहा कि बहुत से नवयुवकों को जब रोजगार नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तत्व की ओर ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से हम स्वावलम्बन की बात पर जोर देकर इस प्रस्ताव के द्वारा आदरणीय सदन के सामने निवेदन करना चाहते हैं। हमारे नवयुवक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी परावलम्बी ही रहते हैं, उसी परा-वलम्बन को दूर करना इस प्रस्ताव का उद्देश्य है।

सामयिक शिक्षा के बारे में रामलखन जी मिश्र ने एतराज किया था। मैं कह देना चाहता हूं कि सामयिक शिक्षा का तात्पर्य यह है कि हमारे माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में से भी अंग्रेजी को निकाल दिया जाय तो हमको केवल अपनी मातृभाषा का व्याकरण अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। उसमें हम अपने ज्ञान को परिपक्व कर सकेंगे और उस एक भाषा में पांडित्य प्राप्त करने के बाद हमको जो भी दस्तकारी की शिक्षा अपनी जीविकोपार्जन के सम्बन्ध में दी जायगी उसके द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सकेंगे। आज जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण यही है कि हमको कोई भी सामयिक शिक्षा नहीं दी जाती है। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव में जिन तीन बातों पर जोर दिया गया है जिनके कारण इस प्रस्ताव को लाने की जरूरत हुई, वे तीनों कारण अपनी जगह पर समाज में व्याप्त हैं और उनका जिक्र इस प्रस्ताव में न होता तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव पूर्ण नहीं होता।

मैं माननीय रामलखन जी मिश्र की एक बात का और जिक्र कर देना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में बार-बार यह जिक्र किया कि "यह प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण है, यह एक दोष है और वर्तमान वातावरण में यह एक मूर्खता का प्रचार करने वाला है"। इस "मूर्खता" शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने ५ मिनट के भाषण में तीन बार किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में अंग्रेजी को महत्व देना, अंग्रेजी को वैकल्पिक रूप में कायम रखना ही मूर्खता का प्रचार करना है। मैं समझता हूं कि इस अंग्रेजी के कारण विद्यार्थी समुदाय का गला घोंटा जा रहा है, उनको भारतीय विचारधाराओं के अनुरूप बनाने में बाधा डाली जा रही है। ऐसा मेरा अपना विचार है। माननीय रामलखन जी यहां पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 'मूर्खता' शब्द का बार-बार प्रयोग करके वे मूर्खता के समीप जाने का प्रयत्न न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने एक बात और कही कि "वे भारतीय संविधान के अन्दर बँधे हुए हैं।" मान्यवर, जब मैंने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया था तो मैंने भी भारतीय संविधान का जिक्र किया था। भारतीय संविधान की धारा ३५१ में स्पष्टरूप से यह दिया हुआ है "हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभि-व्यक्ति का माध्यम हो सके"। मैं नहीं जानता कि माननीय रामलखन जी मेरे प्रस्ताव का विरोध करके भारतीय संविधान का आदर करते हैं अथवा उसका निरादर करते हैं। मैं बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन करता हूं कि मेरे विचार से उन्होंने मेरे प्रस्ताव का विरोध करके भारतीय संविधान का निरादर ही किया है। उनके हृदय में भारतीय संविधान के प्रति आस्था नहीं है और इसी से मजबूर होकर उन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध किया है।

हमारे सदन के एक दूसरे माननीय और प्रतिष्ठित सदस्य माननीय गोविन्दसहाय जी ने भी मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने यह कहा कि अंग्रेजी ने अंग्रेजी शासन काल में माननीय डाक्टर सर राधाकृष्णन्, पंडित नेहरू, श्री श्रीनिवास शास्त्री जैसे और अन्य बहुत से अंग्रेजी के

विद्वानों और देशभक्तों को इस देश में उत्पन्न किया जिनकी अंग्रेजी इस देश में ही नहीं बल्कि ससार में भी उच्च कोटि की मानी जाती है। मैं स्वीकार करता हूं कि अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे देश में बहुत से देशभक्त पैदा किये। हमारे देश में जो विशेष विभूतियां थीं वे ऐसी थीं जो देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में भी अंग्रेजी के विद्वान् कहलाने में समर्थ हुईं। अंग्रेजी शासन हमारे देश से चला गया और आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए १२ वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। अंग्रेजी के पक्ष में यह दलील देने की बात कि अंग्रेजी शिक्षा ने ही देशभक्ति की भावना उत्पन्न की मेरी समझ में नहीं आयी। जिसके आधार पर माननीय गोविन्दसहाय जी ने ऐसा कहा। मैं ऐसा समझता हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि अंग्रेजी की आवश्यकता अंग्रेजी शासन काल में देशभक्त बनाने में भले ही रही हो परन्तु अब स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् अंग्रेजी के विद्वान बन कर हम देशभक्त नहीं कहला सकते। ऐसा हम समझते हैं और ऐसा मेरा निजी अनुभव है, मेरे अपने ऊपर बीती हुई बात है। मैंने भी देशभक्ति की तालीम अंग्रेजी पढ़कर ही प्राप्त की और श्री गोविन्द सहाय जी से दस वर्ष पहले देशभक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचकर यह सीखा कि हमारे एक हाथ में बम था और दूसरे में गीता थी और सन् १९१२ में १४ साल की अवस्था में ही हम फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार थे। हम अपनी गुलामी से दुखी होकर देशभक्त बने थे, अंग्रेजी पढ़ कर नहीं और फिर अंग्रेजी गुलामी के समय में भले ही देश-भक्ति का सबक देती रही हो, लेकिन आज जब हम गुलामी से निकल गये हैं अब तो अंग्रेजी केवल गुलामी की याद ही दिलाती है और आगे भी गुलाम बने रहने के लिये तरगीब देती है। मैं श्री गोविन्दसहाय जी का आदर करते हुए उनसे फिर कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को पढ़ा नहीं, जैसा कि उनके भाषण से ही स्पष्ट होता है। उन्होंने बग़ैर मेरे प्रस्ताव को पढ़े हुए ही प्रस्ताव और प्रस्तावक की कटु आलोचना अपने भाषण में की जिससे मुझे यह शब्द कहने को मजबूर होना पड़ा।

माननीय गौरी शंकर राय ने भी प्रस्ताव का विरोध किया। वे प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के जिम्मेदार सदस्य हैं। उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले सोचना चाहिये था कि उनकी बात उनकी पार्टी विशष की बात समझी जायगी। वैसे तो उन्हीं की पार्टी के कई अन्य सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। उनकी अधिकांश बातों का उत्तर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ही माननीय शिवराज बहादुर जी ने दे दिया है। माननीय राय जी की एक बात से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में अन्य प्रान्तों की जो १४ भाषाएं हैं उनके पढ़ाने के लिये सभी विद्यालयों में १४ अध्यापक रखने पड़ेंगे।" मेरा कहना है कि १४ अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है। एक इन्टर कालेज या संस्था में आप एक ही भाषा को वैकल्पिक रूप से पढ़ाने का प्रबन्ध करें, इस तरह से राष्ट्रभाषा का ज्ञान परिपक्व होने के साथ-साथ एक दूसरे प्रदेश की भाषा का सम्यक् ज्ञान विद्यार्थी को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार पाठ्य-क्रम में तब्दीली से खर्च नहीं बढ़ेगा जैसा कि माननीय राय जी को सन्देह है। माननीय गौरीशंकर राय जी ने तो इस प्रश्न को ज्यादा उलझाने की कोशिश की और वे स्वयं बड़ी उलझन में पड़ गये। अब लाल बत्ती के डर से अधिक न कह कर मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि आदरणीय सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और माननीय मंत्री जी राष्ट्र के हित की दृष्टि से, विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से और प्रदेश के हित की दृष्टि से इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, इस प्रस्ताव के ऊपर जो विचार हुआ उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उन सबको सुनने का तो मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु हमारे प्रस्तावक जी ने मुख्य बातें अभी दोहरा दीं उनसे मुझे कुछ यह भी अन्दाज हो गया कि जिन लोगों ने उनका विरोध किया था उन्होंने क्या-क्या कहा था। माननीय मिश्र जी की बात भी सुनने का मुझे अवसर मिला यह प्रश्न ऐसा है कि जिसके सिद्धान्त से किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता और व्यक्तिगत रूप से तो मुझे और भी उसका विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हिन्दी का समर्थक हूं और उसकी कुछ थोड़ी सेवा करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हुआ है। मैं मूल रूप से ऐसा विश्वास करता रहा हूं कि किसी देश की एकता के लिये एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। इसके तत्वावधान में और संरक्षण में प्रादेशिक भाषाएं हों जो अपने-अपने क्षेत्र का कार्य करती हों पर सारे राष्ट्र की एकता के लिये और एक ऐसे राष्ट्र की एकता के लिये जो इतना बड़ा हो जितना कि हमारा भारतीय राष्ट्र है, भाषा की एकरूपता राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है।

यह प्रस्ताव कोई भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं है। मैंने केवल इस विचार से इतना कहा कि मैं स्वयं हिन्दी का भक्त हूं और देश की राष्ट्रभाषा बनाई जाने के सम्बन्ध में जो हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने प्रयास किया उसमें उनका अनुगामी मैं भी रहा हूं। यदि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो तो हमारी राष्ट्रभाषा की उन्नति तभी हो सकती है जब कि प्रादेशिक भाषाएं सजीव रूप से समुन्नत हों और उनकी छाप राष्ट्रभाषा के ऊपर पड़े जिससे कि विभिन्न प्रदेशों के लोग भी अपने राष्ट्रभाषा को अपने निकट समझ सकें। इस दृष्टि से भी प्रादेशिक भाषाओं का पठन-पाठन और उनकी समुन्नति आवश्यक है।

इस प्रस्ताव में कहा गया कि हिन्दी के सिवाय एक वैकल्पिक विषय भी हो। जो हमारे संविधान में १३ भाषाएं हैं शिडयूल ८ में उनमें से किसी एक भाषा को हिन्दी वाले सीखें। यह सौभाग्य है हमारे प्रदेश का कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है वही हमारी मातृभाषा है और उसमें हमारी शिक्षा-दीक्षा होती है। यह आवश्यक है कि हिन्दी भाषा के साथ एक कोई प्रादेशिक भाषा भी सीखें। उससे लाभ तात्कालिक भी है और दूर तक भी, राष्ट्र की दृष्टि से भी और भाषा की उन्नति की दृष्टि से भी। पंडित देवी प्रसाद जी कह रहे थे कि एक भाषा देश की प्रादेशिक भाषा में से हम और सीखें तो हमारी निकटता बढ़ेगी। जो लोग हिन्दी भाषा-भाषी हैं उनके ऊपर यह दोष भी लगाया जाता है कि हिन्दी को लादना चाहते हैं और स्वयं कोई दूसरी भाषा नहीं सीखते हैं। तो उससे यह बात भी दूर होगी और यदि हम किसी दूसरी प्रादेशिक भाषा का ज्ञान रखते हैं तो अपनी भाषा के विकास में, उसके कोष की वृद्धि में भी बहुत कुछ सहयोग हो सकता है। इस दृष्टि से जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि एक दूसरी भाषा हमारे यहां पढ़ाई जाय, उसमें एक प्रादेशिक भाषा वैकल्पिक विषय कर दी जाय, इसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता।

इस प्रस्ताव का एक दूसरा अर्थ यह निकलता है कि वैकल्पिक भाषा को ही अनिवार्य करो, प्रदेश की किसी भाषा को वैकल्पिक के रूप में अनिवार्य करो। इसके माने यह होते हैं कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट में अंग्रेजी जो वैकल्पिक विषय के रूप में है वह भी निकल जाय। यह प्रत्यक्ष अर्थ इस प्रस्ताव का है। अभी हमारे यहां हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड का जो कैरीक्यूलम है, भारतीय जी और मिश्र जी भी अच्छी तरह से उसको जानते हैं। अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय है। हाई स्कूल में हिन्दी अनिवार्य है, गणित अनिवार्य है और एक कोई दूसरी भाषा अनिवार्य है जिसमें या तो अपने देश की किसी प्रादेशिक भाषा को ले सकता है या अर्वाचीन जगत की अर्वाचीन भाषा को ले सकता है। उसमें अंग्रेजी आ जाती है विकल्प के रूप में। अपने देश की १३ प्रादेशिक भाषाओं में से कोई एक भाषा ले लें अथवा आधुनिक जगत की अर्वाचीन किसी भाषा में से एक भाषा ले लें। लड़के हाई स्कूल में अंग्रेजी ले लेते हैं, इंटर में भी हिन्दी अनिवार्य है और फिर यही है कि या तो अपने देश की किसी एक प्रादेशिक भाषा को ले लें या फिर जो आज की आधुनिक भाषायें हैं विदेशी उनमें से किसी एक को ले लें।

आप देखें कि कैरीक्युलम के मुताबिक हाई स्कूल में तो जैसा मैंने कहा तीन विषय अनिवार्य से हैं; एक हिन्दी, एक गणित और एक कोई और भाषा चाहे आधुनिक विश्व की कोई विदेशी भाषा हो जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, सिंधी, नैपाली इनमें से कोई हो, आती हैं अथवा कोई एक भारतीय भाषा हो उन भाषाओं में से जिन्हें संविधान के शेड्यल ८ में उद्धत किया गया है।

और इन्टरमीडियेट में भी ऐसा है। हिन्दी अनिवार्य है ही और दूसरी भाषाओं में से एक या तो कोई प्रादेशिक भाषा ले ले अथवा किसी विदेशी भाषा में से एक भाषा ले लें। तो अंग्रेजी कोई अनिवार्य नहीं है। हमारे यहां दर्जा ६ में अंग्रेजी शुरू होती है, प्रारम्भिक कक्षाओं में तो है ही नहीं। दर्जा ६ से लेकर १२ तक वैकल्पिक विषय के रूप में ली जा सकती है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी विकल्प के रूप में भी कम्पलसरी नहीं है, ली जा सकती है।

आपके इस प्रस्ताव का अर्थ यह है कि यह समस्त प्रादेशिक भाषाओं में से और अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी भाषाओं में से किसी एक भाषा को लेने में जो अंग्रेजी रखी गई है वह निकाल दी जाय और प्रादेशिक भाषा कम्पलसरी कर दी जाय। मान्यवर, जैसा मैंने कहा सिद्धान्ततः मुझ भी अच्छा लगता है, मैं स्वयं अंग्रेजी बहुत कम जानता हूं, जो अंग्रेजी को न जानते हों उन्हें और प्रसन्नता होती है कि सब हमारी तरह से हो जायं। लेकिन २०० वर्षों की अंग्रेजी हुकमत के बावजूद और शिक्षा का प्रबन्ध और उसकी पद्धति का संचालन उनके हाथ में होने के बावजूद भी अंग्रेजी जानने वालों की संख्या भारत में .१ प्रतिशत है। यह आंकड़ा हमारी साक्षरता के लिये जो कुछ हो, लेकिन इस बात का भी प्रमाण है कि अंग्रेजी भाषा और संस्कृति का कोई बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश पर नहीं हुआ।

अस्तु मैं निवेदन कर रहा था कि अंग्रेजी हटे और प्रादेशिक भाषा उसका स्थान ग्रहण करे विकल्प के रूप में भी इसमें सिद्धान्ततः कोई विरोध की बात नहीं है। जहां मातृ भाषाओं में शिक्षा दी जाती है वहां वे हिन्दी रख लें या किसी प्रदेश की भाषा रख लें, वह हमारे यहां हो जाय, उसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है। आपत्ति एक दो बातों में आती है और वह व्यवहार की दृष्टि से। उसी दृष्टि से मैं इस प्रश्न को रखना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटियों की शिक्षा है। आज भी अंग्रेजी को हमने जो लोअर डाउन कर दिया है उससे शिक्षा में बहुत कमजोरी आ गयी है जैसा मिश्र जी कह रहे थे इन्टरमीडिएट में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं शायद टीचर्स भी उनको नहीं समझते, इसमें भी उनको शक है। यह भी वे कह रहे थे कि युनिवर्सिटीज में जो लड़के जाते हैं वहां अनुशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि जिस विषय को पढ़ाया जाता है उसको बड़े क्लासेज में लड़के समझते नहीं। क्यों नहीं समझते, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान उनका बहुत कम हो गया है। युनिवर्सिटी में जो शिक्षा होती है, माध्यम कहीं अंग्रेजी नहीं है, एम० ए० तक नहीं है, लेकिन आपका माध्यम जो है शिक्षा का युनिवर्सिटी में वह अंग्रेजी में चलता है और जब अंग्रेजी का ज्ञान लड़कों का कम है तो वे समझ नहीं पाते। अभी वे कह रहे थे कि टीचर्स भी इंटरमीडिएट की किताबों को नहीं समझते, उनका ज्ञान शुरू से कम होता आया है और इसी से संभवतः वे नहीं पढ़ा पाते होंगे क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान कम हो गया है। आपके सारे कैरीक्युलम के परिवर्तन के कारण अंग्रेजी का ज्ञान कम होता गया। युनिवर्सिटीज में लड़के जाते हैं, वहां अंग्रेजी में लेक्चर्स होते हैं और अंग्रेजी का ज्ञान कम होने से लड़कों की समझ में नहीं आता और न समझने की वजह से बाहर चले जाते हैं जिससे अनुशासनहीनता फैलती है। उसका स्पष्ट कारण यह है कि उस स्टेज पर अंग्रेजी की आवश्यकता है और नीचे से हम अंग्रेजी कमजोर करते जा रहे हैं और जानबूझ कर, सोच समझ कर किया है, यह सोच कर कि अंग्रेजी की इतनी आवश्यकता नहीं है कि वह हमारे सर पर लदी रहे।

अब यदि अंग्रेजी को वैकल्पिक भाषाओं से भी निकाल दें तो हमारी स्थिति क्या होगी? दो बातें देखें। एक तो यह सोचें कि जहां तक आल इंडिया सर्विसेज हैं उनमें अंग्रेजी मौजद। सारे पेपर्स व आन्सर्स सब अंग्रेजी में मौजूद। डिफेंस के जो एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं वे अंग्रेजी में होते हैं और एक तरह से अंग्रेजी मीडियम सा बन गया है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में टैक्नोलाजी के लिये आज अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता है किसी भी टेक्निकल या बड़े इंस्टीट्यूशंस में जहां सब डिग्री कलासेज होते हैं सारी पढ़ाई-लिखाई अंग्रेजी में होती है। अगर एक दम से अंग्रेजी हटा दी जाय तो क्या हालत होगी? उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा कहा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जाता है--एक जांच-पड़ताल के बाद यह बात सिद्ध हुई है कि आल इंडिया सर्विसेज में, कम्पीटीटिव एग्जामिनेशंस में जैसे मिलीटरी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, टेक्नोलाजी के इम्तिहान होते हैं उनमें, फारेन सर्विसेज के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें हमारे आदमी पीछे रह जाते हैं और उसका कारण यह कहा जाता है कि अंग्रेजी का स्टैंडर्ड गिरा है। जितना ज्ञान उनको होना चाहिये वह नहीं है। अब आप बहुत प्रसन्नता से इंटरमीडिएट से अंग्रेजी को बिल्कुल गायब कर दें, यह कानूनन कर देना होगा। आज स्वतंत्रता है लेने की और न लेने की, क्योंकि दूसरा विकल्प मौजूद है परन्तु अब नियमतः इसको बन्द कर देना होगा, अंग्रेजी हम पढ़ नहीं पायेंगे, फिर हायर एजूकेशन के लिये और आल इंडिया बेसिस पर कम्पीटीटिव एग्जामिनेशंस के लिये हमारे लड़के जायंगे या नहीं जायंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिद्धान्ततः मैं इस बात से सहमत हूं और इससे भी सहमत हूं कि अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रश्न हल होना चाहिये। एक प्रदेश में अगर इस चीज को हम कर देंगे तो हमारी हानि हो जाने की गुंजायश है। अब भारतीय जी सुनेंगे मेरी बात।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---गोल-मोल बात कुछ समझ में नहीं आ रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---आपकी समझ में तो कभी नहीं आयेगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह आल इंडिया स्तर पर हल होने की चीज हो सकती है। आज इस विषय को हम यहां से हल करें यह हमारे लिये हानिकर है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि मिश्रजी ने जो दिल्ली के एक सम्मेलन की बात कही, तो उसमें यह प्रश्न उठा कि इंटरमीडियेट की परीक्षा से अंग्रेजी को पूर्णतया हटा दिया जाय। दूसरे प्रदेशों की ओर से यह प्रश्न उठा, हमने नहीं उठाया और उस पर कई घंटे वहां बहस रही। अभी तक तो मैं यह समझता था कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही अंग्रेजी एक विषय होने की वजह से लड़के हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षा में अधिकतर फेल होते हैं और जो ५०--६० प्रतिशत् विद्यार्थी फेल होते हैं अपने यहां उसका मुख्य कारण यही है। इसलिये अगर अंग्रेजी हटा दी जाय तो अनुत्तीर्ण की इतनी संख्या न बढ़े और इस विषय पर हम लोग सोचते भी हैं।

मैं ऐसा समझता था कि अपने प्रदेश में शुरू से अंग्रेजी हमने कम कर दी और हाई स्कूल और इंटरमीडियेट में जितनी अंग्रेजी होती है उतनी लड़के पढ़ पाते हैं और राष्ट्र की इतनी बड़ी शक्ति कि ४५ प्रतिशत पास हों और ५५ प्रतिशत फेल हो बेकार हो जाती है। लेकिन मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि बम्बई और मद्रास जैसे प्रदेशों के लोग यह कह रहे थे कि उनके यहां जो लड़के फेल होते हैं उनमें ज्यादातर अंग्रेजी में ही फेल होते हैं। तो यह प्रश्न था और कई घंटे तक इस पर विचार हुआ और बहुत से लोगों के तर्कों से यह मालूम होता है कि अंग्रेजी को इस तरह से मत लादे रखिये, जिसको पढ़ना हो पढ़े, कोई आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजी विकल्प में होते हुये भी अनिवार्य के रूप में हो। लेकिन यह आल इंडिया के स्तर पर हो। अगर हमने अंग्रेजी हटा दी और दूसरी जगहों में चलती रही तो सर्विसेज में हमारी क्या गति होगी और यूनिवर्सिटी की शिक्षा में जब हमारे लड़के जायेंगे, खासतौर से टेक्निोलाजी में, साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में और अंग्रेजी का उनका ज्ञान इतना कम होगा तो जहां आज हिस्ट्री, एकोनामिक्स और आर्ट्स के दूसरे साधारण विषयों को न समझ सकने के कारण लड़के बाहर चले जाते हैं वहां इन कठिन विषयों को पढ़ने के लिये सिवाय अंग्रेजी के दूसरी पुस्तकें नहीं हैं और अगर न समझ पायेंगे तो हम कहां रहेंगे। और बहुत बहस-मुबाहिसे के बाद यह तय हुआ कि इस विषय को सोचना चाहिये और उसके लिये एक कमेटी बन रही है कि इसको सोच कर कोई रास्ता निकाला जाय। यह इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि जो यहां प्रस्ताव है वह तय करें और इस विषय पर हम इस प्रस्ताव द्वारा निश्चय करें। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि आप ऐसा कर दीजिये कि इंटर के लड़के जिनको यूनिवर्सिटी में जाना है ऐसे विषय की शिक्षा ग्रहण करने, वह अंग्रेजी

पढ़ लें और अधिकतर लोग जिन्हें सर्विसेज में नहीं जाना है, जिन्हें कम्पीटीशन में नहीं बैठना है और जिनको साइंस नहीं पढ़नी है उनको यह मौका दे दिया जाय कि वह बिना अंग्रेजी लिये इंटर का सर्टीफिकिट ल लें। यह प्रश्न हमारे सामने था और इस पर विचार हुआ और एक कमटी भी बनी। हमार यहां यह था कि यह एक वैकल्पिक विषय है, लेकिन लड़के इसलिये अंग्रेजी लत ह क्लैरिकल जौब के लिये भी जितनी अंग्रजी की आवश्यकता है वह उनकी नहीं हो पायगी। सलिये यह चीज स्पष्ट होन की आवश्यकता है।

मैं आपसे कह रहा था कि यह व्यवहारिक कठिनाई हमारे सामने है। आज अंग्रेजी के लिये कुछ पुकार भी है। दूसरी ओर ऐसे विचार के भी कुछ लोग हैं जो यह सोचने लगे हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, कि अंग्रेजी को जितना हमने नीचा किया है वह गलत हुआ है और इसको फिर से उसी जगह पर लाना चाहिये। समाचारपत्रों में भी यह निकलता है। अंग्रजी के पठन-पाठन के दोष को दूर करने के लिये अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं। हैदराबाद म भी खुला है, इलाहाबाद में भी है और सी०पी० आई० में है जिसको फोर्ड फाउन्डेशन से रुपया मिलता है जिससे लड़कों को अंग्रजी का अच्छा ज्ञान हो जाय। अंग्रेजी की आज इतनी मांग है कि जो हमारे एंग्लो इंडियन पब्लिक स्कूल हैं, उनके संबंध में शायद मिश्रा जी का अनुभव न हो, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा है और मेरे सामने इन स्कूलों के एडमीशन के लिये मेरे पास अनुरोध-पत्र आते रहते हैं कि इन स्कूलों में लड़कों की तादाद बढ़ाई जाय। मेरा मतलब यह है कि जहां मीडियम अंग्रेजी में है वहां अपने बच्चे भेजने के लिये एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है। एडमीशन के जमाने में बड़ी आफत हो जाती है और लोग कहते हैं कि हमारे लड़कों को नहीं लिया जा रहा है। यहां तक कि लोगों की तबियत से यह बात हट गई थी कि अंग्रेजी में पढ़ाई हो उनकी इच्छा फिर से यह होने लगी है कि अंग्रेजी में पढ़ाई होनी चाहिये। मुझे यह बहुत पसन्द नहीं है और मैं अपने हृदय से इसको स्वीकार नहीं कर पाता हूं सिद्धान्ततः और देश के हित की दृष्टि से भी परन्तु एक लहर ह जो उठी है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इसमें बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आल इंडिया बेसिस पर तय होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी का कोई भविष्य नहीं है। श्रीमन्, ने बिजली भी बुझा दी।

श्री उपाध्यक्ष—इसलिये कि मैंने आपको समय दे दिया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अंग्रेजी का मैं कोई भविष्य नहीं मानता हूं जहां एक प्रतिशत से भी कम लोग अंग्रेजी पढ़े हों और जहां लोकतंत्र आया हो वहां भले ही यह कुछ दिन चले लकिन प्रादेशिक भाषा की आवश्यकता जरूर होगी क्योंकि यह जनसमूह जो बिना अंग्रेजी का है उसके प्रतिनिधि आयेंगे। तो अंग्रेजी का कोई भविष्य नहीं है। हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान देना होगा। भारतीय जी कह रहे थे हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर वह नहीं लाना चाहते। लेकिन मैं तो समझता हूं कि हिन्दी को वह स्थान प्राप्त होगा जो आज अंग्रेजी को प्राप्त है, इंटर-प्राविशियल सम्बन्ध आदि के लिये। परन्तु आज अगर अंग्रेजी को हम अपने यहां से हटा दें तो तत्काल आपकी हानि हो जायगी। हमें इसके लिये चेष्टा करनी है तो वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिये और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चेष्टा आरम्भ हुई है और उसमें से कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई रास्ता निकलेगा जिससे कि एक प्रकार की एकरूपता हो भाषा सम्बन्धी, खासकर के यूनिवर्सिटीज में जो मीडियम हो उसके लिये केवल कागज पर हिन्दी मीडियम होने से तो काम चलता नहीं है। शिक्षा सारी यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजी में होती है। अब उसको दूर करने के लिये केवल अपने यहां उपाय करने से हम अपनी हानि कर सकते हैं क्योंकि हमें उन पंक्तियों में बैठना पड़ेगा जहां अंग्रेजी सजीव रूप से चल रही है और चल ही नहीं रही है बल्कि उसे एक विशेषता भी प्रदान की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो एक प्रयास यह आरम्भ हुआ है कि आल इंडिया स्तर पर इसके लिये कोई उपाय सोचा जाय, उसके नतीजों के लिये हमको रुकना चाहिये और मैं इसी कारण भारतीय जी से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को वह वापस ल लें। इसे न तो यह मुनासिब है कि विरोध करके गिराया जाय न इस पर किसी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

प्रकार की ऐसी वोटिंग की आवश्यकता है। और भाषाओं का ज्ञान कराने के लिये भी यह आवश्यक नहीं है कि उसे एक अनिवार्य रूप में रखा जाय। जिन लोगों को आवश्यकता होगी उनको उसका ज्ञान कराया जायगा। इसलिये उनकी जो भावना है उससे मैं बहुत कुछ सहमत हूं। पर आज इस प्रस्ताव को स्वीकार करना, जैसी परिस्थिति है उसे देखते हुये, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का अहित करना होगा और इसी कारण मैं उनसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री देवनारायण भारतीय से) देखिये, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री देवनारायण भारतीय---मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अगर आप वापस ले रहे हों तब तो मैं दे दूंगा...

श्री देवनारायण भारतीय---मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अपने प्रान्त की कुछ विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि हिन्दी इस प्रान्त की मातृभाषा है भी और राष्ट्रभाषा भी है। इसलिये क्या हमको लोड नहीं लेना चाहिये और प्रान्तों के मुकाबिले में ? हमें पहले से ही अपने यहां से माध्यमिक शिक्षा से अंग्रेजी को निकाल देना चाहिये। यह निवेदन मेरा है। माननीय मंत्री जी यदि इसका उत्तर दे दें तो इसके बाद मैं विचार करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं पहले जो इस प्रस्ताव में संशोधन आये हैं उनको एक-एक करके लूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय---मैंने माननीय रामस्वरूप जी वर्मा तथा मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधनों को स्वीकार कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष---आप यों कह सकते हैं कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सदन की राय तो लेनी ही है।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "अनुशासन और" तथा "सामयिक शिक्षा" के बीच में शब्द "भारतीय" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ६ में शब्द "किसी 'और' भाषा का ही" के बीच में शब्द "एक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदास पासी---श्रीमन्, मैं शिक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गौरीशंकर राय---मैं यह वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो संशोधन आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें यह है कि "जिससे कि अंग्रेजी भाषा का वैकल्पिक रूप से पठन विश्वविद्यालय की बी० ए० कक्षा से प्रारम्भ हो" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तब बी० ए० का अर्थ हिन्दी में क्या होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उसका अर्थ ए, बी, सी, डी, से शुरू होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं:

"जिससे कि अंग्रेजी भाषा का वैकल्पिक रूप से पठन विश्वविद्यालय की बी० ए० कक्षा से प्रारम्भ हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन अपना यह निश्चित मत प्रकट करता है कि प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, अनुशासन और सामयिक शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुयेयह उचित है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जावे कि केवल उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जिनकी मातृ-भाषा अंग्रेजी हो अन्य सब ही विद्यार्थियों के लिये भारतीय संविधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाषा के स्थान पर अनिवार्य रूपेण शिक्षण नियमित हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---११,

विपक्ष में---८६।)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---गणना में गलती हो गई है इसलिये गिनती फिर से होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---जब निर्णय हो चुका है तो अब यह कोई प्रश्न नहीं उठता। एक-दो का फर्क होता तो यह बात सोची जा सकती थी। यहां तो ७८ का फर्क है।

वर्तमान पुलिस संगठन-व्यवस्था में परिवर्तन हेतु कमीशन स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प

श्री उपाध्यक्ष---अब दूसरा प्रस्ताव है श्री मोतीलाल अवस्थी का।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :---

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि वर्तमान पुलिस संगठन व्यवस्था तथा निर्माण व उसके कर्त्तव्यों में आमूल परिवर्तन करने हेतु विशेष कमीशन का संगठन किया जावे जो पुलिस संगठन को जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर उसे कुशल, समर्थ और जनप्रिय एवं विकेन्द्रित बनाने की योजना उपस्थित करे।"

श्रीमन्, जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसे देखने से ही लोग समझ सकते हैं कि यह बेमानी नहीं है। यद्यपि एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति हमारे यहां हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपके द्वारा यह स्पष्टीकरण कर दूं कि यह प्रस्ताव एक विशेष मानी रखता है। जो कमीशन की नियुक्ति गृह विभाग द्वारा हुई है और उनके जो कार्य बताये गये हैं उनको देखते, समझते हुए मुझे इस बात की अत्यन्त आवश्यकता महसूस हुई कि मैं इस प्रकार का प्रस्ताव जो पेश कर रहा हूं उसको पारित किया जाय और ऐसा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

यों तो जो हमारे गृह विभाग द्वारा कमीशन मुकर्रर किया गया है और जिसमें १५ सदस्य हैं उसमें जांच करने के लिये बहुत-सी बातें रखी गयीं हैं। उसमें १३ बातें हैं और इनमें पुलिस के सम्बन्ध में बहुत आवश्यक-अनावश्यक बातें हैं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं संक्षेप में पढ़कर सुना दूं।

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

पहली चीज यह है कि क्या सशस्त्र तथा निःशस्त्र दोनों प्रकार की प्राविधिक और अप्राविधिक शाखाओं में पुलिस दल के लोगों की संख्या अपर्याप्त है ?

(२) क्या पुलिस दल का वर्तमान संगठन तथा स्वरूप वर्तमान आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त है या उसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक है ?

(३) क्या अनुसंधान, अभियोजन और विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधों की रोकथाम करने के लिये पुलिस के कृत्यों को पृथक् करने की या किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन या सुधार करने की आवश्यकता है ?

(४) परिवहन तथा रेडियों संबंधी सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान रखते हुए, पुलिस दल के लिये व्यवस्थित सज्जा की पर्याप्तता तथा उपयुक्तता की जांच इस दृष्टि से करना कि क्या पलिस दल की गतिशीलता तथा दक्षता में वृद्धि और जन-शक्ति की बचत के लिये इन सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिये क्या ?

(५) क्या नये भर्ती किये गये पुलिस दल के सदस्यों की ज्ञान वृद्धि के लिये तथा उनमें लोकतंत्रात्मक समाज में पुलिस के कर्तव्यों के ति अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पुलिस अधिकारियों और जवानों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण क वर्तमान तरीकों में परिवर्तन तथा सुधार करने की आवश्यकता है क्या ?

(६) अनुसंधान कार्य करने वाले कर्मचारियों को समुचित वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर तथा डिवीजन और जिला के मुख्यालयों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता देने के उद्देश्य से विशेषतः प्रशिक्षित तथा सुसज्जित काइयों को स्थापित करके अनुसंधान कार्य में वैज्ञानिक तरीकों के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग की सम्भावना की जांच करना।

(७) क्या गांव के चौकीदार रखने की प्रथा समाप्त कर दी जाय और उसके स्थान पर गश्ती कांस्टेबिल रखने की प्रणाली अपनायी जाय जैसा कि प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर के जिलों में प्रयोगात्मक आधार पर किया गया है ?

(८) क्या पुलिस दल (भारतीय ुलिस सेवा तथा उत्तर प्रदेश ुलिस सेवा को छोड़कर) की वर्तमान वेतन-व्यवस्था यथष्ट है और क्या उनमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है ?

(९) पुलिस दल के लिये व्यवस्थित सुख सुविधाओं की पर्याप्तता और उनके रहन-सहन की दशाओं की जांच करना और यह सिफारिश करना कि उनमें सुधार के कोई उपाय आवश्यक हैं, क्या ?

(१०) क्या अनुशासनिक कार्यवाहियों की वर्तमान प्रणाली संतोषजनक है अथवा संवैधानिक संरक्षणों को दृष्टि में रखते हुए, उपयुक्त तथा अपेक्षाकृत कम विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है ?

(११) पुलिस के मनोबल, व्यवहार, ष्टिकोण तथा जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता में सुधार करने तथा भ्रष्टाचार के समूल नष्ट करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जो विभिन्न उपाय पिछले कुछ वर्षों में किये गये हैं उनके मूर्त परिणामों का मूल्यांकन करना तथा उनकी जांच करना ।

(१२) इस बात की जांच करना और तद्विषयक सुझाव ना कि पुलिस दल से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने और अपराध का सामना करने में जनता का अपेक्षाकृत अधिक सहयोग तथा उसकी सहायता प्राप्त करने के निमित्त और क्या उपाय किये जायं ? इस बात की जांच करना कि इस प्रयोजन के लिये पुलिस के सहायतार्थ ग्राम चायतों का उपयोग कहां तक किया जा सकता है ?

(१३) अन्य कोई विषय, जिसे सरकार आयोग के विचारार्थ अभिदिष्ट कर ।

मैंने इसलिये विशेष तौर से पढ़कर सुना दिया कि यह भ्रम न रह जाय हाउस में कि इस प्रस्ताव में फिर भी बहस किया जाना क्यों आवश्यक ह ।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जरा दूसरा पढ़ दीजिये, वह आपने पढ़ा ही नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--बड़े गौर से उसको भी पढ़ा है, लेकिन जो मनोबल का परस्पर अन्तर है उस चीज को समझ लें । आपने जो लिखा है कि "वर्तमान संगठन और स्वरूप में कोई परिवर्तन होने की आवश्यकता है क्या ?" इतना कह करके आप पूछना चाहते हैं कि क्या विकेन्द्रीकरण करना वांछनीय होगा । लेकिन सबसे पहले हमारे सामने जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बात है और वह हमारी सरकार के मस्तिष्क में नहीं आ पायेगी, ऐसा मेरा पूरा-पूरा विश्वास है । इसलिये मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि मैं सौभाग्य से पुलिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं और मैंने वहां बैठकर के कुछ गृह विभाग को समझने की कोशिश भी की है । और उसी के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से सुधार भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने आये और उन पर विचार भी हुआ उसी के आधार पर हमारे गृह मंत्री जी ने एक उच्च स्तर कमीशन की नियुक्ति भी की है । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उसके कुछ उद्धरण भी मेरे पास मौजूद हैं । उन्हें भी मैं आपके सामने पेश करूंगा । अपने भाषणों में उन्होंने इस बात की पुष्टि करनी चाही थी कि इंगलैन्ड में भी विकेन्द्रीकरण उस रूप में नहीं है जिस रूप में कि विरोधी दल क नता चाहत ह । उन्होंन जो यह किताब "Britain an official Handbook" है उसी के एक उद्धरण को पढ़कर सुनाया था । उसी किताब के कुछ उद्धरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं । इसको देखने से मालूम होता है कि वहां पर पूरी तरह से विकेन्द्रीकरण मौजूद है । इस पुस्तक के पृष्ठ ९२ पर लिखा है--

"In the counties of England and Wales the police authority is the Standing Joint Committee, half of whose members are members of the county council while the other half are justices of the peace. In the boroughs the police authority is known as the Watch Committee and is elected by the Council from its members. The police authority of a combined fore is made up of representatives of the constituent areas as prescribed in the scheme under which they combine."

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--यह किस भाषा में आप बोल रहे हैं ? समझ में कुछ नहीं आ रहा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं अभी हिन्दी में समझा दूंगा । आगे लिखा है--

"In the Metropolitan Police District the Home Secretary is the police authority. In the city of London the Common Council is the police authority, although it usually appoints a standing committee to deal with all police matters on its behalf.

In Scotland the police authority for the counties is the county or joint county council ; in the large burghs it is the town council ; where there are combined forces there is a joint police committee."

तो आप देखें कि इंगलैन्ड में जो पुलिस एथारिटी है वह स्टैंडिंग कमेटी ही है जिसके आधे सदस्य काउन्टी काउन्सिल के होते हैं और आधे जस्टीसेज आफ पीस होते हैं । फिर मेट्रोपोलीटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में होम सेक्रेट्री जो होता है वही पुलिस एथारिटी समझा जाता है । लंदन शहर में जो कामन काउन्सिल होती है वह पुलिस

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

एथारिटी मानी जाती है और यह मामलों की जांच के लिये एक स्टैंडिंग कमेटी की नियुक्ति करती है। स्काटलैंन्ड में भी काउन्टी या ज्वाइन्ट काउन्टी काउंसिल होती है। इसी किताब के पृष्ठ ९३ पर आगे लिखा है :

"Central control also derives from the fact that all police authorities receive a Government grant equal to half their net expenditure reckoned in accordance with the provisions of orders made under the Miscellaneous Financial Provisions Act, 1950."

इस तरह से आप देखें कि वहां का पुलिस संगठन किस प्रकार का है। किस प्रकार से वहां पर कार्य होता है और इस प्रणाली को उपयुक्त समझा गया है।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि वहां पर सेंन्ट्रल कन्ट्रोल है। इसके विषय में जैसा मैंने अभी पढ़ा है और उसके संबंध में एक छोटा-सा कोटेशन पढ़ा है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार का सेन्ट्रल कन्ट्रोल वहां पर है। यह कहना कहां तक उचित होगा कि वे सेन्ट्रली डाइरेक्टेड हैं, सेन्टर का ही प्रभुत्व उन पर है ठीक नहीं है। मैंने जो यह थोड़े से उद्धरण आपको पढ़कर सुनाये हैं, पुलिस संगठन के बारे में, उस पर माननीय गृह मंत्री जी को विचार करना चहिये। उन बातों पर विचार करके, इन बातों को ध्यान में रखते हुये ही पुलिस कमीशन नियुक्त किये जाने की आज आवश्यकता है। यह जो कमीशन नियुक्त हुआ है उसके लिये मेरी समझ में नहीं आता है कि उसे आप एक कमीशन कहेंगे या एक कमेटी कहेंगे। यह मैं जानता हूं कि यह जो कमीशन नियुक्त हुआ है उसमें विरोधी पक्ष के भी एक-आध सदस्य हैं। लेकिन जिस प्रकार का यह कमीशन नियुक्त हुआ है, जिस पृष्ठभूमि में इसकी नियुक्ति हुई है, उसके पीछे जो भावनायें हैं, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूं। इस पुलिस कमीशन की प्रथम भावना यह होगी कि यह कमीशन लम्बा जायगा और साल दो साल अपनी बैठकें करेगा और चुनाव की प्रतीक्षा करेगा।

दूसरी बात यह होगी कि अपने से संबंधित प्वाइंट्स पर विस्तार रूप में विचार करेगा। कुछ ऐसे भी प्वाइंट्स हैं जिनके संबंध में वह निजी सुधार करना चाहता है, अपने संगठन को व्यापक बनाने के लिये और अपने स्केल, ग्रेड और खर्चा बढ़ाने के संबंध में लेकिन विशेष तौर से इस पुलिस के संबंध में व्यापक परिवर्तन करने की आज आवश्यकता है जिसके आधार पर हमारे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम हो सके और वह है जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का होना।

जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का अर्थ मैं आपके सम्मुख स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं। मैं इंगलैंड की प्रथा का ही अनुसरण नहीं करना चाहता बल्कि देश में एक नयी प्रणाली चलाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान इस पुलिस के सम्बन्ध में पियर्स कमेटी जो कि १९४३ में बनी थी उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उस कमेटी ने कुछ मापदंड उपस्थित किये थे, कुछ स्टैन्डर्ड बनाये थे कि पुलिस के यह स्टैन्डर्ड बनाये जायं। लेकिन आज उस कमेटी को बने हुये १५ साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन जैसी की मसल है "देर आयद दुरुस्त आयद"। अगर इतनी देर के बाद भी सरकार पुलिस में सुधार करने की बात सोचे तो उसके लिये हम कह सकते हैं कि जब इतनी देर के बाद सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है तो यह कहना पड़ता है कि पुलिस में परिवर्तन तो तभी होगा जब सरकार का ध्यान इस ओर जायगा कि जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करना है। इसका अर्थ यह है कि जब तक पुलिस की यूनिटों को, जो निम्न स्तर की यूनिटें हैं जैसे ग्राम यूनिट और ग्रामों के साथ-साथ कई ग्रामों को मिलाकर ब्लाक यूनिटों के अन्तर्गत सुपरविजन और कन्ट्रोल की बात मौलिक रूप से न मान ली जाय तब तक कोई भी परिवर्तन करना बेकार ही है। यदि सरकार की इच्छा प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था और सुधार करने की है तो उसे मौलिक रूप से इस सिद्धान्त को मानना चाहिये।

आज इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा शान्ति व्यवस्था अधिक बिगड़ी हुई है। इस प्रदेश में दिन प्रति दिन जुर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले दस सालों में इस प्रदेश में जितने कत्ल नहीं हुये उतने कत्ल सन् १९५९ में हुये। हमारे प्रदेश में कत्लों, डकैतियों, राहजनी

और नकबजनी की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है इसलिये आज अगर सरकार कानून की व्यवस्था करने की ओर अगर कोई कदम उठाती है तो उसका हम स्वागत करते हैं । लेकिन हम चाहते हैं कि इन बातों की ओर ध्यान रखा जाय जिनके बिना कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा ।

माननीय गृह मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं उनके प्रति हमें बड़ी श्रद्धा है यद्यपि वह हमारे प्रति कम श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान हमारी ओर कम होता है और अपने आवश्यक कार्यों की ओर ही ज्यादा जाता है । आज शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सुना तो उनको उससे ज्ञान भी मिला । हम लोग जो बहुत सी बातें यहां कहते रहते हैं वह ऐसी नहीं होती कि अनायास जंगल में कही गई हो । शिक्षा के सम्बन्ध में आज यहां पर दूरदर्शिता की बातें कही गईं और वही बातें कही गईं जो कि अन्य प्रदेश के लोगों ने केन्द्र के स्तर पर कही हैं, वहां पर वादविवाद भी हुआ है और उन पर विचार भी किया जा रहा है । इसलिये यहां पर जो विचार होता है वह ऊंचे स्तर का होता है और उस पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है । लेकिन अगर सरकार ध्यान नहीं भी देती है तब भी इस पर आवाज उठाना हमारा कर्त्तव्य है । सरकार चाहे उन बातों को सुने या न सुने । हमारा प्रस्ताव जो है वह मौलिक परिवर्तन चाहता है, इस प्रस्ताव में सिद्धान्त निहित हैं लेकिन फिर भी गृह विभाग की ओर से गृह मंत्री जो इसका उत्तर देंगे, मुझे पूरा-पूरा विश्वास है, उसमें वह कहेंगे कि सिद्धान्ततः तो हम इसे स्वीकार करते हैं लेकिन इसकी व्यावहारिकता में दिक्कत है । तो यह सिद्धान्त और व्यवहार की जो दिक्कत है यह हर कदम पर आ जाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि यह सिद्धान्तवादिता की पुकार क्यों मचाई जाती है ? आप साफ-साफ क्यों नहीं कहते हैं कि "हम नहीं करेंगे" । सिद्धान्त की दुहाई देकर किसी काम को न करने की आपकी बात उचित नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि प्रान्त में शान्ति और व्यवस्था कायम हो और उसके लिये पुलिस में कोई ठीक परिवर्तन हो तो आपको हमारे विचारों का आदर करना चाहिये । इसके लिये आपको पुलिस ग्राम सभाओं और ब्लाक्स तथा जिलों के अधिकार में भी देनी होगी । जब तक जनता का सहयोग और कन्ट्रोल न होगा तब तक जनता का प्रेम उसके प्रति नहीं हो सकता । आज हमारे देश को स्वाधीनता मिले १३ साल हो गये लेकिन क्या उसमें एक पाई भी परिवर्तन हुआ है जिसे हम कह सकें कि वह परिवर्तन जनतांत्रिक है ? चारों ओर उसमें निरंकुश शासन ही कूट-कूट कर भरा दिखाई देता है । आज ही अध्यक्ष महोदय ने एक एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार किया है, वह भी पुलिस के बारे में ही है । इस प्रकार के मोशन्स नित्यप्रति आया करते हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस जनता की सर्विसेज होकर रहे न कि लार्ड की भावना से आतंक फैला कर वह जनता के ऊपर राज्य करे । यही हमारा एक मौलिक परिवर्तन का सुझाव है । लेकिन हमारा खयाल है सरकार इस बात को मानने वाली नहीं है । क्योंकि जब जब हमने कहा कि पुलिस को आप चाहे जितना बढ़ाते जायं लेकिन जरायम कम न होंगे, उसके लिये आपको लोगों में शस्त्रों का वितरण करना होगा । लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि हम शस्त्र नहीं दे सकते क्योंकि हमें लोगों पर विश्वास नहीं है ।

देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं फिर हमें अपना रक्षण क्यों अपने आप नहीं करने दिया जाता ? कानपुर जिले में ही नहीं, प्रदेश में बहुत से थाने ऐसे हैं जहां किसी भी स्वाभिमानी का सुरक्षा से रह सकना मुश्किल है । आज बहुत से जिलों में पोलीटिकल मर्डर्स हो रहे हैं । क्या हम आशा करें कि इस प्रकार से पुलिस विभाग में हम कोई परिवर्तन ला पायेंगे । इस प्रकार के कमीशन बिठा कर आप जनता को केवल भलभुलैया में डालना चाहते हैं । वास्तव में आप कोई परिवर्तन पुलिस में करना नहीं चाहते हैं । पुलिस कमीशन कायम हुआ है । बहुत सी गवाहियां उसके अन्तर्गत ली जायंगी । मेम्बर्स के भत्ते और ट्रैवलिंग अलाउन्स में बहुत-सा रुपया खर्च हो जायगा और अन्त में "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" वाली कहावत चरितार्थ होगी । उसमें से केवल चुहिया निकलेगी । क्योंकि उसके बाद आप विकेन्द्रीकरण की ओर अग्रसर नहीं हो पायेंगे । उसको करने का आपमें साहस नहीं है । आइटम नम्बर २ में उस चीज को आपने थोड़े से गोल शब्दों में रख दिया है । उसके बाद के १३ आइटम्स उस पुलिस कमीशन को

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मजबूर करेंगे । एक ओर जनता है और दूसरी ओर पुलिस के आतंक राज्य की बात है । हम तो चाहते हैं कि पुलिस विभाग पर जनता का अधिकार हो । गांव सभाओं, गांव पंचायतों, ब्लाक्स या जिला परिषदों के हाथ में ताकत दी जाय और पुलिस को उनके सुपुर्द किया जाय ।

मैंने एक थोड़ा-सा खाका पुलिस स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा था कि सरकार अगर चाहे तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन के साथ पंचायतों का एक ग्रुप एटैच कर दे ताकि पंचायत ग्रुप के कुछ आदमी सामूहिक रूप से स्टैंडिंग कमेटी बना सकें और उनके अन्दर एक थाना या कुछ थाने को रख दिया जाय, जिनका वे निरीक्षण कर सकें । इस तरह से हम पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह भी बना सकेंगे । हम आज देख रहे हैं कि हमारे यहां जरायम में कमी नहीं हो रही है, जनता हर प्रकार से आतंकित है । सरकार भी आज जनता की रक्षा करना नहीं चाहती है क्योंकि वह पुलिस को अपने हाथ में एक शस्त्र के रूप में रखना चाहती है जिसके द्वारा वह जब भी चाहे जनता के अन्दर टेरोराईजिंग रूल कायम रख सके । आज सरकार के पास केवल पुलिस का ही बल है जिससे वह जनता को आतंकित करना चाहती है । आज अगर किसी थाने के बारे में कोई शिकायत सरकार के समक्ष की जाती है तो उसी विभाग के अधिकारी या सी० आई० डी० उसकी जांच करने के लिये भेज दिये जाते हैं जो जाकर लीपापोती कर आते हैं और देखा जाता है कि आये दिन जनता को १०७/११७ के अन्दर फंसाने की कोशिश की जाती है । हर मौके पर, बजट के मौके पर या और मौके पर भी बार-बार पुलिस आतंक तथा क्राइम्स बढ़ने की शिकायत की जाती है । हमेशा पुलिस के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री की तरफ से लीपापोती कर दी जाती है जिस से जनता के अन्दर आज भी व्यापक रूप से आतंक है । पुलिस विभाग का विकेन्द्रीकरण करने के लिये आवश्यक है कि पुलिस कमीशन के टर्म्स ऐंड रेफरेंस में इस विषय को भी निहित कर दिया जाय, इस बात को लिख दिया जाय तथा इसको सर्वोपरि व मुख्य स्थान मिलना चाहिये । जब तक इस बात की घोषणा नहीं होती तब तक आपकी पुलिस कभी भी पूर्ण कामयाब नहीं होगी । पुलिस कामयाब हो तथा उसके प्रति जनता की सहानुभूति प्राप्त हो तथा जनता यह समझे कि पुलिस हमारी है, इसके लिये आवश्यक है कि सरकार पुलिस के विकेन्द्रीकरण की शीघ्र घोषणा करे ।

सरकार ने जिस कमीशन की नियुक्ति की है उसके सामने कहने के लिये तो १३, १४ बातों में एक बात रख दी गई है लेकिन असलियत यह है कि उस कमीशन में विरोधी पक्ष के एक दो सदस्यों के सिवा सभी सरकारी पक्ष के ही हैं । बहुमत तो आपका ही है । आप तो जो चाहेंगे वह करा ही लेंगे । लेकिन सोचने की बात यह है कि पुलिस के सम्बन्ध में शिकायत विरोधी पक्ष की ही नहीं, बल्कि ट्रेजरी बेंचेज के बहुत से माननीय सदस्यों की भी रही है । आपने जो पुलिस कमीशन कायम किया है वह कम से कम दो साल समय लेगा तथा उसमें लाखों रुपये की बर्बाद होगी और वह कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पावेगा । इसलिये आवश्यक है कि सरकार मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प हमारे अवस्थी जी ने प्रस्तुत किया है इस सदन के अन्दर, मैं समझता हूं कि वह अनावश्यक है; क्योंकि अभी उन्होंने बतलाया कि पुलिस के पुनस्संगठन के बारे में अपनी राय देने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जा चुकी है और जो बातें उन्होंने यहां सदन में कहीं, वे बातें उस कमीशन के सामने भी वे रख सकते थे क्योंकि उस कमीशन का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है । उस कमीशन का काम अभी चल रहा है, ऐसी अवस्था में आज जो संकल्प उन्होंने रखा है उसके द्वारा वह कोई और नई बात कराना चाहते हैं या और कोई नई चीज हो पायेगी ? मैं समझता हूं कि वह नहीं हो पायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—आप अब अपना भाषण समाप्त करें, अगले दिन आप बोलें ।

रिहन्द बांध, पिपरी के मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठी तथा गोली प्रहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री झारखंडे राय के निम्न प्रस्ताव पर विचार शुरू होगा—

"गत १८ जनवरी को रिहन्द बांध, पिपरी पर पुलिस ने लाठी चलाई, गोली चलाई, आंसू गैस छोड़ी, मजदूरों पर, जिसके फलस्वरूप एक मजदूर मरा, सैकड़ों के चोटें आईं और वे घायल हुये । प्रायः ६०० से ऊपर मजदूर गिरफ्तार किये गये और जेल भेजे गये । वहां अब भी आतंक का राज्य है । एक विषम परिस्थिति है ।

इस पर विचार करने हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि "गत १८ जनवरी को रिहन्द बांध, (पिपरी) पर पुलिस ने लाठी चलाई, गोली चलाई, अश्रु गैस छोड़ी, मजदूरों पर । जिसके फलस्वरूप एक मजदूर मरा, सैकड़ों के चोटें आईं और वे घायल हुये । प्रायः ६०० से ऊपर मजदूर गिरफ्तार किये गये और जेल भेजे गये । वहां अब भी आतंक का राज्य है । एक विषम परिस्थिति है । इस पर विचार करने हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं वह एक गम्भीर विषय है । पंडित जवाहरलाल ने अभी हाल में कहा था कि वर्तमान भारत के राष्ट्रीय नवनिर्माण केन्द्र हमारे नये तीर्थ स्थान हैं और उन्हीं में से एक तीर्थ स्थान में पुलिस ने गोली चलाई है और जो ६,००० तीर्थस्थान के पुजारी हैं अर्थात् मजदूर रिहन्द बांध पर, उनमें से एक पुजारी अथवा मजदूर की मृत्यु भी हुई है । यद्यपि असरकारी सूत्रों के अनुसार मौतों की संख्या ५ और ६ के बीच में है और १,००० से ऊपर आदमी गिरफ्तार हुये हैं । सरकारी सूत्रों के अनुसार भी ६०० के करीब व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कुछ ऐसे भी लोग गिरफ्तार किये गये हैं जो गिरफ्तारी के स्थान से ले जाकर मिर्जापुर में छोड़ दिये गये । अतः उन दोनों संख्याओं में कोई विशेष अन्तर नहीं है । सैकड़ों मजदूरों के लाठी से चोटें आयीं और ६ मजदूर गोली से घायल हुये जबकि यहां के मजदूर किसी भी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते, वे परम्परागत, अपनी वंश परम्परा से ही मजदूर हैं, उनका जन्म ही खुली झोपड़ी में होता है, पालन भी वहीं होता है और मृत्यु भी वहीं होती है । मेहनत ही उनकी परम्परा है । वहां पर कोई यूनियन या पार्टी संघटन नहीं है, वे निराले मजदूर हैं । परन्तु सरकार यह कह कर आसानी से नहीं छूट सकती कि कुछ लोगों ने वहां मजदूरों को भड़काकर ऐसा करा दिया । एक यूनियन इंटक की ओर से बनाने की वहां कोशिश भी हुई लेकिन वह यूनियन भी केवल कागज पर ही रह गई । ऐसी हालत में जब कि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखते, उनका कोई संघटन नहीं है । और वहां पर नेता नामधारी जीव भी नहीं रहते फिर भी वहां पर निहत्थे और निरीह अहिंसक तथा शान्त मजदूरों पर लाठी और गोली बरसाई गई । इसकी जितनी निन्दा की जाय, जितनी ही भर्त्सना की जाय वह कम है ।

वहां पर ५ जनवरी से तीन मजदूरों ने भूख हड़ताल की । वह भूख हड़ताल किसी नेतागीरी के चक्कर में भी नहीं कराई गई, उस जंगल में जहां जाना भी मुश्किल है कौन उनकी सुनेगा और उनकी खबर लेगा । उन्होंने वहां अपनी कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल की, उनकी मांगें पांच थीं बहुत मामूली और उनको वह कम्पनी आसानी से मान सकती थी । ग्रामवासी जी, जो इस सदन के सदस्य भी रह चुके हैं, और कर्ण भाई जो एक सर्वोदयी नेता है, किसी भी पार्टी के नहीं हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के तो बिलकुल नहीं हैं, इन दोनों के हस्तक्षेप से एक बात चलायी गयी और बातचीत करीब-करीब सफलता के नजदीक पहुंच रही थी उस अवसर पर गोली चलाना अत्यन्त

[श्री झारखंडेराय]

निन्दनीय है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों को गोली चलाने का कुछ शौक था। कई दिन पहले से डाक्टर बुला लिये गये थे सारे जिले से, प्रायः सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। पूरी तैयारी कर ली गई थी। मानो गोली चलाना है और कुछ मजदूरों को मारना है और इस नवनिर्माण के काम को मजदूरों की लाश के ऊपर, मजदूरों के खून में रंगी हुई धरती के ऊपर और मजदूर महिला-विधवाओं के विलाप और उनके बच्चों के करुण क्रन्दन के बीच में जारी रखना है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से कि क्या नवनिर्माण का कार्य इसी आधार पर भारत में चलेगा ?

वहां ६ हजार मजदूर काम करते हैं। उनकी पूरी हड़ताल थी। वे हड़ताली मजदूर एक प्रदेश के नहीं हैं। उनमें केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश के मजदूर हैं। उस इलाके के बहुत से इने-गिने मजदूर हैं क्योंकि कुछ टेक्नीकल काम है और उस टेक्नीकल काम को जानने वाले लोग उस इलाके में नहीं रहते ऐसा कहा जाता है। इन तीन भूख हड़ताली मजदूरों ने अपनी मांग रखने के बाद और कोई कार्यवाही नहीं की। १५ जनवरी को यकायक नाटकीय ढंग से पुलिस ने उन तीन भूख हड़तालियों को चुपचाप चोर की तरह गिरफ्तार किया, रात में, और जेल भेज दिया। जब १५ जनवरी को मजदूरों को मालूम हुआ तो हड़ताल हुई। हड़ताल आंशिक थी। लेकिन १६ तारीख को मुकम्मिल हड़ताल हो गई। हड़ताल के बाद जबकि कुछ लोगों की मध्यस्थता में समझौते की बात चल रही थी और जो मांग रखी गई थी उनके पूरे होने की पूरी आशा थी और ऐसा लगता थी कि हस्तक्षेप सफल होगा उस समय यकायक ३ बजे इस बात का ऐलान शुरू हुआ कि दफा १४४ लागू की गई है। ३ बजे ऐलान शुरू होता है और एक घंटे बाद उसके लागू होने की घोषणा होती है कि प्रतिबन्ध ४ बजे से लागू होगी। सिनेमा भवन पर मजदूरों की मीटिंग हो रही थी। कम्पनी द्वारा जो मांगें स्वीकृत हुईं उनको समझाया जा रहा था। वहां यह सूचना साढ़े तीन बजे पहुंची। मजदूर वहां से तितर-बितर हुए और वापस चले अपने मकानों को। उनको मकान कहना बेकार है, उनको मांद कहना ठीक होगा। खोह है जिनमें आदमी खड़ा होकर न रह सकता है और न चल सकता है या खेमे हैं जिनके अन्दर उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई हैं और गुजर रही हैं। उनको कोई नागरिक अधिकार नहीं है। न वह वोटर हैं और न कभी उनकी तीन पुश्तों में किसी ने वोट दिया है। ऐसे मजदूर अपनी झोपड़ियों को वापस चले। जिन लोगों ने रिहन्द बांध क्षेत्र देखा होगा उन्हें मालूम होगा कि दो घंटे का वहां से (सभास्थल से) रास्ता है क्वेरी का। सिर्फ आधा घंटा का टाइम उन्हें मिला। कैसे मजदूर वहां पहुंच सकते थे यह कामनसेन्स की बात है। लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी लोग हैं उनमें वह कामनसेन्स भी नहीं है। जब मजदूर लौट चुके थे और क्वेरी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वहीं पुलिस का दस्ता जो ऐलान करता हुआ घूम रहा था, लौट रहा था। उसने देखा कि चार तो बज चुके और यह मजदूर जा रहे हैं, २००, ४०० या ५०० के जत्थे में। तो कानून तो टूट ही गया। उन्होंने उसका पालन कराने के लिये दिखाई तत्परता, आगे बढ़े और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब अकारण गिरफ्तारी के बाद उत्तेजना आयेगी ही, अन्यथा उत्तेजना कब पैदा होती है ? ऐसे ही बेवकूफी के मौके पर पैदा होती है और होनी भी चाहिये और फिर वही पुरानी कहानी। आप स्वयं राष्ट्रीय आन्दोलन के सैनिक रहे हैं, वही पुरानी कहानी कि ढेले चलाये गये पुलिस अधिकारियों पर चाहे खरोंच भी न आयी हो, ढेले चले कप्तान के ऊपर चाहे तिनके की चोट भी न आयी हो और फिर गोली चली। पाखाना करते हुए आदमी को गोली लगी, वह भी शायद आन्दोलन कर रहा था वहां पर ? एक बूढ़ी महिला किसी मजदूर की मां होगी, गोली चलने की आवाज सुन कर अपनी झोंपड़ी के बाहर खेलते हुए बच्चों को उठाने के लिये आयी; उसके पैर में गोली लगी। वह भी आन्दोलन कर रही थी ? एक आदमी के कनपटी में गोली लगी। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है कि गोली चलायी गई मारने के लिये, न कि उनको आतंकित करके भगाने के लिये ? साफ-साफ गोली मारने के इरादे से मारी गई। यह मर्डर है, हत्या है और यह

कलंक सरकार पर लगा हुआ है। अभी-अभी कानपुर की २१ हत्यायें सरकार द्वारा की गईं और यह २२ वीं हत्या का दोष भी सरकार पर लगा है। आजाद हिन्दुस्तान में जितनी बार गोली चली और नार्मल समय में जितनी हत्यायें इस सरकार ने की हैं उतनी गुलाम हिन्दुस्तान में नार्मल समय में नहीं हुई थीं। मैं पूछना चाहता हूं क्या बात-बात पर गोली चलाना, हत्या करना, महिलाओं को घायल करना इसी पर देश का विकास होगा? क्या यही तरीका सही है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर समस्या पर हम दलगत भावना से ऊपर उठ कर विचार करें। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय गृह मन्त्री जी ने, जो कमीशन तैनात करने में बड़े तेज मालूम होते हैं, यह अच्छी बात है, अब तक इस बारे में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कोई इनक्वायरी नहीं। वही मैजिस्ट्रेट की इनक्वायरी। उसका फल तो हमें मालूम है क्या होगा। सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा। उसका तरीका हमको भी मालूम है जैसे इनक्वायरी होती है, प्रेस विज्ञप्ति छपती है और कहानी गढ़ी जाती है और लोगों को बचाया जाता है। अंग्रेजों के जमाने की पिटी-पिटाई परम्परा का पालन किया जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि स्वतः स्फूर्त मजदूरों की हड़ताल जो हुई और जो जुल्म सरकार की तरफ से ढाया गया उसकी सही माने में निष्पक्ष और जुडीशियल जांच होनी चाहिये, और इनक्वायरी के पहले मैं चाहूंगा कि जिलाधीश को, कप्तान पुलिस और प्रमुख सम्बन्धित अधिकारियों को फौरन मुअत्तल करके हटाया जाय। हमारी पार्टी के एम० पी० श्री सरजू पांडे और हमारे साथी श्री ऊदल जी मिर्जापुर के जिलाधीश से मिले। वह कहते हैं कि उनको फख्र है कि उन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया। लानत है ऐसे मैजिस्ट्रेट को, धिक्कार है ऐसी समझ को। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग हटाये जायं। जांच के बाद जो दोषी पाये जायं उनको दंड दिया जाय और मजदूरों को मुआवजा दिया जाय तथा जितने केसेज उन पर चल रहे हैं वे वापस लिये जायं। कम से कम इतना करने के बाद जो खून का धब्बा सरकार के माथे पर लगा है उसका कुछ परिमार्जन हो सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन सरकारी पक्ष से करना चाहता हूं कि जो तथ्य प्रस्तावक महोदय श्री झारखंडे राय जी ने रखे हैं उन तथ्यों के सम्बन्ध में अगर हमें सरकारी पक्ष से पहले मालूम हो जाय तो विवाद अधिक उपयोगी होगा, नहीं तो एकांगी विवाद से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आशा है कि आप इनको ऐसा करने की आज्ञा देंगे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसे मैं प्रस्तुत कर सकता हूं लेकिन मेरी प्रार्थना यह रहेगी कि बहस के बाद कुछ उत्तर देने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो रहेगी ही।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, यह दुखद घटना हुई है। रिहन्द बांध में काम चल रहा है कई वर्ष से। वह काम बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। करीब-करीब उस काम की समाप्ति का समय आ रहा है। काफी तेजी से काम हुआ है और ऐसे वक्त पर यह दुर्घटना हुई। घटना का विवरण जो प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है कि ५ जनवरी को तीन मजदूर जो रिट्रेन्च किये गये थे उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अपनी भूख हड़ताल की न तो उन्होंने कोई सूचना दी थी और न इस विषय में पहले से किसी को कोई बात मालूम थी। ५ तारीख से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुछ उनकी मांगें पेश हो गयी थीं जैसे फारेस्ट का एलाउन्स उनको दिया जाय। फारेस्ट के एलाउन्स से कदाचित् उनका मतलब यह था कि वे जंगलों में रहते हैं इसलिये विशेष रूप से उनको एलाउन्स दिया जाय। सिक लीव व ग्रान्ट लीव की

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मांग थी। ग्रान्ट लीव का पता नहीं चलता कि उनका क्या मतलब था? कैजुअल लीव व रेलवे फेयर की मांग थी। इन मांगों को उन्होंने पेश किया। इन मांगों की सूचना देने से पहले ही उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ७ तारीख को इसकी खबर लेबर इंस्पेक्टर के पास पहुंची और लेबर इंस्पेक्टर को यह बतलाया गया कि ये मांगें उनकी ओर से पेश की गयीं। लेबर इंस्पेक्टर वहां पहुंचे। उन्होंने उन मांगों को देखने के बाद यह कहा कि वे इनको कंसिलियेशन बोर्ड के पास भेज देंगे लेकिन बिना किसी सूचना के जो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है उसके लिये उन्होंने राय दी कि वह उचित नहीं है, उसे समाप्त कर दिया जाय। उनकी यह बात भूख हड़ताल करने वालों ने स्वीकार नहीं की। १४ तारीख को यह खबर लगी कि भूख हड़ताल करने वालों की हालत बिगड़ रही है। कलेक्टर को इसकी सूचना मिली और कलेक्टर ने उसी दिन एस० डी० एम० व एस० पी० को पिपरी भेजा जहां रिहन्द डैम बन रहा है ताकि वे देखें कि वहां की हालत बिगड़ने न पाये। १५ तारीख को उन लोगों ने भूख हड़ताल करने वालों की डाक्टरी परीक्षा कराई और उस परीक्षा में यह सूचना मिली कि इनमें से कम से कम एक की हालत बहुत खराब है। यह खबर मिलते ही कि उनमें से एक की हालत बहुत खराब है वहां हड़ताल शुरू हो गयी और कुछ लोगों ने काम की हड़ताल शुरू कर दी और काम करने पर जाने वाले मजदूरों को रोकना भी शुरू किया। एस० डी० एम० और ए० एस० पी० तो वहां १४ तारीख से ही पहुंचे हुये थे और १५ तारीख को इस घटना की खबर कलेक्टर को मिली और फिर कलेक्टर और एस० पी० भी तुरन्त उस स्थान पर पहुंच गये और उन्होंने मजदूरों से बातचीत भी की। यह भी कहा कि किसी तरह का उपद्रव इसमें नहीं होना चाहिये। १६ तारीख का दिन बीता। १७ तारीख को उस व्यक्ति की, जिसकी हालत के बारे में डाक्टरों ने कहा था खराब हो रही है, ज्यादा तबियत खराब हुई क्योंकि उनकी भूख हड़ताल चल रही थी। उनके यहां कहलाया भी गया कि वे अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें, लेकिन वह हड़ताल उन्होंने जारी रखी। यह देख कर कि हालत बहुत खराब हो रही है, जान का खतरा होगा, दफा ३०९ आई० पी० सी० में उनको गिरफ्तार करके उन्होंने जेल ले जाने के लिये आदेश दिया।

उस दिन कुछ लीडर्स ने, जिनका जिक्र अभी माननीय झारखंडे राय जी ने किया, करन भाई और ब्रजभूषण मिश्र जो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर से बातचीत भी की और प्रोजेक्ट मैनेजर ने उनकी कुछ बातें मन्जूर भी कीं। एक तो यह कि जो लोग वापस जाना चाहते होंगे उन्हें रेलवे जर्नी का रिटर्न टिकट हम दे देंगे। दूसरी बात यह कि जो काम करने वाले रिट्रेन्च किये गये हैं उनको एक महीने की नोटिस देंगे और पूरी तनख्वाह एक महीने की देंगे। तीसरी बात उन्होंने यह भी मन्जूर की कि जितने दिन उन्होंने भूख हड़ताल में बिताये या जो लोग स्ट्राइक में भी रहे हैं उनको हाजिर भी मान लेंगे। इन मांगों के स्वीकार करने पर भी बदकिस्मती से एक अच्छा खासा दल मजदूरों का इससे संतुष्ट नहीं हुआ यद्यपि बहुत से मजदूर इससे संतुष्ट भी हुये कि भाई, इतनी बातें मंजूर हो गयी हैं, अब चलो इस झगड़े को खत्म किया जाय। लेकिन कुछ लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया और दूसरी सारी मांगों की मंजूरी के लिये जोर देते हुये एक मांग उन्होंने यह भी पेश करदी कि जिन लोगों को गिरफ्तार करके दफा ३०९ में भेज दिया गया है, यानी वही भूख हड़ताल करने वालों को तुरन्त रिहा किया जाय। यह देख कर कि इस बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं हुआ। डी० एम० ने १८ जनवरी, १९६० को दफा १४४ लगायी और ५ आदमियों से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना, मीटिंग्स का किया जाना या किसी तरह की झूठी खबरों को फैलाना, यह सब दफा १४४ से उन्होंने बैन किया।

अब दफा १४४ का लगना था कि आन्दोलन शुरू हो गया कि दफा १४४ तोड़ी जाय। ३०० मजदूरों ने १८ तारीख को दफा १४४ तोड़ी और वे गिरफ्तार किये गये और ट्रक्स में डाल कर पुलिस आउट-पोस्ट की ओर रवाना किये गये। जैसा कि कदाचित माननीय सदस्यों को ज्ञात हो, रिहन्द में अब तक एक पुलिस आउट-पोस्ट रही है, कोई बड़ा थाना भी वहां नहीं है। इतनी ही सुरक्षा का प्रबन्ध था वहां। तो जब करीब ३०० के ये लोग गिरफ्तार होकर पुलिस

आउट-पोस्ट की ओर ले जाये जा रहे थे उस समय मजदूरों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने रास्ते में उन ट्रक्स को रोका और जो लोग गिरफ्तार हुये थे उन्हें छुड़ाने के लिये घेरा और मांग की कि इनको छोड़ दिया जाय। मैजिस्ट्रेट उस समय थे एस० डी० एम०। थोड़े से आदमी भी उनके साथ थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप रास्ता छोड़ दीजिये, ये लोग गिरफ्तार हैं, दस्तन्दाजी करना कानून के खिलाफ होगा। पर भीड़ ने रास्ता नहीं छोड़ा। इस पर लाठी चार्ज हुआ, और इसके बाद भी जब भीड़ नहीं हटी बल्कि ढेले चलाये---अगर मैं यह कहूंगा तो हमारे झारखंडे राय जी कहेंगे कि यह तो पुराना किस्सा है---बहरहाल, कुछ पुलिस वाले घायल हुये और सर्किल इंस्पेक्टर जो वहां मौजूद थे उनको भी चोट आयी। और यह देख कर कि भीड़ बढ़ रही है और लाठी चार्ज हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, तो मैजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का हुक्म दिया। गोली चली और रिपोर्ट के मुताबिक दो आदमी घायल हुये और भीड़ छट गई। आगे बढ़े और ट्रक थोड़ी दूर भी नहीं पहुंच पाई थी कि दो हजार आदमियों के एक दूसरे गिरोह ने ट्रक को घेरा और इस अवसर पर डी० एम० और एस० पी० वहां पहुंच गये थे। उन्होंने भीड़ को रोका और यह कहा कि हम नाजायज मजमा करार देते हैं इसलिये आप लोग यहां से डिसपर्स हो जाइये। लेकिन डिसपर्स होना तो दूर रहा उन्होंने मांग की कि सबको छोड़ा जाय। ट्रक को घेरा और ढेले चले। एस० पी० के चोट आई, लाठी चार्ज हुआ, टीयर गैस भी चलाई गई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और भीड़ बढ़ने लगी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का हुक्म दिया और गोली चली जिसमें एक आदमी की मृत्यु वहां हुई।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह घटना १८ तारीख की है। इसके बाद २० तारीख से वहां मजदूर काम पर आने लगे। १८ तारीख को कुल गिरफ्तारियां ५५६ हुईं। २० तारीख को फिर ६ आदमी गिरफ्तार हुये। यह सब गिरफ्तारियां दफा १४४ के तोड़ने में हुईं। २२ तारीख को १०० महिलाओं का, जो मजदूर स्त्रियां वहां काम करती थीं, एक जलूस निकला, दफा १४४ तोड़ी और पिकेटिंग करना शुरू किया कि मजदूर काम पर न जायें। लेकिन समझाने-बुझाने से वह वापस चलीं गई। जो लोग गिरफ्तार हुये वह जेल में हैं और ५६२ की गिरफ्तारियों की संख्या हमारे पास है। जिन अधिकारियों के चोटें आयीं उनमें से ३३ पुलिस अफसर हैं इंक्लूडिंग एस० पी० और डी० एम० को ज्यादा नहीं हल्की चोट आई है। इस प्रकार से यह घटना हुई है और दफा १४४ की डिफायेंस की वजह से गिरफ्तारियां करना आवश्यक हुआ और गिरफ्तार किये हुये लोगों को छुड़ाने के लिये भीड़ ने घेरा डाला और उनको छुड़ाने की चेष्टा की। इस पर एक स्थान पर मैजिस्ट्रेट ने और दूसरे पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का हुक्म दिया। एक आदमी मरा है गोली के चलाने में, घायलों की संख्या ४ है और ५६२ गिरफ्तार हैं। जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके मुताबिक यह स्थिति है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंडेराय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसी तरह का मेरा भी कामरोको प्रस्ताव था और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जैसा कि उधर के मित्रों ने टोकते हुए कहा था कि उन्होंने केरल की नृशन्स हत्याओं की चर्चा नहीं की, इसके माने यह नहीं हो गये कि उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया तो यहां की नृशन्स हत्याओं के संबंध में कुछ कहने का उनको अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, तथ्य के संबंध में माननीय झारखंडेराय जी ने और मंत्री जी ने जो विवरण दिया है, वही तथ्य है। जिलाधीश के अतिरिक्त और सभी प्रकार के लोगों से भी विवरण प्राप्त हुए हैं। इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य, श्री कल्याणचन्द, मोहिले भी वहां गये थे और दूसरे लोग भी गये थे। इलाहाबाद के श्री सालिगराम जी जायसवाल गये थे जो पहले यहां के सदस्य थे इलाहाबाद के, वह उस स्थान पर गये थे, उन सब लोगों से जो बातें हुई और सबसे जो जानकारी मिली वह करीब-करीब

[श्री गौरीशंकर राय]

घटना वही है जो कि माननीय झारखंडे राय जी ने सदन के सामने रखी। माननीय मंत्री जी ने उनकी मांगों को बताया तो है लेकिन मुझे दुख है कि उस तरह से नहीं बताया जिस तरह से कि उनकी मांगें थीं। उनकी मांगें ये थीं कि कभी भी मजदूर को एकाएक न निकाला जाय, जब भी कोई रिट्रेन्चमेंट हो तो उनको ३० दिन की नोटिस देनी चाहिये और अगर एकदम निकाल दिया जाय तो उनको घर जाने के लिये रेल का किराया मिलना चाहिये क्योंकि ये मजदूर एक अपने ही प्रकार के मजदूर हैं, मोबाइल लेबर्स हैं। सारे देश के छः सात प्रदेशों के मजदूर उसमें शामिल हैं जो चारों तरफ घूम-घूम कर काम करते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इन मजदूरों का कोई संगठन नहीं है और न इनके संगठन का किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध है। लेकिन जिलाधीश की जो विज्ञप्ति निकली है उसमें कहा है कि कुछ ऐंटी सोसल एलीमेंट्स ने मजदूरों को चढ़ा दिया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी। मैं बड़ा अनुग्रहीत हूंगा अगर वह बता देंगे कि वह ऐंटीसोशल एलीमेंट्स कौन थे। क्या वह आई० एन० टी० यू० सी० के वही भाई थे या दूसरे मित्र थे जो समझौते का प्रयास कर रहे थे। उनकी विज्ञप्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मांगें मान ली गयी थीं और १८ तारीख को उनकी घोषणा हो गई थी। मांगों की घोषणा के बाद मजदूर करीब-करीब शान्त हो गये थे। फिर सभा के समय १८ तारीख को न मालूम वहां के अधिकारियों को क्या आवश्यकता पड़ी की कि उन्होंने १४४ वहां लगा दिया। वह एक पहाड़ी जगह है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा समय लगता है। लेकिन वहां के मजदूरों को निकल जाने तक का अवसर नहीं दिया गया; और १४४ की घोषणा करने के बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि गिरफ्तारी के समय कुछ गड़बड़ी हुई। लेकिन मैं आपको बताता हूं अपने मित्रों से मिली सूचना के आधार पर कि मजदूर स्वयं जब ट्रक वहां ले जाई गई तो उसमें चढ़ गए और ठूस-ठूस कर चढ़ गए, लेकिन फिर भी उनको गोली चलाने की आवश्यकता पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे मित्र ने अभी बताया इसकी जांच होनी चाहिये। हर गोली कांड की जांच की मांग होती है लेकिन वह होती नहीं। मैं आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में भले ही गोली चलाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में जांच हो या न हो उससे ज्यादा गम्भीर प्रश्न यह मैं समझता हूं कि कलेक्टर और एस० पी० यह कहते हैं कि मजदूर डैम पर हमला करने जा रहे थे। यह बड़ा ही घृणित हमला है उन मजदूरों के ऊपर। अगर जूडीशियल एन्क्वायरी से यह साबित हो जाय कि उनकी वृत्ति ऐसी नहीं थी और यह घृणित चार्ज उनके ऊपर जो लगाया गया है वह सही नहीं है तो फिर सरकार सोचे कि ऐसे अफसर जो इतनी जिम्मेदारी के पदों पर आसीन हैं और जो निरीह मजदूरों पर इस प्रकार का चार्ज लगाते हैं वह कहां तक प्रशासन चला सकते हैं। जब कहीं वह गलती कर जाते हैं और फेल हो जाते हैं अपनी ड्यूटीज के पूरा करने में, तो उस फेल्योर और उस गलती को छिपाने के लिये दूसरों को ऐंटी सोशल और सैबोटल कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह पुराना तरीका बहुत गलत है। लेकिन इसी तरह का व्यवहार अपने यहां ऐसे लोगों को एन्करेजमेन्ट देने के लिये हुआ करता है। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि मजदूर डैम पर हमला करने जा रहे थे लेकिन जिलाधीश की विज्ञप्ति में है कि मजदूर डैम को तोड़ने के लिये जा रहे थे और उसको क्षति पहुंचाने जा रहे थे, इसलिये उनको रोकना पड़ा। मंत्री जी के बयान में यह नहीं आया है लेकिन जिलाधीश के स्तर के अधिकारी इस तरह का वक्तव्य दें और वह वक्तव्य अपनी गलती को छिपाने के लिये हो, तो मैं समझता हूं, बड़ी गलत बात है और इसकी जूडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये या इससे भी बड़ी कोई एन्क्वायरी हो तो वह होनी चाहिये। यह समझ में नहीं आता कि जब कहीं गोलीकांड होता है तो उसकी जांच एक मैजिस्ट्रेट करता है। जिस गोली कांड में जिलाधीश स्वयं मौजूद हो और उनके सामने गोली चली हो, उसकी जांच उसका सबार्डिनेट एक डिप्टी कलेक्टर करे, इस जांच का औचित्य मैं नहीं समझ सका। रिहन्द वैसे भी बड़ा बदकिस्मत स्थान है। बिजली

बनी, बिड़ला को गयी, किसान मजदूरों को नहीं मिल सकी। यज्ञ पूरा होने को आया, उसके पहले ही मजदूरों पर गोली चलानी पड़ी और वह भी उस मजदूर पर जो कि निहायत निरीह तरह का मजदूर है। तरह-तरह का लेबर है, न एक तरह की भाषा वह बोलते हैं, न एक तरह का खाना खाते हैं, न एक तरह का उनका रहन-सहन है, सारे देश का मोबाइल मजदूर है। शहर से ९५ मील की दूरी पर रहता है। उसके ऊपर गोली चलाने की आवश्यकता पड़ी। यहां जितनी उनकी मांगें थीं उनको आप देखें। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा उन मांगों को मान लिया गया। तो उनकी उचित मांगें थीं। आपके राज्य की तरफ से जो श्रम विभाग है, जो मजदूरों के वेलफेयर की बातों को देखता है, क्या उसके सामने यह बात नहीं है कि जहां पर इतनी संख्या में मजदूर काम करते हैं उनका वेलफेयर कैसे हो? आपके जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी या दूसरी जगहों पर काम करने वाले मजदूरों के वेलफेयर की बात सरकार को देखना चाहिये। आपका यह मुहकमा क्या करता है? उसको देखना चाहिये कि जितनी फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिये वह मिली है या नहीं।

कहा गया कि टेलीफोन तोड़ने का प्रयास किया गया। कमिश्नर के बयान में कहा गया है कि किसी टेलीफोन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो चार्जेज लगाये जाते हैं उससे सारे देश की शान्ति और व्यवस्था को नुकसान हुआ करता है। जिलाधीश ने कहा कि किसी स्त्री के चोट नहीं लगी। सब लोगों ने बताया कि दूरबीबी जो अपने बच्चे को गोली से बचाने के लिये आगे बढ़ी वह बी० आई० पी० क बंगले पास पड़ी हुई थी और उसके पैर में गोली लगी थी। जिलाधीश से मालूम नहीं हुआ कि वह किस एन्टीसोशल के बहकाने से वह आगे जा रही थी। पुलिस वहां पर अंधाधुन्ध गोली चला रही थी। इस तरह से गोली चलने के बाद आज भी लोग यह समझते हैं कि एक ही आदमी गोली से नहीं मरा बल्कि बहुत से मरे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि कितने आदमी मरे हैं लेकिन नानआफिशियल खबर यह है कि अधिक मरे हैं। इसके बारे में लोग निश्चित नहीं हो सके हैं कि कितने लोग मरे।

अध्यक्ष महोदय, सरकार गोली के मामले को इतने हल्के लेती है कि कुछ समझ मे नहीं आता। माननीय मंत्री जी यहां पर भाषण में कहते हैं कि यह दुर्भाग्य पूर्ण घटना हो गई। उससे उनको बड़ी तकलीफ है और उनको बड़ा दर्द है और बड़ी गंभीर मुद्रा में वह इस बात को कहा करते है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको गम्भीरता और उनकी यह परेशानी उनके किस कार्य से सक्रिय मालूम हो। जब दूसरी जगह केरल में गोली चलती है तो कांग्रेस पार्टी इस बात की आवश्यकता समझती है कि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। जब यहां पर गोली चलती है तो यहां पर बैठने वाले सारे कांग्रेसी भाइयों को इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। केवल झारखंडे राय जी को यहां पर चार्ज किया करते हैं। क्यों नहीं वहां की तरह से यहां पर करते? उनके पदचिन्हों पर चलकर आप यहां की शासन व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गोली-कांड को केवल दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहकर सन्तोष हो जाता है और आप यह समझते हों कि आपकी जिम्मेदारी हो गई तो किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है और इस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं। आपके अफसरों की सफाई के लिये और मजदूरों की सफाई के लिये एक जुडिशियल एन्क्वायरी होना जरूरी है ताकि अगर मजदूरों ने कोई आफेन्सिव कार्य किया है तो उनको दोषी ठहराया जा सके। क्या इस प्रकार के अफसर, जो अनावश्यक बातों में गोली चलाते हैं, शासन में रहने के लायक हैं? यदि किसी अफसर या अधिकारी का इसमें दोष पाया जाय तो उसको सजा मिलनी चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी को सचमुच तकलीफ है और इस

[श्री गौरीशंकर राय]

गोलीकांड को वह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण घटना समझते हैं और उनकी नीयत में ईमानदारी है तो अपने अफसरों की सफाई के लिये एक जुडिशियल इन्क्वायरी आप बैठायें ताकि सारी दुनिया के सामने उसकी सफाई हो सके।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सदन में शायद ही ऐसा कोई सदस्य हो जो इस घटना से या ऐसी घटनाओं से दुखी न होता हो। हमारे प्रदेश में किसी मजदूर के प्रति कोई अत्याचार हो, गोली चले या उनको कोई क्षति पहुंचे इससे सदन को दुख होता है लेकिन जिस राज्य पर शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कभी-कभी दुखद कर्त्तव्य भी पूरे करने पड़ते हैं और यदि हम अपने देश में देखें तो बहुत से ऐसे अवसर आये हैं जब कि किसी भी पार्टी के संचालकों को, किसी के हाथ में राज्य व्यवस्था रही हो, उनको ऐसे कदम उठाने पड़े हैं। केवल ऐसी घटना के घटने के बाद जिस बात की हमको विवेचना करनी है वह यह है कि जिन परिस्थितियों में यह घटना घटी वह क्या थीं और उन परिस्थितियों में जो कदम उठाये गये अधिकारी वर्ग की ओर से वह ठीक थे या नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग एक ऐसी मांग होती जा रही है कि जिससे उसका महत्व ही घट सकता है। मेरा मान्यवर, ऐसा विचार है कि जुडिशियल इंक्वायरी अपना एक स्थान रखती है और उसका महत्व भी है। लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी से पहले हमें प्राइमाफेसी कंडीशन्स पर अवश्य विचार करना चाहिये। १८ जनवरी को यह घटना घटी थी और इस पर आज ९ फरवरी को विचार हो रहा है। मैं तो ऐसी आशा करता था कि इतने लम्बे समय में जिन माननीय सदस्यों ने इस मांग का प्रस्ताव रखा है और जो इस ओर सदन का ध्यान दिलाये हैं उन्होंने अवश्य ऐसी कुछ इंक्वायरी की होगी कि जिससे इस घटना पर विचार करने में हम लोगों को कुछ प्रकाश मिलता। माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि एक ही नहीं, अन्य व्यक्तियों की भी मृत्यु हुई है। यह कहना कि सरकारी पक्ष से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वह सही नहीं है और सही क्या बात है यह हम बता नहीं सकते, उस पर कुछ प्रकाश भी नहीं डाल सकते। यह तरीका कदाचित् ठीक न होगा और ऐसे आधारों पर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करना भी, मैं समझता हूं, उचित न होगा।

मान्यवर, १७ जनवरी की रात को, जैसी कि मैंने जानकारी करने की कोशिश की और पाया, डेढ़ बजे तक नेगोशियेशन्स चलते रहे और डेढ़ बजे उनमें ब्रेक हुआ। दूसरे दिन फिर एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी और यह स्वाभाविक है कि ऐसे अवसर पर जहां की परिस्थिति विषम रही हो, जहां तीन आदमियों की भूख हड़ताल के कारण से हालत खराब हो चुकी हो, उत्तेजना काफी हो सकती थी और कैसी उत्तेजना हो सकती थी उन परिस्थितियों में मीटिंग होने से इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। उस मीटिंग को रोकने का अधिकारी वर्ग ने प्रयत्न किया। यह कहा गया कि जब मांगें मानी जा रही हैं और जैसा अभी मंत्री जी ने बताया ६ मांगों में से करीब दो या तीन तो ऐसी थीं जिनको कंसीड किया जा चुका था और उसके बाद पता नहीं क्यों उनको भी उन्होंने अपने चार्टर आफ डिमांड्स में शामिल कर लिया, लेकिन बाकी जो मांगे थीं उनमें से भी अधिकांश स्वीकृत हो गयी थीं। तो यह आशा की जाती थी कि उसके बाद यह आन्दोलन समाप्त हो जायगा और मजदूरों को संतोष का एक अवसर मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों ने उस स्थिति का फायदा उठाया और मुझ को यह कहने में संकोच नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उस ट्रबुल्ड वाटर में फिश करने के लिये गये और उन्होंने वहां जाकर मजदूरों को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं उठा रखी और उसका फल यह हुआ कि.....

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—रास्ते में आप ने सुन लिया होगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—बहरहाल, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, आप रहे होंगे। कई सज्जन वहां थे। कम्यूनिस्ट पार्टी के लाल बहादुर जी भी वहां थे।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग एक ऐसी मांग हो गयी है कि हर बात में अगर हम बिना प्राइमाफेसी केस को इस्टैब्लिश किये हुए उसकी मांग करने लगेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि उसका महत्व समाप्त हो जायगा। अगर एक औषधि रोज का भोजन बना दी जाय तो उस औषधि का गुण नहीं रह जाता। १४४ धारा जो वहां लगायी गयी उसका उल्लंघन वहां किया गया और उस स्थिति पर काबू पाने के लिये अधिकारी वर्ग को कुछ एक्शन लेना था। ३०० मजदूरों को लारियों में बैठा कर ले जाने का प्रयत्न किया गया और वह अरेस्ट हुए। उसके बाद यत्न यह हुआ कि उन लोगों को रोका गया, लारियों को रोका गया। उस वक्त वहां पर २,००० के करीब आदमी इकट्ठे हो चुके थे जो वहां हिलाक थी, पहाड़ी थी, सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस और डी० एम० वहां से सारी घटना को देख रहे थे। उसके बाद वहां जो भीड़ थी वह उस हिलाक पर चढ़ गयी और स्टोन की वर्षा हुई। उस स्थिति में टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। उससे भी जब स्थिति की रोक नहीं हो सकी तो गोली भी चली। तो देखना यह होगा कि उस गोली में कितने आदमियों को चोटें लगीं। प्रत्यक्ष है कि एक आदमी मरा। उनके कहां चोट लगी और उसमें कहाँ इस बात की गन्ध आती है कि कोई ऐसा फोर्स इस्तेमाल किया गया जो आवश्यकता से ज्यादा था इस पर प्रकाश डालने की, माननीय सदस्य ने, जिन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा, प्रयत्न नहीं किया।

श्रीमन् मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य व्यवस्था में कभी न कभी ऐसी स्थिति जरूर आयेगी जबकि लॉ ऐंड आर्डर मेन्टेन करने के लिए कोई ऐसे दुखद स्टेप लेने पड़ेंगे, जैसा कि अभी लिया गया। अगर राजनीतिक पार्टियां उस वक्त संतुलन न करके, संयम न करके उस ट्रबुल्ड वाटर्स में फिश करें और उस घटना का राजनीतिक एड्स के लिए लाभ उठावें तो वहां पर कुछ दिक्कत और परेशानी होनी स्वाभाविक है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अब तक इस घटना पर प्रकाश पड़ा और जितनी और सूत्रों से मुझे जानकारी हुई, मैं समझता हूं कि यह घटना दुखद होते हुये भी कदाचित् वहां पर पुलिस अधिकारियों ने वह किया जो उनको करना नितान्त आवश्यक हो गया और जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हो रही है वह भी उस पर प्रकाश डालेगी। अगर यह समझा जाय कि जुडीशियल इंक्वायरी से ही सारी बातों का हल हो सकता है, अगर यह समझा जाय कि एक मैजिस्ट्रेट जो उतना ही पढ़ा-लिखा होता है उसकी फाइंडिंग्स कोई अर्थ ही नहीं रखती। तो मैं चाहूंगा कि यह ठीक नहीं होगा।

श्री उग्रसेन—जुडीशियल इंक्वायरी और मैजिस्टीरियल इंक्वायरी का अन्तर हम खूब समझते हैं, उस पर कृपया भाष्य न करें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं समझता हूं कि अगर आप जुडीशियल इंक्वायरी का वास्तव में महत्व समझते होते, तो बार-बार जो उसकी मांग होती है वह न करते क्योंकि उससे उसका महत्व घटता है बढ़ता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस स्थिति में जो स्टेप लेने अनिवार्य थे वही लिये गये। हमें उन लोगों को भी नहीं भूल जाना चाहिए जिनको उस स्थिति का मुकाबला करना होता है। आखिर पुलिस सुपरिटेंन्डेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी मनुष्य हैं, यद्यपि कर्मचारी हैं। उनको भी अपने कार्य को सफलतापूर्वक चलाना है। अगर हम उनके कार्य को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से न देखें कि किस परिस्थिति में उन्होंने क्या कार्य किया तो कदाचित् वे भी अपने कार्य को एफिशियेंसी से और सफलता से न चला सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा नागरिकों पर गोली चलाया जाना और पुलिस की गोली से एक नागरिक की हत्या का होना और मरना स्वयं

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

अपने में गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न के सम्बन्ध में पार्टियों से परे उठकर विचार होना चाहिए। यह प्रश्न दलों का नहीं है, मानवता का है, मनुष्य के जीवन के अधिकार का और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय झारखंडे राय जी ने प्रस्ताव को पेश करते हुए अपने भाषण में यह कहा कि इस प्रश्न पर पार्टी से परे उठकर विचार होना चाहिए। मुझे दुःख है कि उस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया।

जो विवाद हो रहा है वह मेरी दृष्टि में पार्टी से परे उठ कर नहीं है। पहली बात तो इस सम्बन्ध में यह जरूरी है कि जो बातें हमारे सामने रखी गयीं---दोनों ओर से---प्रस्तावक महोदय ने और सरकारी पक्ष की ओर से उनमें सबसे पहली बात यह है कि जो बातें सरकारी पक्ष की ओर से कही गयीं, तथा जो बातें प्रस्तावक महोदय ने कहीं तथा जो कुछ वे कह रहे हैं उन सब की जांच उन्होंने स्वयं कर ली है या नहीं, और अपने निजी ज्ञान के आधार पर ही वे यह सब कह रहे हैं? दोनों ओर से केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं हैं और इसीलिये हम एक जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग कर रहे हैं। जुडीशियल इन्क्वायरी की दृष्टि से उसका कोई जुडीशियल महत्व नहीं है। सुनी-सुनायी बात का, दूसरों द्वारा कही गयी बात का, कोई महत्व नहीं हुआ करता है, उसके कोई मानी नहीं होते। लेकिन हमारी एक और कठिनाई यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि जो बातें यहां पर कही गयीं है उनमें किस तरफ की बातें सही हैं और किस तरफ की गलत हैं। माननीय झारखंडे राय जी के भाषण के पश्चात्, मेरी प्रार्थना पर माननीय गृह मन्त्री जी ने एक वक्तव्य दिया और अपने उस वक्तव्य में उन्होंने माननीय झारखंडे राय जी की सभी बातों का खंडन नहीं किया, जो नई आवश्यक बातें थीं उनको नहीं बताया। उदाहरण के लिये माननीय झारखंडे राय जी ने एक आरोप यह लगाया था कि दफा १४४ का एलान करीब ३ बजे किया गया और केवल एक घंटा पूर्व उसको लगाया गया। इस संबंध में सदन की जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या यह सही है कि वह एक घंटा बाद ही लागू की जा रही थी और एक घंटा पूर्व अपना काम छोड़ कर लोगों के घर जाने का समय नहीं था और उनको रास्ते चलत, बिना किसी सूचना के, ४ बजे ही एक टेक्नीकल बात को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया? क्या यह सही है कि सरकार को, जैसा कि माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा, यह सूचना मिली कि धारा १४४ को तोड़ने का आन्दोलन किया गया और यह कहा गया कि दफा १४४ को तोड़ा जाय। इस संबंध में उन्होंने यह नहीं बताया कि यह बात उन्होंने १४४ तोड़ने की कैसे कही? क्या इस बात की जांच की गयी कि कौन आन्दोलन कर रहा था और कितने लोग वहां पर आन्दोलन करने के लिये इकट्ठे हुये थे? आरोप यह है कि लोग जा रहे थे और उनको इसकी सूचना तक नहीं थी। तो यह बातें ऐसी हैं जिनका निर्णय जनता कैसे करे? अपनी-अपनी बात को लेकर हम लोग यह समझें कि सरकार झूठ बोलती है या कुछ लोग यह समझें कि विरोधी दल सरकार को बदनाम करने के लिये झूठ बोलते हैं और यह झूठे आरोप लगा रहे हैं। आखिर इसका निर्णय कैसे हो? कौन-सा वह मार्ग है जिससे हम सही बात की जानकारी कर सकें? कैसे जनता समझ सके कि कौन-सी बात गलत है और कौन-सी सही है? माननीय गृह मन्त्री जी मुझे क्षमा करें यह कहने के लिये कि सरकार खुद अंधेरे में रहती है, उसको खुद सही जानकारी नहीं होती।

मानव जीवन का एक मूल्य हुआ करता है और आज ऐसे युग में जबकि सारा संसार इस ओर आ रहा है कि हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़ कर लोग अहिंसा और शान्ति का मार्ग अपनायें, एक ऐसे युग में जबकि हमारी भारतीय सरकार विदेशी आक्रमण के संबंध में भी शान्ति और अहिंसा का मार्ग अपनाये, हमारी भूमि पर हजारों मील तक विदेशी कब्जा भी हो जाय और तब भी हम शान्ति और अहिंसा को ही सामने रखें, तो ऐसे समय में अपने देश के भीतर जनता के किसी भी वर्ग के ऊपर गोली चलाये जाने का अधिकार निन्दनीय है। यह मांग किसी विरोधी दल की नहीं है बल्कि कांग्रेस के एक महामन्त्री श्री श्रीमन् नारायण की है। उनका यह कहना है

कि पुलिस के गोली चलाने के अधिकार बहुत सीमित होने चाहिये और अगर कोई गोली चलानी भी पड़े तो उसकी जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये यह श्री श्रीमन् नारायण का कहना है। सरकार को इस मांग का समर्थन करना चाहिये। माननीय गृह मंत्री महोदय ने यह बताया कि कलेक्टर को चोट आई, एस० डी० एम० के चोट आई, पर उन्होंने यह नहीं बतलाया कि कहां पर चोट आई, किस तरह की चोट आई, उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ ? डाक्टरों की क्या राय थी, उनकी क्या रिपोर्ट है ? यह कुछ नहीं बताया। जब तक यह न मालूम हो जाय तब तक यह कैसे माना जाय कि चोटें आईं। चोट मुमकिन है कि मानसिक हो। मजदूरों की यह हिम्मत कि वह दफा १४४ तोड़ कर आगे चले जायं ? तो दोनों तरफ से यह बात सही है। अगर यह आरोप सही हो कि मजदूर डैम तोड़ने के लिये जा रहे थे तो मैं उनमें से हूं और साहस के साथ कह सकता हूं कि ऐसे मौके पर सरकार गोली चलाये और मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका सबूत क्या है कि मजदूर डैम तोड़ने के लिये जाना चाहते थे। केवल सरकार के कहने से विश्वास कर लें कि वे डैम भंग करने के लिये जाना चाहते थे तो हम विरोधियों के यह कहने को कि कलेक्टर महोदय ने और पुलिस ने अपना अधिकार जमाने के लिये हत्या की, दोनों पर विश्वास किया जाना चाहिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस बात की आवश्यकता है कि जुडीशियल इंक्वायरी हो। इससे उसका महत्व नहीं घटेगा। गोलीकांड से जहां मृत्यु हो जायगी उसकी इंक्वायरी होनी ही चाहिये, इस बात की जांच करने के लिये कि पुलिस ने अपने डिस्क्रीशन का मिसयूज तो नहीं किया।

मुझे दुःख है कि अग्रवाल जी ने ऐसी बात कही कि मैजिस्टीरियल इंक्वायरी से काम क्यों नहीं चल सकता ? पहले वह स्वयं मानेंगे कि मैजिस्टीरियल और जुडीशियल, दोनों इंक्वायरीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैजिस्ट्रेट जब स्वयं गोली चलाने का हुक्म देने वाला हो और उसी से इंक्वायरी कराई जाय तब तो फिर हर डाकू को यह अधिकार होना चाहिये कि वह पहले यह इंक्वायरी कर ले कि उसने डाका डाला या नहीं। यह एक ऐसी बात है जिसमें मैं समझता हूं कि कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। मैं इस बात को दल से परे मानता हूं और मैं यह भी कहता हूं कि अगर यह साबित हो जाय जुडीशियल इंक्वायरी से कि मजदूर डैम तोड़ने के लिये जा रहे थे तो मैं इस बात का समर्थन करूंगा और वहां पर गोली का चलाया जाना ठीक था लेकिन यह साबित तो हो। आखिर सरकार को, इस बात का जुडीशियल इंक्वायरी के द्वारा साबित कराने में नुक्सान क्या है जो वह इस बात से इनकार करती है।

मैं आशा करता हूं कि सिद्धान्ततः पुलिस द्वारा गोली चलाने के बारे में पुलिस कमीशन में यह बात आयेगी कि पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में क्या कोड आफ कान्डक्ट होना चाहिये ? कुछ एक सीमा अवश्य होनी चाहिये कि ऐसे ही अवसरों पर गोली पुलिस चला सकती है, और जब गोली चले तब जांच होनी चाहिये कि उसने गोली सीमा के भीतर चलाई है या नहीं। अभी अग्रवाल जी ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि एक्सेसिव फोर्स यूज किया गया, किसी ने यह आरोप नहीं लगाया। मैं कहता हूं कि यह अच्छा किया क्योंकि गलत आरोप लगाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर सरकार को पुलिस की सफाई देनी है तो सरकार को चाहिये कि जुडीशियल इंक्वायरी से यह साबित करे कि एक्सेसिव फोर्स नहीं इस्तेमाल किया गया, उन सीमाओं के भीतर काम हुआ। एक बात मैं यह मानता हूं कि जनता में पुलिस के विरुद्ध एक वातावरण होता है, जनता आमतौर पर यह समझती है कि पुलिस की गलती होगी इसलिये सत्याधारियों को अपने अधिकारियों की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि जुडीशियल इंक्वायरी के द्वारा यह साबित करें कि एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज किया गया, विवश होकर के गोली चलाई गई।

यदि मैं गलती नहीं करता हूं, मैंने प्रश्नोत्तर काल में कुछ महीने पहले गृह मन्त्री से यह प्रार्थना की थी कि ऐसे कांडों पर अगर किसी कारणवश जुडीशियल इंक्वायरी न भी करा सकें तो कम से कम कोई इंक्वायरी तो होनी ही चाहिये लेकिन उसमें कमिश्नर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिये और वह कमिश्नर भी दूसरे डिवीजन का होना चाहिये जिस पर कि जनता को

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

थोड़ा बहुत विश्वास हो। जनता यह तो समझ सके कि जांच की गई और सच्ची घटना है क्या? गृह मन्त्री जी ने तो कहा नहीं है कि उन्होंने कोई जांच कराई। मेरी मांग है कि जुडीशियल इन्क्वायरी जो सरकार के ही हित में है, कराई जाय और अगर इसे सरकार ठीक नहीं समझती है तो उस डिवीजन के या दूसरे डिवीजन के कमिश्नर से ही इसकी जांच करा के सदन के सामने रिपोर्ट रखे ताकि हम यह देख सकें कि पुलिस ने गोली सचमुच शान्ति व्यवस्था और डैम की सुरक्षा के लिये चलाई। मैं यह नहीं कहता हूं कि मेरे वाक्य को सरकार ब्रह्म वाक्य मान ले। इसी तरह सरकार को भी यह आशा नहीं करनी चाहिये कि हम उसके वाक्य को ब्रह्म वाक्य मान लें। इसलिये सरकार की ही कीर्ति के लिये इस मामले की कम से कम कमिश्नर से जांच होनी चाहिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मान्यवर, रिहन्द बांध की योजना हमारे प्रदेश के लिये गौरव है और वहां लाखों आदमियों के जीवन-भरण का प्रबन्ध हो रहा है। ऐसी जगह यह दुर्घटना हो जाय, यह बड़े दुःख की बात है जैसा पालीवाल जी ने कहा। जब ऐसी दुर्घटना ऐसे समय हो जबकि डैम की पूर्ति होने जा रही है, तो इसके कारणों में हमें जाना चाहिये। इतना ही नहीं, आज प्रवृत्ति यह है कि जहां निर्माण के कार्य हो रहे हों, समाज में विधि-विधान का कोई आदर नहीं रह गया हो, विधि को बनाने वाले ही बाहर जाकर उसे तोड़ने की तैयारी करें, तो ये सब सोचने की बातें हैं। यह भी सोचना है कि ऐसे समय में सुरक्षा की जिम्मेदारी वालों का क्या कर्त्तव्य है। वे गोली चलावें या अहिंसा का वृत्त लेकर चुपचाप बैठ जावें? काश्मीर में हमला हो, चीन भारत की सीमा पर आ जाय, तो यह संभव नहीं है कि हम अहिंसा का पाठ पढ़ावें। चाहे केरेल की सरकार हो या थानू पिल्ले की सरकार हो, सभी को इसकी व्यवस्था करनी होगी और यह सेना या पुलिस के द्वारा ही हो सकती है। यहां विरोधी पक्ष के लोगों ने माना कि वहां कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अखबार में हमारे कम्युनिस्ट भाइयों का वक्तव्य देखा गया कि उन्होंने जांच की और मजदूरों को बधाई दी थी। मजदूर मांग करते हैं कि १४४ धारा क्यों लगाई जाती है और मोटर को घेर लेते हैं। वहां केवल पुलिस आउट पोस्ट ही है। वहां विधिवत् घोषणा होने पर भी कानून को लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर यह घटना रिहन्द बांध पर हो सकती है तो कल को चुर्क में भी हो सकती है। अगर निर्माण के कार्यों में भी लोगों की यह प्रवृत्ति होने लगी तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं है।

जहां तक इस दुर्घटना का प्रश्न है, सदन को तथा समाज को जानने का अधिकार है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है लेकिन साथ ही साथ अगर इस तरह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला जिससे निर्माण के कार्यों में बाधा डाली जा सके, तो मैं समझता हूं कि देश का कल्याण सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां के जो जिलाधीश, कलेक्टर, एस० पी० या प्रशासक हैं उनके दिल में मजदूरों के लिये कसक नहीं है? क्या जो हजारों मजदूर वहां पर केरल और विन्ध्य प्रदेश से आकर ६ करोड़ जनता की भलाई के लिये काम कर रहे हैं उनके साथ वहां के कलेक्टर, पुलिस तथा जनता की सहानुभूति नहीं है? ऐसा नहीं है। जब ऐसा कार्य करोड़ों जनता के कल्याण के लिये हो रहा है तो मैं भी जनता हूं कि माननीय गृह मंत्री स्वयं उसकी जांच करें या किसी विश्वस्त सूत्र से उस दुर्घटना की जांच करावें जिससे स्थिति पर पूरा प्रकाश पड़ सके। लेकिन साथ ही जहां जुडीशियल इन्क्वायरी हो और जहां हजारों मजदूर ६ करोड़ आदमियों के जीवन-मरण की समस्या को हल करने के लिये काम कर रहे हों वहां अगर एक-दो मजदूर के मरने पर इतना होहल्ला हो तो इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि यह इस बात की तरफ संकेत करता है जिससे आगे चल कर कोई भी निर्माण का कार्य नहीं हो सकेगा। पार्टी लाइन को छोड़ कर संयुक्त मोर्चा बना कर ही इस तरह के काम किये जा सकते हैं नहीं तो इससे काफी क्षति हो सकती है।

इसलिये आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं और मेरा सुझाव यह है कि जहां तक मजदूरों के साथ सहानुभूति की बात है उससे हम भी सहमत हैं इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। जहां तक उसे मुआवजा देने की बात है उसमें भी दो रायें नहीं हो सकती हैं लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के अन्दर निर्माण की योजनाओं को चलाने का प्रश्न है, अगर वहां इस तरह का रास्ता मजदूरों द्वारा अख्तियार किया जाता है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आगे कोई भी निर्माण-कार्य चलाना सम्भव नहीं हो सकेगा। अगर गरीबी को दूर करने के लिये देश में योजनायें चलायी जाती हैं और उसमें इस तरह से बाधा डाली जाती है तो उसको किसी भी हालत में बर्दास्त नहीं किया जा सकता और न किया जाना चाहिये। किसी भी सरकारी कर्मचारी पर, किसी भी प्रशासकीय अधिकारी पर गलत आरोप लगा कर उसे हतोत्साह करने तथा उस पर अविश्वास करने से कोई भी काम नहीं चल सकता है। क्योंकि आखिर कोई भी काम जो होता है वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही कराया जाता है। चाहे किसी भी दल की सरकार हो लेकिन सरकारी कर्मचारी ही उसकी योजना को चलाते हैं और अगर उनके ऊपर ही अविश्वास किया जायगा तो फिर कैसे काम चल सकेगा। हो सकता है कि प्रोजेक्ट आफिसर की कुछ गलती रही हो जैसा कि संकेत मिलता है कि उसे पहले से नोटिस देना चाहिये था या एक महीना का उसे बेतन ही दे देते, जहां लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं वहां थोड़े से रुपये की क्या बात थी . . . . .

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वे जरा रुक-रुक कर बोलें क्योंकि हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि यह उनकी पगड़ी की वजह से है, वरना अगर वे अपने कान खोले रहें तो जरूर सुनाई देगा।

मैं कह रहा था कि जहां निर्माण का काम हो रहा हो वहां पर पार्टी पालिटिक्स को छोड़ कर सब को उसमें सहयोग देना चाहिये ताकि सरकार उसको जल्द से जल्द पूरा करा सके। पालीवाल जी ने ठीक ही कहा कि अगर मजदूरों ने बांध को तोड़ने का प्रयास किया हो तो उसमें १०, २०, ५० मजदूरों का मारा जाना कोई कठिन नहीं है। लेकिन अगर १०,२०,५० आदमी होते तो बात दूसरी थी लेकिन दो हजार आदमी कहां जा रहे थे? जब वे कहने से नहीं मान रहे थे तो उनका इरादा क्या था? भीड़ की एक साइकोलाजी होती है। वे दो हजार आदमी किससे लड़ते? अधिकारी भी वहां गिने-गिनाये थे। अतः यह प्रतीत होता है कि उनकी कोई न कोई योजना थी चाहे किसी बात से क्षुब्ध होकर ही क्यों न हो। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में निवेदन करता हूं कि जो भी तथ्य उनके पास हों उनको वे रखें और उन पर प्रकाश डालें और यदि आवश्यकता हो अधिक तथ्यों को मालूम करने की, तो उनको भी वे मंगायें। सदन के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर जरा सोचें और विचार करें कि वहां के कर्मचारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप करना कहां तक उचित है? ऐसा करना इस बड़ी योजना के लिये और जो आगे आने वाली योजनायें हैं, उनके प्रति बड़े दुर्भावना की बात होगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मुझे ट्रेजरी बेंचेज के एक सम्मानित सदस्य को सुनने का मौका मिला। इसके पूर्व सम्मानित सदस्यों के भाषण मैं न सुन सका। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर उसके पास तनिक भी न्याय बुद्धि है तो अविलम्ब ही उसको न्यायिक जांच बैठा देना चाहिये। मैं १९ तारीख को वाराणसी में था। १८ तारीख की शाम को वहां मजदूरों के ऊपर निरंकुश गोली वर्षा हुई, जिसमें बच्चनसिंह नाम के मजदूर की मृत्यु हुई। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हमें बहुत ही बेचैनी होती है। हमें ऐसा लगा कि रामबचन सिंह जी जो असेम्बली के हमारे उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनकी मृत्यु हो गयी। उस संबंध में हमने छानबीन की तो

[श्री राजनारायण]

मालूम हुआ कि बच्चन सिंह नाम का मजदूर मारा गया है पुलिस की गोली से । माननीय सम्पूर्णानन्द जी से हमारी १९ तारीख को बातचीत हुई । उन्होंने कहा कि कमिश्नर वहां गये हुए हैं उनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिये । गृहमंत्री जी प्रदेश से बाहर थे । २३ तारीख को गृहमंत्री जी आये, जिस दिन हमने दफा १४४ जो गैर कानूनी ढंग से लगाई गयी थी शांति की स्थापना के लिये तोड़ी थी । गृहमंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई और हमने बताया कि वहां पर ऐसा लगता है कि जिला के कर्मचारी और पुलिस के अधिकारी उस हिन्दोस्तान कन्स्ट्रक्सन कम्पनी के मातहत हैं । वे जितनी उनकी बात मानते हैं उतनी सरकार की बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि गोली किसने चलाई ? क्यों चलाई गयी ? देवरिया के एक माननीय सदस्य ने बताया कि देश की गरीबी को मिटाने के लिये जो योजनायें बनायी जा रही हैं उनमें वह बाधा डाल रहे थे । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे मजदूर गरीब नहीं हैं ? उनमें से कोई मद्रास से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है तो कोई बम्बई से आया है । क्या वहां पर कोई कम्पनी ऐक्ट लागू है जो वहां के मजदूरों के हित की रक्षा करे ? किस व्यवस्था के मातहत वहां के मजदूर न्याय पा सकते हैं ? आपका कानून तो ठेकेदार का ही पक्ष लेता है और जनता पर उसके द्वारा गोली वर्षा होती है । मुख्य मंत्री जी से कहा तो उन्होंने कह दिया कि उसका संबंध तो ठेकेदार से है । कमलापति जी कहते हैं कि वहां की गोलीवर्षा से उनका क्या संबंध है ? हमने फिर गिरधारी लाल जी का दरवाजा खटखटाया । वे भी कहते हैं कि उससे उनका क्या संबंध है, हमने तो ठेका दे दिया । लेकिन ठेका कैसे दिया गया ? किसने दिया ? क्यों दिया ? क्या वहां पर ठेकेदार को सरकार ने बिना किसी कायदे और कानून के काम करने की छूट दे रखी है ? और यह भी छूट दे रखी है कि वह आम जनता पर, वहां के मजदूरों पर गोली वर्षा कराये और सरकार बैठी तमाशा देखती रही ? जब सरकार से जांच समिति बैठाने को कहा जाता है तो सरकार जवाब देती है कि कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाने दीजिये । दफा १४४ वहां क्यों लगायी गयी ? उसकी घोषणा कब हुई ? उस समय हुई जब कर्ण भाई के साथ मजदूर शांतिपूर्वक विचार कर रहे थे ।

श्रीमन्, वहां के मजदूरों की मांग क्या है ? वह कहते हैं कि हम आये हैं हजारों मील दूर से हमें बिना एक मास की सूचना के निकालते हैं, हमें बिना एक मास का वेतन दिये निकाला जाता है, ऐसी हालत में हम कहां रहें ? हमारा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं । इस तरह से मजदूरों ने तीन मांगों पर जोर दिया कि निकालने से पहले एक मास की सूचना या एक मास का वेतन हमें दिया जाय और घर तक का रेल का भाड़ा दिया जाय, यही उन की तीन मुख्य मांगें थीं । १५–१६ की रात को जिन मजदूरों को जबरदस्ती जेल में बन्द किया गया, जब कि वे भूखहड़ताल पर थे । न मालूम उनको कहां ले जाया गया जब कि यूनियन के कार्यकर्त्ता आये तो कुछ नहीं बताया गया । जब यूनियन के कार्यकर्त्ताओं को पता चला कि वे लोग जेल में बन्द हैं तो मिलने नहीं दिया गया । फिर बाद में वे किसी प्रकार मिले और जब वह मिले तो पता चला कि वह छोड़ दिये गये । जब शान्ति से समझौते की बात हो रही थी और जब मालिकों ने समझा कि कर्ण भाई भी मजदूरों के जायज समर्थन में शायद वक्तव्य दे देंगे तो उन्होंने सोचा कि अब कोई बावैला खड़ा करना चाहिये । उसके बाद यकायक दफा १४४ की कार्रवाई सामने आई, उस समय मजदूरों का सामूहिक भोजन बना तैयार था लेकिन किसी मजदूर ने खाना तक नहीं खाया और जिस समय मजदूर वह घोषणा सुनकर अपने-अपने क्वार्टर्स वापस जा रहे थे उस समय उन पर गोली चलाई गई, यहां तक कि एक महिला जो अपने बच्चे को पकड़ने दरवाजे तक आई थी उसके पैर में भी गोली लगी । 'आज' जो वाराणसी का एक दैनिक पत्र है उसने लिखा है कि हम साहस के साथ कह सकते हैं कि जिलाधीश की विज्ञप्ति बिल्कुल झूठी है और भ्रममूलक है, यह बात बिलकुल ठीक है कि एक महिला जो अपने बच्चे को जो खेल रहा था लेने दरवाजे तक आई तो उस के पैर में खटाक से गोली लगी । पं० दीपनारायणमणि

त्रिपाठी कहते हैं, धन्य है इन त्रिपाठी बन्धुओं को, यदि ऐसे लोग रहेंगे तो गरीबी रहेगी। विरोधी पक्ष चाहता है कि देश से गरीबी हटे और जो उस को हटाने में बाधक हैं वे भी हटें। इन दीपनारायणमणि त्रिपाठी जैसे लोगों के होते वह रहेगी और अराजकता और अहिंसा अगर फैलेगी तो वह कांग्रेस पार्टी की नीति से फैलेगी, वह हमारी वजह से नहीं फैलेगी। मैं तो उस का एक भुग्तभोगी हूं। मैं तो कांग्रेस पार्टी की रिजीम के हर साल का हिसाब बता सकता हूं, कब हमारे से हिंसा का व्यवहार नहीं किया गया और कब हमने उस का जवाब अहिंसा से नहीं दिया। आज भी ३ मास की सजा और १ हजार रुपए जुरमाने की सजा और न देने पर एक मास की सख्त सजा और यह सब भुगत कर जमानत पर आया हूं . . . . .

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर है कि क्या किसी माननीय सदस्य को सदन में व्यक्तिगत आक्षेप करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह कहना कि हिंसा करते हैं, यह व्यक्तिगत अक्षेप है. . . .

श्री राजनारायण—आप अभी केबिनेट में नहीं लिये जाने वाले हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—यह कहना उचित नहीं है, इसको आप वापस लें।

श्री राजनारायण—मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं और महसूस करता हूं कि यह उचित नहीं है, लेकिन हम उनको कैसे जवाब दें यह हमारी मुश्किल है. . . .

श्री अध्यक्ष—शान्ति से।

श्री राजनारायण—कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी पैदा हो गई है और वह बड़े उत्साहित हैं कि केरल में हमें सफलता मिल गई, लेकिन वहां कम्युनिस्टों की देशविरोधी नीति के पाप ने उनको हराया है और उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन उससे भी अधिक पापी यह कांग्रेस सरकार है, उनके सामने भी नतीजा आयेगा। वह जितनी जल्दी आ जाय उतना ही देश का भला जल्दी होगा।

मैं कह रहा था कि जब वहां मजदूरों का संविधान के अनुसार प्रदत्त बोलने का हक, सभा करने का हक छीना गया तो वहां यह हालत पैदा हुई। जब वह शान्ति के साथ अपने हक मांगते थे तो क्या सरकार की तरफ से कोई कह सकता है कि मजदूरों के पास कौन से हथियार थे, कौन से ऐसे साधन थे कि जिनसे मजदूर उन कांस्ट्रक्शन्स की योजनाओं को ढा सकते थे ? कोई नहीं थे। मुझे जानकारी है, जो साथी जेल में थे और जो वहां की घटनाओं की जानकारी रखते थे उन से मालूम हुआ कि वहां के जो ठेकेदार हैं उन्होंने वहां के पुलिस अधिकारियों के पास जाकर वहां के जिलाधिकारियों को अपने वश में किया और जिस तरीके से भी मजदूरों को दबाते बना उन्हें दबाने की नापाक कोशिश की। उसका फल यह हुआ कि निरंकुशता के साथ निहत्थे लोगों पर गोली चली जो कि अपने पेट के लिये, रोटी कमाने के लिये हजारों मीलों से आकर काम करते थे। वही लोग देश की गरीबी मिटायेंगे। हम जो यहां विधान सभा में बैठते हैं वह नहीं मिटायेंगे। देश की गरीबी वह मिटायेंगे जो खेतों में काम करते हैं, जो योजनाओं में काम कर रहे हैं, जो अपने खून का पसीना कर रहे हैं, जिनके बच्चे रोटी के लिये मर रहे हैं और सरकार उन पर गोली चलाती है।

श्रीमन्, हमारे पास चिट्ठी है श्री विजयबहादुर सिंह वकील की। उन्होंने लिखा है कि जेल में जो लोग बन्द किये गये हैं उनके रिश्तेदारों तक को मिलने की इजाजत नहीं मिलती है। रतनसिंह जो बच्चनसिंह का भाई है उसने कहा कि हमें लाश दो तो उसे लाश तक नहीं दी गई। इससे बढ़कर बेशर्मी और बेहयाई क्या होगी कि भाई को भाई की लाश नहीं दी जाती है।

[श्री राजनारायण]

१९ तारीख को बताया गया कि वह लोग मालिकों के भवन को गिराने के लिये जा रहे थे । इस सरकार का यह रवैया है कि अगर यूनिवर्सिटी हो तो विद्यार्थी अनुशासनहीन, जनता का मामला हो तो जनता कर्त्तव्यहीन और मजदूरों का मामला हो तो मजदूर अनुशासनहीन और देश के प्रति विश्वासघात करने वाले । इस समय देश के हितचिन्तक हैं तो केवल कांग्रेस पार्टी के एक गुट के साथी ही हैं, ऐसा वह समझते हैं ।

श्रीमन्, जब ऐसी गम्भीर स्थिति है कि भाई को भाई की लाश तक नहीं दी गई और वहां के समाचार-पत्र भी इस बात से सहमत हैं कि गोली चलाना अनावश्यक था और सारी बातों को शान्ति के साथ सुलझाया जा सकता था तो न्यायिक जांच समिति क्यों न बैठाई जाय ? अगर आस्था है संविधान के लिये, अगर आस्था है कानून के लिये, शान्ति और व्यवस्था के लिये तो मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि सरकार को न्यायिक समिति बैठानी चाहिये । बिना हमारे कहे बैठा देनी चाहिये थी तब तो सरकार के लिये शोभा की बात थी । अब भी बैठा दें तो दिन भर का भूला भटका शाम को भी घर आ जाय तो भूला नहीं कहा जाता । इसलिये सरकार इस मांग को मान ले और वहां के मजदूरों में विश्वास पैदा करे कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जायगा और उनकी जायज मांगों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराया जाय । जिस निरंकुश ढंग से गोली चली है उसकी न्यायिक जांच करा के सरकार न्याय का रास्ता साफ करे ।

*श्री अजीज इमाम (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बहुत से साथियों की तकरीरें सुनीं । मैं माननीय झारखंडे राय जी के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं । इससे पहले कि मैं माननीय झारखंडे राय जी की बातों के संबंध में कुछ कहूं, मैं माननीय पालीवाल जी की एक बात के सिलसिले में बता देना चाहता हूं । उन्होंने यह फरमाया कि अभी तक कोई ऐसा आदमी इस सदन में खड़ा होकर नहीं बोला है जो मौके पर पहुंचा हो और जिसने मौके पर जांच की हो. . . .

श्री अध्यक्ष—आप आगे आ जायं तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अजीज इमाम—मैं इस सदन को यह बतलाने के लिये खड़ा हुआ हूं कि मैं उस जिले का रहने वाला हूं और मैं मौके पर पहुंचा था । मैं २१ तारीख को मौके पर गया । २० को अपनी कांस्टीट्युएंसी के दौरे से जब लौटा तो मुझे मालूम हुआ कि रिहन्द बांध पर गोली चल गई है जिससे एक आदमी मर गया है । तो मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊं और २१ तारीख को जब मौके पर जाने की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त प्रान्त से भी हमारी आई० एन० टी० यू० सी० के श्री राजाराम पांडेय हमारे यहां आये और माननीय अमरेशचन्द्र पांडेय जी जो एम० एल० ए० हैं हम तीनों आदमी मौके पर गये । २१ तारीख को मौके पर पहुंच कर बजाय इसके कि मैं दुनिया भर से बात करता, मैं मजदूर कालोनी में चला गया और तीन-चार दिन उन्हीं के साथ रहा और तीनों आदमी उस जगह पर जा करके, मजदूर कालोनी में जा करके, मजदूरों से बातें कीं, उनकी औरतों से पूछताछ की और हकीकत जानने की कोशिश की ।

अब दो-तीन बातें हैं—एक तो यह कहा जाता है कि आई० एन० टी० यू० सी० की कोई यूनियन वहां नहीं थी । मैं इसको भी साफ कर देना चाहता हूं । आई० एन० टी० यू० सी० की वहां एक यूनियन साल भर पहले से चल रही है जिसके १,००० मजदूर मेम्बर हैं । पिछले साल आई० एन० टी० यू० सी० की तरफ से वहां कुछ मांगें रखी गई थीं उस सिलसिले में उसके कुछ वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए थे और उनको बाद में छोड़ा गया और उनकी मांगें पूरी की गईं । इस मर्तबा एक स्पेशल सिचुएशन क्रीएट की गई । दरअस्ल वहां कुछ ऐसे लोग जो मजदूर न होते हुए वहां के मजदूरों से बराबर कांटेक्ट रखते थे, उनमें से २, ३ साथियों के मैं नाम बताऊंगा, एक श्री जयन्ती लाल हैं । यह चुर्क सीमेंन्ट फैक्ट्री में अब तक काम करते थे । उनको वहां से अलग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर दिया गया और दूसरे श्री एस० बी० पांडेय जो बम्बई के रहने वाले हैं यह वहां सरकारी मुलाजिम थे मगर वहां से अलग कर दिये गये ।

श्री राजनारायण—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति यहां खड़ा होकर अपनी सफाई नहीं दे सकता उसका यहां नाम लेना कहां तक उचित है । अगर नाम लेते हैं तो मुझे भी पूरा हक होगा कि मैं उसका प्रतिकार करूं । मैं निवेदन करुंगा कि उनका नाम न लें ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं वह नाम ले सकते हैं ।

श्री राजनारायण—मगर गलत बात कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप कन्ट्रेडिक्ट कर सकते हैं । वह अपनी स्वत : की सूचना देना चाहते हैं जो दे रहे हैं और दे सकते हैं ।

श्री अजीज इमाम—यह दो आदमी इस हड़ताल चलवाने के लिये जिम्मेदार हैं । मैं यह भी बताऊंगा कि किस पार्टी से इनका ताल्लुक है । यह दोनों आदमी आम तरीके से क्वैरी के इलाके में काम करते थे जहां पत्थर तोड़े जाते हैं । श्री एस० बी० पांडेय एक पेटी ठेकेदार हैं । उस हैसियत से कभी-कभी वह वहां काम करता था और वहां उसका एक निजी असर था, कुछ उनकी तरफ के लोग थे और कुछ उसका बात करने का ढंग अजीब था जिससे उसका एक असर था, दूसरे जो यह कहा जाता है किसी पार्टी का कोई असर वहां नहीं है, वहां तो मजदूर हैं जो न तो वोटर हैं और उनको किसी प्रकार का कोई नागरिक अधिकार नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने खुद क्वैरी में जाकर के घर-घर घूमा और लोगों से बातें की तो अक्सर जगहों पर मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार क्वैरी के मजदूरों के घरों में मिले जो केरल और बम्बई से आते हैं और उनके पास थे । यह मैं इस वजह से बता रहा हूं जो मैंने खुद देखा और मुझे अन्दाज हुआ कि दरअस्ल किस हद तक वहां के मजदूर या और ऐसे लोग जो दूसरे प्रांतों से आये हुए हैं राजनीति में हिस्सा लेते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं । तो यह कह देना कि किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं था यह बुनियादी तौर से गलत है । जयन्ती लाल जी चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में पहले काम करते थे लेकिन वहां से निकाले गये । चुर्क में आई०एन०टी० यू०सी० के मुकाबिले कोशिश करते रहे, लेकिन वहां कामयाब नहीं हुये, इसलिये उन्होंने मैदान बदल कर रिहन्द को जरखेज मैदान पाकर काम करना शुरू किया । ५ तारीख को तीन मजदूरों ने हड़ताल शुरू की । यह कहा जाता है कि तीन मजदूर अलग कर दिये गये थे लेकिन यह भी गलत खबर है । दरअस्ल दो मजदूर अलग कर दिये गये थे और एक मजदूर को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था ।

दूसरे, किस हद तक यह आर्गनाइज्ड हड़ताल थी, भूख हड़ताल किस हद तक पोशीदा रखी गयी और अंडर ग्राउंड काम इसमें किया गया है, यह देखने की चीज है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि केवल १५ मिनट का समय रहता है और यदि आप इतने ब्यौरे में जायंगे तो पहली सीढ़ी तक चढ़ पायेंगे, गोली की घटना तक नहीं पहुंच पायेंगे ।

श्री अजीज इमाम—तीनों के बच्चे, बीबी व रिश्तेदार, जो उनके साथ रहते थे किसी को इसकी इत्तिला नहीं थी कि ये लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब घर वालों तक को इस बात की इत्तला नहीं थी कि ये भूख हड़ताल करने जा रहे हैं तो कितनी आर्गनाइज्ड और अंडर ग्राउन्ड तरीके से काम लिया गया ।

यह भी कहा जाता है कि सिनेमा पर गोली चलाई गयी, यह भी गलत है । जब पौने ३ बजे के करीब इसका ऐलान हुआ कि दफा १४४ लागू की जाती है तो उस वक्त राइट टाइम

[श्री अजीज इमाम]

पर मजदूरों की मीटिंग हो रही थी, मजदूरों ने १४४ दफा के निफाज को सुन कर मीटिंग खत्म कर दी और सब अपने-अपने घर चले गये। उसके बाद यह जीप गाड़ी क्वैरी तक पहुंची है तो क्वैरी में १४४ को तोड़ने के लिये मजदूरों ने गलत तरीके से शोर माचया और वहां इकट्ठा हुये और १४४ को तोड़ा। कुछ लोग गिरफ्तार हुये। जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था और रिहन्द बांध के लेफ्ट बैंक के टाप पर से गिरफ्तारशुदा मजदूरों की लारी गुजरी तो उन्होंने नारे लगाने शुरू किये। कुछ मजदूर इस पर वहां से निकले और कुछ लोगों ने गाड़ी रोकी और कुछ जबरदस्ती मोटर पर चढ़ गये और कहने लगे हमें भी अपने साथ ले चलो। पुलिस ने यह कोशिश की कि उनको गिरफ्तार न किया जाय और उनसे कहा कि आप लोगों की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, आप लोग १४४ मत तोड़ें वर्ना आप लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जायगा। जब मोटर गिरफ्तारशुदा लोगों को लेकर आगे चली तो मोटर को रोका गया। वहां पर संडे मार्केट में गोली चलाई गयी। उसमें भी मजदूरों में से किसी के ऊपर गोली नहीं चली, बल्कि ऊपर के हिस्से में गोली चलाई गयी। वहां पहाड़ के ऊपर के हिस्से में मकान बने हुये हैं जिनमें मजदूर रहा करते हैं। वहां एक औरत अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी उसको गोली लगी। यह एक अफसोस की बात है कि किसी बेकसूर आदमी या औरत को गोली लगे। उनको भी किसी पुलिस वाले ने जान कर गोली नहीं मारी क्योंकि वह मजमे में शरीक नहीं थीं बल्कि इससे तो यह साबित होता है कि पुलिस का यह इंटेंशन कभी नहीं था कि मजदूरों पर गोली चलायें बल्कि उन्होंने जो ऊपर गोली चलायी तो पहाड़ पर जो औरत खड़ी थी उसको गोली लगी।

एक बात यह भी कही गयी कि एक ऐसे मजदूर को भी गोली लगी जो पाखाना कर रहा था। यह बिल्कुल गलत चीज है। आप मौके पर जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां टट्टी घर हर कालोनी के लिये बनाया गया है। वहां खुले मैदान में मजदूर टट्टी नहीं जाता है। यह कह देना कि टट्टी करते वक्त एक मजदूर को गोली लगी बिल्कुल असंभव बात है।

एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि १५ जनवरी को जब एस० डी० एम० आये और उन्होंने देखा कि मजदूर की हालत बहुत खराब है तो उन्होंने डी०एम० को भी इत्तला की और १६ तारीख को डी०एम० वहां आये और उन्होंने मजदूर की हालत बहुत खराब देख कर पहले मजदूरों से कहा कि इनकी हड़ताल तुड़वा दो और फिर यह अपनी मांगें जायज तरीके से रखें। जब इसको भी मजदूरों ने नहीं माना तो उनकी जान बचाने की खातिर जबरदस्ती उनको जेल ले गये जहां उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। १६ जनवरी को ग्रामवासी जी जो हमारे जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे और करन भाई भी वहां पहुंच गये और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि आपस में सुलह हो जाय मगर वहां के मजदूर इतने एजिटेटेड थे कि उन्होंने कह दिया कि हम आप लोगों की बातें मानने और सुनने के लिये तैयार नहीं हैं बावजूद उनकी तमाम कोशिश के। लिहाजा यह कहना कि इस बात की कोशिश नहीं की गयी कि मजदूरों की मांगों को पूरा कराया जाय बिल्कुल गलत है।

एक बात मैं और बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि मजदूरों की मांगें थीं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी मांगें क्या थीं। उन्होंने तो एकदम से हड़ताल शुरू कर दी और उसके बाद जब सुलह की कोशिश की गयी तब उन्होंने अपनी मांगें रखीं। यह कोई मांग का तरीका नहीं है और इस चीज को खत्म करने के लिये अगर दफा १४४ लगायी गयी तो मेरे खयाल में कोई गलत चीज नहीं थी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से अपने पूर्व वक्ता मित्र के व्याख्यान को सुना और मुझे उनसे बड़ी उम्मीद थी, वे एक

काबिल वकील हैं, लेकिन मुझे आज इस बात का प्रमाण मिल गया कि एक वकील बड़ा बुरा गवाह हुआ करता है। श्रीमन्, एक बात उन्होंने यह कही कि जब मजदूर घटनास्थल पर आये तो कुछ लोगों ने ट्रक रोका और कुछ उस पर चढ़ गये जो ट्रक को रोकना चाहते थे। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि यह बात सही है मगर हकीकत तो यह है कि वे लोग ड्राइवर को नहीं रोक पाये और ट्रक चलती रही। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि गोली मजदूरों पर नहीं चलायी गयी बल्कि पहाड़ पर चलायी गयी जहां मजदूरों के घर बने हुये थे। यानी पुलिस ने गोली वहां नहीं चलायी जहां घपला हो रहा था बल्कि वहां चलायी जहां मजदूर लोग रहते थे, उनके बाल बच्चे रहते थे।

(व्यवधान)

अपनी बालू की दीवार को ढहते देख कर कांग्रेस पक्ष को इतनी बेसब्री? एक तीसरी लंगड़ी दलील उन्होंने यह दी कि केरल के कुछ अखबार और कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ लिटरेचर वहां मिला जिससे साबित होता है कि मजदूर कम्युनिस्ट थे। अगर यह दलील मान ली जाय तो शायद जनसंघ का सदस्य होते हुए भी मैं सबसे बड़ा कम्युनिस्ट माना जाऊंगा क्योंकि मेरे पास जितना कम्युनिस्ट लिटरेचर होगा उतना शायद यहां कम लोगों के पास हो, क्योंकि जैसा कि शेक्सपीयर ने कहा है "I learn your language to abuse you" यानी मैं उनकी भाषा को इसीलिये सीखता हूं कि उन्हीं के शब्दों में जवाब दे सकूं। यह कोई दलील नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी का वहां लिटरेचर पाया गया। इसलिये वहां काफी साम्यवादी हैं। दूसरी बात कही गई कि आई०एन०टी०यू०सी० की यूनियन है वहां पेश्तर से, तो क्या वह मजदूरों को विद्रोह के लिये कमांड करती है? मैं माननीय सदस्य मिर्जापुर से पूछता हूं कि बात क्या है? क्या वह मानते हैं कि I.N.T.U.C. की यूनियन बेकार होती है और इसका कोई कंट्रोल अपने सदस्यों पर नहीं होता है।

अगर उधर के बैठने वालों की तकरीरों को देखा जाय तो मालूम होगा कि एक की बात दूसरा काट रहा है। माननीय सदस्य देवरिया ने जो कुछ कहा उसे शायद वे खुद समझे हों, शायद माननीय मोतीलाल जी समझे हों। या भगवान ही समझा हो। माननीय कमलापति जी ने एक बात पर जोर दिया कि हड़ताली तीन आदमी निकाले गये थे। यानी उनको जो डिटेल्स डी०एम० ने दी वह ऐसी के कि तीन आदमी निकाले गये। लेकिन मिर्जापुर के माननीय सदस्य का कहना है कि तीन आदमी निकाले नहीं गये थे बल्कि उनमें से एक का केवल ट्रांसफर किया गया था और दो निकाले गये थे। जब फैक्ट्स में इतना कंट्राडिक्शन हो तो सारी घटना की जांच होनी चाहिये क्योंकि जो मंत्री जी कहते हैं उसको जो उनके बड़े खासुल खास एम० एल० ए० हैं, वही गलत सिद्ध करते हैं और बनारस का "आज" श्रीमन्, जो कांग्रेस पक्ष का अखबार है, वह भी हमारी बातों का समर्थन करता है। वह कोई विरोधी पक्ष का अखबार नहीं है। उसने कहा कि चार आदमी मर गये हैं। यह मैं नहीं कहता हूं बल्कि कांग्रेस का समर्थक अखबार कहता है जिसके मालिक को कार्पोरेशन में सरकार ने जिसको ऊंची गद्दी दी है। तब सरकार को यह बात अच्छी क्योंकर लगती है कि इसकी जांच न हो, यह बात गलत है।

श्रीमन्, इसके अलावा मैं अर्ज कर दूं कि माननीय सदस्य मिर्जापुर ने फरमाया कि यह मांगें ५ तारीख को पेश की गई थीं। मंत्री जी ने स्वयं इसका जिक्र किया। गोया वह नाजायज थीं। श्रीमन्, "आज" के शब्दों में बता दूं। यहां नियमों की चर्चा की गई है। लेकिन रिहन्द डैम में नियम नहीं बने हैं। रिहन्द का कारखाना ऐसा चल रहा है जो प्रदेश के बड़े कारखाने से टक्कर ले सकता है लेकिन मालिक ने वहां ऐसा कर रखा है कि वहां फैक्ट्री ऐक्ट सुनने में नहीं आ सकता है। श्रीमन्, इतना अर्सा हुआ आज से पहले वहां कभी गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अब क्या कयामत बरपा हो गई कि इतने गुप्त रूप से सारी बात हो गई और किसी को पता नहीं लगा। माननीय सदस्य मिर्जापुर के अनुसार एक बड़ा षड्यंत्र हो गया। विरोधी दल

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

वालों के पीछे इस सरकार के सी० आई० डी० रात दिन लगे रहते हैं। उन्होंने स्वयं मुझे परेशान किया देश में आज चीन के हमले का खतरा है, कम्युनिस्टों का खतरा है, तो सी०आई०डी० रहे तो ठीक है लेकिन हमारे पीछे कैसी सी०आई०डी० जो देश को राष्ट्र-द्रोहियों से बचाने का प्रचार करते हैं। रही रिहन्ड की बात, ताज्जुब है सी०आई०डी० को कुछ पता नहीं हुआ कि इतना बड़ा षड़यंत्र हो रहा है।

श्रीमन्, मैं चार्ज करता हूं सरकार को। अगर मान लें उनकी बात सही है कि षड़यंत्र हो रहा है, तो हो सकता है कि रिहन्ड को तोड़ने का भी षड़यंत्र हो रहा हो और सरकार सोयी हुई हो। क्या वजह है कि उनको पता नहीं चलता है और फिर भी कुर्सियों पर बैठे हुये हैं। अगर कुछ नहीं मालूम है तो "कुछ नहीं मालूम" वालों की जगह पर आ जायं, मालूम होने वालों की जगह को छोड़ दें। मैं, श्रीमन्, आपकी इजाजत से थोड़ा अखबार में से पढ़ देना चाहता हूं इसमें लिखा है "रिहन्द क्षेत्र के प्रत्येक भाग के लोगों से बातचीत करने से जिलाधीश एवं पुलिस कप्तान को छोड़कर अन्य किसी ने भी यह नहीं कहा कि हड़ताल करने के बावजूद मजदूरों में किसी प्रकार की उत्तेजना थी····।

श्री अध्यक्ष---अखबार न पढ़ें आप।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अच्छा श्रीमन्, मैं इशारा समझ गया।

उसमें कहा है कि ऐसी शांति तो कहीं देखी नहीं गई। जो विशेषण इसमें लिखा गया है मैं श्रीमन्, की आज्ञा न होने की वजह से उसे पढ़ नहीं पाया वह है आश्चर्यजनक शांति...

श्री अध्यक्ष---आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं तो समझ तो पाते होंगे। वही कहिये।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---आश्चर्यजनक शांति "आज" के मुताबिक वहां पर थी। एक और दूसरा अखबार "संसार" है जिसके माननीय गृहमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी सम्पादक के पद को सुशोभित कर चुके हैं और अब भी जिस पर उनका बरद हस्त है, उसने भी इसकी पुष्टि करते हुए इन्हीं बातों को लिखा है। कम से कम जनसंघ पर तो श्रीमन्, यह आरोप नहीं हो सकता है कि हम कम्युनिस्टों से गठबंधन करते हैं। इस विषय में मिर्जापुर के जनसंघ के मंत्री का सबसे पहला बयान छपा है और उन्होंने भी वही बात कही है कि मजदूर शांतिपूर्ण थे पुलिस के पकड़ने के प्रयास में खुद वे ठेलों पर बैठ गये। और श्रीमन्, जैसा कि "आज" ने भी कहा है कि जहां पर ढेले फेंकने की बात कही गई है वहां पर एक समतल भूमि है जिसमें ढेले कहीं नहीं थे। यह आरोप नहीं है कि ढेले वह जेब में रखकर ले गये थे या उन्होंने इकट्ठा कर रक्खे थे। कहा यह जाता है श्रीमन्, दो हजार मजदूर बहुत ही उत्तेजनात्मक दशा में थे और उन्होंने ढेले फेंके लेकिन चोट कितनों को आई ३५ को। माननीय ऊदल जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देखकर आये हैं। उन्हें इतनी बड़ी चोट लगी है कि कहीं दिखाई ही नहीं देती। शायद दिल पर जखम हो गया है जो बाहर से नहीं दीखता। अब उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात पर यकीन किया जाता है जिसने कि खुद गोली चलवायी हो, जिसके मातहतों ने खुद गोली चलायी हो उन निरीह मजदूरों पर जिन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया, आज तक कभी हड़ताल नहीं की, जिनकी हड़ताल करने की आदत नहीं है जो टेक्निकल मजदूर हैं, उनके ऊपर गोली चलवायी और उसी की रिपोर्ट पर विश्वास कर लिया। वही बात हुई कि ऐक्यूजर इज इट्स ओन जज (accuser is its own judge) तो यह बात क्या कभी मानने लायक हो सकती है? मैं माननीय पालीवाल जी की इस बात से भी इत्तफाक नहीं कर सकता हूं कि किसी कमिश्नर से जांच करा ली जाय। ५६२ आदमी गिरफ्तार किये गये, मान लीजिये कि एक ही आदमी का खून हुआ है तो क्या यह जुडीशियल जांच के लिये काफी नहीं है? आखिर कितनों का खून इस कांग्रेस सरकार को चाहिये, जिस पर कि जूडिशियल एन्क्वायरी हो सके। आज हमारे प्रदेश में इस प्रकार से लोगों के खून से

इस सरकार के हाथ रंजित हैं। अगर नहीं है तो वह जुडिशियल एंक्वायरी का साबुन लगाकर उन्हें जनता के पेश-नजर करें पब्लिक के सामने दिखायें कि ऐसा नहीं है। माननीय अमरेश-चन्द्र जी के बारे में भी अखबारों में कुछ थोड़ा बहुत उनके बयान का जिक्र आया है लेकिन वह ऐक्यूजर के जैसा है, डिफेंस की तरह का नहीं है। मैं अर्ज करूंगा माननीय त्रिपाठी जी से कि इस घटना को वे पार्टी से ऊपर रक्खें। इसमें मजदूरों की हत्या तो हुयी ही। अगर किसी अफसर ने गलती कर दी तो इसमें सरकार यह क्यों सोचती है कि सरकार की गलती हो गई। या अगर सरकार ऐसा सोचती है कि उसके अफसर का हर कसूर सरकार का कसूर तो हमें कुछ नहीं कहना है।

हमारे एक मित्र ने केरल का उदाहरण दिया। मैं भी अर्ज कर दूं कि उसी केरल की तरफ से जब कि वहां पर छोटी-छोटी घटना हुई तो उन बातों के लिये कांग्रेस की ओर से भी जांच की बात कही गई। वहां पर छोटी-छोटी बातों पर बराबर यह आवाज उठी है कि इसमें जुडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये। जो पार्टी छोटी-छोटी बातों पर भी (बड़ी को छोड़िये) बराबर जुडिशियल एन्क्वायरी की मांग दूसरे प्रान्तों में करती रही है उसको यहां पर एक के बाद दूसरी हत्या की घटना होने पर, जैसा कि कानपुर में हत्याकांड हुआ, उसके पहले लखनऊ में हुआ था और उसके पहले और भी कई घटनाएं हुई हैं, जुडिशियल एन्क्वायरी करनी ही चाहिये। अगर सरकार यही चाहती है कि इसके लिये कोई बलि दी जाय पं० नेहरू के इन तीर्थों को क्या बलि की आवश्यकता है? पुराणों में किस्सा आता है कि तब कहीं कोई बान्ध नहीं टिकता था तो उसके लिये जब तक नरमेध यज्ञ नहीं कर लिया गया तब तक वह टिका नहीं तो उसी तरह से कहीं यहां भी वही हाल तो नहीं है? अगर यह बात न हो व सरकार इन्साफ पसन्द हो और अगर वह दुनिया को यह दिखाना चाहे कि ऐसी उसकी मन्शा नहीं है तो अभी सरकार कहे कि इस घटना से ही मतलब नहीं है बल्कि इस प्रकार की जो भी घटना होगी उसकी न्यायिक जांच होगी। इन शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी से अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वह स घटना की तुरन्त जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की कृपा करें। इससे उनकी और उनकी सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, पहले तो मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसके लिये थोड़ा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--इसमें ६ के बाद समय नहीं बढ़ सकता। अगर आप मन्त्री जी को अवसर देना चाहते हैं तो आप केवल २, ४ मिनट ही बोल सकते हैं।

श्री मदन पांडेय--मैं २, ४ बातें कहकर मन्त्री जी को अवसर देना चाहता हूं। मैं जितनी बातें सुन चुका हूं जिनमें उधर के बोलने वालों ने हिस्सा लिया है उनमें एक आदमी का जिक्र करना जरूरी प्रतीत होता है। अजीज इमाम साहब ने यह फरमाया कि २० तारीख को दौरे से वे लौटे तो उसके बाद गोली कांड की बात को सुनकर वे रिहन्ड क्षेत्र में गये और घर-घर घम-घूम कर पता लगाया। अग्रवाल जी ने अखबार से सूचना एकत्र की। इनमें से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी उस घटना का नहीं है। माननीय मन्त्री जी की सूचना भी अधूरी है क्योंकि उन्होंने भी केवल डी० एम० के वर्जन को यहां पर पढ़ कर सुना दिया है। इसमें उन्होंने कुछ जोड़ा नहीं है। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले जब हम गुलाम थे और जब आजाद हुए तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक बराबर यह होता रहा है कि यदि कोई भीषण घटना हुई तो कैबिनेट लेविल के लोग या उच्च नेता लोग वहां घटनास्थल पर पहुंचते थे और उस घटना का निरीक्षण स्वयं अपनी आंखों से करते थे। आज इन चीजों का अभाव है। कई गोली कांड होने पर भी कोई कैबिनेट का आदमी वहां नहीं जाता है। इलाहाबाद में कोई मिनिस्टर नहीं पहुंचा। कानपुर में भी जब गोली कांड हुआ तो वहां पर कोई कैबिनेट लेविल का आदमी नहीं गया। मोहनलाल जी गौतम वहां पर मौजूद थे लेकिन वह मौके पर

[श्री मदन पांडेय]

वहां नहीं जांच करने के लिये गये। आज रिहन्ड डैम पर ६ हजार मजदूरों पर गोली वर्षा होने पर और हजारों आदमियों को पकड़ कर जेल भेजने पर भी और कुछ के मरने पर भी कोई कैबिनेट लेविल का आदमी देखने के लिये या जांच करने के लिये नहीं गया।

हमसे कहा जाता है कि जुडिशियल एन्क्वायरी की मांग मत करो, यह मांग उचित नहीं मालूम होती है। साथ ही हमसे यह भी कहा जाता है कि मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी को जुडिशियल एन्क्वायरी से कम क्यों समझा जाता है। हम यह समझते हैं मैजिस्ट्रेट फायरिंग का कार्य किया है। जो फायरिंग अथारिटी है उसी के हाथ में अगर उसके खिलाफ एन्क्वायरी का काम सौंप दिया जाय तो यह कहां तक उचित है? इन सब बातों को देखते हुए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब जो वह जवाब देने के लिये खड़े हो रहे हैं उसमें वह इस बात का एलान करें कि इस घटना की जुडिशियल एन्क्वायरी की जायगी और निष्पक्ष जांच होने के बाद हम उनको बधाई देंगे।

श्री झारखंडेराय--अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है यह बिलकुल स्वतः स्फूर्त अर्थात् स्पांटेनियस मूवमेंट था। इसका पता किसी भी पार्टी को, दल को या व्यक्ति को नहीं था। जब लोग गिरफ्तार हो कर जा रहे थे तो मोटरों में उनके हाथ में तिरंगा झंडा था और आप जानते हैं कि वह कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह नहीं है और मैं चाहूंगा कि माननीय अग्रवाल जी और इमाम साहब भी इस बात की हमेशा के लिये जानकारी कर लें। मैं तो कहूंगा कि अगर उनको इस बात में शक है कि यह आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी का रहा है या इसके पीछे कोई षड़यंत्र है तब तो और जरूरी है कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी हो। उसमें एक तो इनका लाभ होगा और हमारा भंडाफोड़ होगा। इसमें इनको दिक्कत क्या है। सरकार की ओर से इस बात का कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह मामला सेटिल हो। उनकी मांगें थीं और उनके लिये लिखा-पढ़ी चल रही थी। ५ तारीख को जो भूख-हड़ताल हुई थी और उसके ११ दिन बाद जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय तो उनकी मांगों को सब ने जान लिया था। उसके बाद अधिकारियों की ओर से क्या प्रयास किया गया कि कोई समझौता हो और मजदूरों की मांगें जहां तक संभव हो सके पूरी की जा सकें। क्या कोई इसका जवाब है?

अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने कहा कि हमारी बातों का आधार क्या था? मैंने उस समय भी बतलाया था कि हमारी पार्टी की ओर से कम्युनिस्ट संसद सदस्य सरजू पांडेय और ऊदल जी भेजे गये थे और उन्होंने वहां जा कर जांच की और उसके बाद प्रेस व्क्तव्य उन्होंने दिया था और जो जानकारी उनकी है उसके आधार पर ही मैंने अपनी बातें निवेदन की थीं।

अन्त में मैं फिर इस बात को कहूंगा कि अपने लाभ के लिये और हमारे भंडाफोड़ के लिये, जो इनके एनीमी नम्बर वन हैं और मैं मानता भी हूं कि हम एनीमी नम्बर वन हैं, वह इस मांग को मान लें और इसकी जुडिशियल एन्क्वायरी करायें। जुडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये ताकि इस बात का पता चल सके कि असलियत क्या है और उसका परदा खुल सके। यह पता चल सके कि यह आन्दोलन वहां के लम्बे दमन तथा असहनीय स्थिति के कारण था या इसके पीछे कोई षडयंत्र था। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने श्री कमलापति त्रिपाठी का नाम पुकारा।)

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, ये किस नियम के मुताबिक बुलाये जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--हर एक प्रस्ताव की बहस के अन्त में मंत्री बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह देखा जाय। अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के विषय पर इसमें लिखा है कि, "यदि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिये साधारणतया नियत समय से एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाय, उस प्रस्ताव को लिया जायगा।" और यदि यह प्रस्ताव पहले समाप्त न हो जाय तो "आरम्भ होने से दो घंटे पूरे होने पर आप से आप समाप्त हो जायगी और उसके पश्चात् कोई प्र न हीं रखा जायगा।" तो माननीय झारखंडे राय जी, जो मूवर हैं वे यह प्रस्ताव दो घंटे के पहले रख रहे हैं....

श्री अध्यक्ष---आप नियम २९२ देखिये। राइट आफ रिप्लाई के सम्बन्ध में यह नियम है। इसमें दिया हुआ है कि कोई मेम्बर जो प्रस्ताव मूव करता है उसके उत्तर देने के भी बाद आखिरी मौका मिलता है मिनिस्टर को जवाब देने का। तो यह हर एक प्रस्ताव के लिये है।

श्री गौरीशंकर राय---अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---वह तो उपस्थित हो गया है। माननीय झारखंडे राय जी ने जवाब द दिया और मिनिस्टर अंत में अपनी स्पीच देंगे इन सब बहसों के जवाब में। उसके लिये भी समय निश्चित रहता है। उसके बाद बहस खत्म होगी। (श्री कमलापति त्रिपाठी से) आप भाषण जारी करें।

श्री राजनारायण---मेरा जो दूसरा प्रश्न है उसके बारे में आपने क्या व्यवस्था दी? इसमें यह है कि यदि २ घंटे में प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त न हो सके तो आरम्भ होने से दो घंटे पूरे होने पर आप से आप समाप्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---दो घंटे समाप्त हो जाने पर कोई बोल नहीं सकेंगे और बहस समाप्त होगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक ही मिनट बोलना है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष---जी हां।

***श्री कमलापति त्रिपाठी**---मैं एक मिनट में इसका उत्तर दूंगा। जितनी बातें कही गयीं सबका उत्तर देना कठिन है। केवल इतना कह सकता हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की गयी है। जुडिशियल इन्क्वायरी जहां सरकार उचित समझती है वहां कायम कर देती है। जहां-जहां उसने परिस्थिति को देख कर उचित समझा वहां किया। ऐसी बात नहीं है कि जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं करायी गयी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो-दो जुडिशियल इन्क्वायरी आज भी हो रही हैं, इलाहाबाद में और एक कानपुर में।

श्री उग्रसेन---कानपुर में नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---वहां जुडिशियल इन्क्वायरी ऐक्ट के मातहत हो रही है, वह भी जुडिशियल इन्क्वायरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त हुआ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
९ फरवरी, १९६०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर।)

RECOMMENDATIONS OF THE DIVISIONAL EVALUATION COMMITTEE, KUMAON DIVISION, ABOUT THE ROSIN AND TURPENTINE INDUSTRY

---

1. In the opinion of the Committee, manufacture of rosin and turpentine on small scale and cottage basis in the Kumaon Division would not only be helpful in providing employment to the people of the area but also ultimately prove economical in the manufacture of these products. The Committee, therefore, strongly recommends that increased allotments of leesa should be made to the existing manufacturing concerns in the Kumaon Division and to make a beginning atleast four more units, one in each district be established with the minimum allotment of 10,000 maunds of leesa per year.

2. This Committee was also informed at Narendranagar that according to the merger agreement between the Maharaja of Tehri and the Government of India, the leesa of Tehri District should be processed locally. Yet inspite of this, it was reported that quite a sizeable amount of the leesa collected in Tehri District was being supplied to the Indian Rosin and Turpentine Factory, Bareilly and to some private parties. This deserves to be investigated and steps taken to fulfil the obligations of the agreement.

3. In all the districts there is a strong feeling that the Government is denying the local people the use of leesa which is available in abundance in Kumaon and which can give employment to a large number of people if processed locally. The Committee shares this feeling and recommends liberal allotments of leesa to Co-operative societies that may be prepared to take up this industry.

नत्थी "ख"

(देखिये २९ दिसम्बर, १९५९ के स्थगित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर।)

नहर गंग डिवीजन कानपुर के तिर्वा रजबहा में बीसवें मील से लेकर तेइसवें मील के बीच सन् १९५६–५७, १९५७–५८ व १९५८–५९ में खांदियां व उन पर प्रति वर्ष व्यय हुये धनराशि के आंकड़े

खांदी का स्थान				खांदी की तिथि	खांदी पर व्यय धनराशि	खांदियों पर प्रतिवर्ष खर्च
मी०	फ०	फी०				
					रु०	रु०
				१९५६–५७		
		शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
				१९५७–५८		
१	२०	७	३०० दायीं ओर	१०–१०–१९५७	२००रु०	३५० रु०
२	२०	७	३९० दायीं ओर	३०–१२–१९५७	१५०रु०	
				१९५८–५९ सितम्बर मास तक		
३	२१	७	० दायीं ओर	११–८–१९५८	५७ रु०	५७ रु०

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५१ पर।)

जिला बुलन्दशहर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५८ में राजघाट-नरौर ३ मील ३१/२ फर्लांग, तथा कचेहरी चांदपुर १ मील २ १/२ फर्लांग नामक नई सड़कें बनकर तैयार हुईं तथा १९५९ में खुर्जा पहासू सड़क १३ मील २ फर्लांग बनकर तैयार हुई।

निम्नलिखित नई सड़कों पर कार्य प्रगति में है :—

१—गुलावठी-स्याना सड़क,

२—दादरी-सूरजपुर-छलेरा सड़क,

३—शिकारपुर-दादरी सड़क,

४—जेवर-टप्पल सड़क।

———

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५२ पर।)

निम्नलिखित क्षेत्रफल मुख्य निगोही बांच तथा उसकी शाखाओं से १३६६ खरीफ व १३६७ खरीफ फसली में सींचा गया है

सिंचाई विवरण			क्षेत्रफल जो १३६६ खरीफ फसली (१९५८-५९) में सींचा गया	क्षेत्रफल जो १३६७ खरीफ फसली (१९५८-५९) में सींचा गया
			एकड़	एकड़
निगोही शाखा खास]	..	..	६,६१४	८,१७५
निगोही बांच शाखायें	..	..	२१,२७४	२३,४६८
		योग ..	२७,८८८	३१,६४३

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६१ पर।)

जिला खीरी में सिंचाई विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत बनने वाले राजकीय नलकूपों (State Tube-wells) की तहसीलवार सूची

जिला	तहसील का नाम	निर्मित राजकीय नलकूपों की संख्या	निर्माण के लिये प्रस्तावित नलकूपों की संख्या
१	२	३	४
खीरी	लखीमपुर ..	१३	२
	निघासन ..	१३	५
	मोहम्मदी ..	१५८	१
	योग ..	१८४	८

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २८० एल० ए०—१९६०—८४५।

संसदीय प्रलेख इकाई